राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दसवां दिवस [संख्या: 07

बुधवार,
14 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम साहब। नमस्कार, नमस्कार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज क्या हो गया सदन में?

श्री अध्यक्ष: जैसा इधर है, वैसा ही उधर है। मैंने कहा, जैसा उधर है, इधर जैसे कुर्सी खाली हैं, वैसे ही उधर खाली हैं। ...(व्यवधान)... बैठो, बैठो। प्रश्नकाल।

श्रीमती द्रोपती।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की स्थापना

103. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाने खोले गये हैं?

(2) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिये एंटी-रोमियो अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक जिला केन्द्र (जिला मुख्यालय) पर महिला पुलिस थाने खुले हुए हैं।

(2) वर्तमान में प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में जिलों व आयुक्तालय में कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर की निगरानी में महिला गश्ती दलों का गठन किया जाकर निगरानी की जा रही है। सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी लगाये जाकर कार्यवाही की जा रही है। बालिका अपराध सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। राज्य स्तर, रेंज स्तर तथा जिला स्तर पर बालिकाओं की सुरक्षा हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं। महिलाओं/बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पृथक से एंटी-रोमियो अभियान का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी, राजस्थान में कितने महिला थाने खुले हुए हैं और हनुमानगढ़ जिले में महिला थानों से संबंधित जितने भी केस 2016-17 और 2017-18 में दर्ज हुए हैं, उन पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है? यह बताने की कृपा करें और हनुमानगढ़ जिले के अन्तिम छोर के गांव में अगर किसी महिला के साथ घटना घटती है तो न्याय के लिए जिला मुख्यालय पर महिला थाने में आना पड़ता है। अपने से संबंधित केस में भी उनको पाँच छह बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिला मुख्यालय पर बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। हनुमानगढ़ की हमारे गांव से दूरी है, जैसे भादरा है, भिरानी है, 115 किलोमीटर दूर पड़ता है, पल्लू है जो रावतसर के अन्दर आता है, उनका अन्तिम गांव है नैयासर, वह भी सौ से अधिक किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों की दूरी भी सौ किलोमीटर से दूर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए और महिला के हित को देखते हुए सर्किल आफिस, उपखण्ड स्तर पर सीओ आफिस बने हुए हैं, उनमें महिला थाने खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 40 पुलिस जिले हैं और 40 ही पुलिस जिलों के ऊपर महिला थाना खुला हुआ है। माननीय सदस्य का कहना यह है कि एसडीओ हैडक्वार्टर पर भी पुलिस थाने खोले जाएं। मेरा यह कहना है कि राजस्थान में हमारे यहां 40 जिलों में पुलिस महिला थानों पर जो केस दर्ज हुए हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। केवल एक थाना है राजस्थान में, कोटा में, जिसमें 330 मुकदमे दर्ज हैं। छह जिले ऐसे हैं जिनमें 200 से लेकर 300 तक मुकदमे दर्ज हैं। 17 जिले ऐसे हैं जिनमें 100 से 200 तक मुकदमे दर्ज हैं और 16 जिले ऐसे हैं जिनमें जीरो से लेकर 100 मुकदमे दर्ज हैं। इन संख्याओं को देखने के आधार पर वास्तव में इससे अधिक पुलिस थानों की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि अपराधों की संख्या कम आती है।

इसके अलावा राजस्थान में जो महिला डैस्क हैं, लगभग 861 थाने हैं हमारे पास, उनमें से 786 थानों पर महिला डैस्क बनी हुई हैं ताकि वहां महिला अपनी बात को कह सकती है। केवल 54 ही थाने ऐसे हैं जहां पर महिला डैस्क नहीं है अर्थात् हर थाने पर महिला डैस्क उपलब्ध है। अगर महिला से संबंधित कोई मामला आता है तो वह निश्चित रूप से वहां कह सकती हैं।

जहां तक हनुमानगढ़ के बारे में है, हनुमानगढ़ में 2008 में 405 महिलाओं से संबंधित अपराध दर्ज हुए हैं। वह 2013 में आते आते 985 हुए और अभी इस साल 720 हैं अर्थात् निरन्तर मुकदमों की गिरावट आ रही है विभिन्न हैड्स में। इस कारण से एसडीओ हैडक्वार्टर पर महिला थाना खोलने का अभी कोई औचित्य बन नहीं रहा है। आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही है और महिला अपराधों में 2013 से लेकर अपन बात करें तो राजस्थान में 12 प्रतिशत अपराध महिलाओं के कम हुए हैं और 2008 से लेकर 2013 की तुलना करें तो 91 परसेंट अपराध बढ़े थे। वह अपराध घटे हैं, 12 परसेंट कम हुए हैं। केवल एक नहीं, अधिकांश हैड्स में भी, राजस्थान में महिला अपराध घट रहे हैं। केवल चार-पांच जिले ऐसे हैं जिनमें 2013 से लेकर 2017 के बीच में महिला अपराधों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई। भरतपुर में जो 418 थे, उसकी जगह 511 हुए हैं। सवाईमाधोपुर में 2013 में 423 थे, वह 525 हैं। जोधपुर में 377 थे, उसकी जगह 431 हैं। बाड़मेर में 584 की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जगह 653 हैं और बारां में 683 की जगह 811 हैं। ये केवल पांच जिले ही ऐसे हैं जिनमें 2013 से लेकर 2017 तक महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। बाकी सभी जिलों में महिला अपराधों में काफी कमी आयी है और सारे राज्य में भी महिला अपराध की दृष्टि से 12 प्रतिशत की कमी 2013 से लेकर 2017 के मुकदमों में आयी है और इस कारण से जो हमारे पास अभी थाने हैं, वह पर्याप्त हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी मुकदमे को महिला थाने में ट्रांसफर करवा सकता है। जिसके बारे में उसे लगता है कि इस थाने पर जांच ठीक नहीं हो रही है, महिला थाने पर जांच करवायी जाए तो वह भी जांच चेन्ज करवा सकता है पर सामान्यत: बहुत कम ऐसे विषय आते हैं जिनमें इस प्रकार का कोई परिवर्तन करना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि सारे मुकदमों की स्थिति को देखते हुए एसडीओ हैडक्वार्टर पर थाने बनाने का अभी कोई विचार सरकार के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न करेंगी?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): हां, अध्यक्ष महोदय। जिस तरह से मंत्रीजी ने बताया है, महिला गश्ती दलों का गठन किया गया है, उनकी निगरानी की जा रही है, सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं तो इनको देखते हुए जैसे पुलिस थानों में सीएलजी मैम्बर होते हैं, उस कमेटी में ज्यादातर पुरुष होते हैं तो मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि क्यों न इस कमेटी के अन्दर महिलाओं के विचार जानने के लिए, महिलाओं की पीड़ा सुनने के लिए, महिला हित को ध्यान में रखते हुए सीएलजी मैम्बर महिलाओं की कमेटी बनाने के प्रस्ताव की अगर आप अनुमति दे दें तो एक महिला कमेटी बन जायेगी सीओ ऑफिस या पुलिस थाना आफिस में, जिससे महिलाएं अपनी बात रख सकें। उनको संतुष्टि हो जाए कि थाने में उनकी बात सुनी जा सकेगी। जो सीएलजी की जो बैठक होती है उसमें अपने विचार प्रकट कर सकेगी। ऐसा विचार सरकार रखती है क्या? मंत्रीजी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सुझाव तो अच्छा है कि सीएलजी मैम्बर में, यह बात सच है, अभी भी महिला प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं है। है तो सही लेकिन बहुत कम है। अबकी बार हम प्रयास करेंगे कि सीएलजी में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े ताकि महिलाएं अगर सीएलजी मैम्बर को कुछ कहना चाहें तो कह सकें। सामान्यत: अभी तक की हमारे यहां जो स्थिति है, हमने जो तैनाती कर रखी है 3582 पुलिस वर्दी में गश्त करते हैं राजस्थान भर में। उन्होंने पिछले साल 2017 में 2386 लोगों को गिरफ्तार किया। जो सादा वर्दी में रहते हैं वह 1187 हैं, पिछले साल का, उन्होंने भी 713 लोगों को गिरफ्तार किया मौके पर। किसी प्रकार का कोई केस ध्यान में आया तो राजस्थान में हमने 3099 लोगों को इन दोनों की गश्ती दलों के आधार पर गिरफ्तार किया है, पर आपका यह प्रस्ताव कि सीएलजी मैम्बर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक बढ़े, इसको मैं स्वीकार करते हुए, इसको प्रारम्भ करने के लिए आदेश दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी, जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर है फिर भी वहां महिला थाने में बहुत कमी आ रही है। महिला विंग के कोई ऐसे थाने मुश्किल से सिर्फ दो या तीन हैं और वो भी कोई एक थाना पुलिस लाइन के अन्दर बना हुआ है, बाकी जो महिला थाना है वो जुगाड़ में चल रहा है, कोई क्वार्टर में चल रहा है, कैसे जाए, क्या करें।

जो महिला थाने होते हैं, महिला डैस्क तो सब जगह है फिर भी थाने की बात अलग होती है। थाने की जो व्यवस्था होती है, महिलाओं को थाने में जाने में सुविधा होती है, वो डैस्क में नहीं होती है। फिर भी मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर आगे महिला थाना बनाने की कोई योजना है क्या? और है, तो मंत्री महोदय इसको बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर कमिश्नरेट में हमारे दो एस.पी. हैं और दोनों को मिलाकर जो हमारे पास मुकदमों की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

संख्या है जोधपुर कमिश्नरेट में, वो 789 है। जैसा मैंने कहा कि थाने के हिसाब से हमारी मुकदमों की संख्या सामान्यत: पांच सौ और हजार के बीच में रहती है, वहां है, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जोधपुर कमिश्नरेट में दो थाने हैं और दोनों ही थानों में हमारे महिला पुलिस थाना है, दोनों में मिलाकर ये मुकदमे हैं अर्थात् मैंने कहा न कि राजस्थान में केवल कोटा ही एक ऐसा जिला है जिसमें 300 से अधिक अपराध हैं, बाकी राजस्थान में सभी जिलों में 300 से कम अपराध हैं और इसलिए उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, पूरक प्रश्न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, जो कोटा में आपका कमाण्ड केन्द्र चल रहा है, उसमें जो सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं न कहीं उसकी क्वालिटी को मेन्टेन करने के लिए क्या हम उसमें और अच्छे कैमरे लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां की जनता को उसका लाभ मिले क्योंकि कोटा में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि 330 केस कोटा के हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो दूरी तक की गाड़ियों का नम्बर देखने का प्रयास इस केन्द्र में किया जाता है तो वो नम्बर दिख नहीं पाते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कुछ अच्छा सुधार हो, जो सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी कुछ क्वालिटी मेन्टेन करते हुए परिवर्तन किया जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कोटा का लगातार विस्तार हो रहा है, आपको जानकारी है, जो एरिया इसमें नहीं आ पाया, जो छूटा हुआ एरिया है, नया कोटा है, इसके अलावा भी काफी एरिया अभी छूट चुका है, क्या वहां पर भी हम सीसी टीवी कैमरे लगाने का विचार रखते है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कमाण्ड सेन्टर, कोटा में सीसी टीवी कैमरे लगाये हैं लेकिन अभी पर्याप्त संख्या में नहीं लगे, और हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जहां तक कोटा रेंज के अपराध की दृष्टि से मैं बताऊं तो 2013 में 3838 थे, अब केवल 3381 हैं, अर्थात् 500 अपराध कोटा जिले में, सभी जिलों में कम हुआ है। केवल बारां में अपराध 2013 से लेकर के 2017 में बढ़ा है, बाकी सभी जिलों में अपराध कम हुए हैं। यह सारे रेंज के अपराध हैं, तो निश्चित रूप से 500 अपराध कोटा रेंज में कम हुए हैं।

कैमरों के बारे में जरूर है कि हम अभी पर्याप्त नहीं लगा पाये, पर्याप्त कैमरे लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत जल्दी लगा देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, महाराज रणधीर सिंह जी भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूं कि जो थाने बहुत बड़े हैं और जिनसे कुछ पंचायतें या गांव बहुत दूर पड़ते हैं, वहां पर हम पिछले चार वर्षों से नई पुलिस चौकियों की मांग कर रहे हैं। मेरे कानोड़ थाने का लूणदा, खेरोदा थाने का सिहाड़ और भीण्डर थाने का पाणुंद उस थाने से करीब 19 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है तो आप वहां पर पुलिस चौकियों के लिए घोषणा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह अलग हो गया। यह सवाल अलग हो गया, फिर भी जवाब दे दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सदन में थाने और चौकियों की बढ़ोतरी के लिए या आवश्यकता को महसूस करके माननीय सदस्य प्रस्ताव रखते हैं, मैंने सारे नोट कर रखे हैं, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रमेश।

प्रदेश में डांग विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

104. श्री रमेश (सपोटरा):- क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में डांग विकास योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक उक्त योजनान्तर्गत किस-

(श्री रमेश)

किस जिले को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत करौली जिले को धौलपुर, झालावाड़ व बारां जिले से कम राशि आवंटित की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के मानदण्डानुसार पूर्व में करौली जिले को डांग विकास में सर्वाधिक राशि मिलती रही है? यदि हां, तो अब राशि कटौती करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में डांग विकास योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार नियमानुसार जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति रोक सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य स्तर पर उपलब्ध निधि में से 19 प्रतिशत राशि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं 1 प्रतिशत प्रशासनिक मद की आरक्षित राशि के उपरान्त अवशेष राशि योजना से संबंधित जिलों को आवंटन के मानदण्ड निम्नानुसार है-

1. योजना में उपलब्ध निधि की 50 प्रतिशत राशि जिले को योजनान्तर्गत सम्मिलित गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के संख्या के आधार पर आवंटित की जाती है।
2. योजना में उपलब्ध निधि की शेष 50 प्रतिशत राशि जिले को उसके डांग क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत एवं राज्य की औसत साक्षरता प्रतिशत के अन्तर, के आधार पर आवंटित की जाती है।

(2) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिलों को स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं कुल योग ही बोल देता हूं:-

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

जिला	वर्ष					
	जनवरी 2014 से मार्च 2014	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 से (दिसम्बर 2017 तक)	योग
बारां	4.94	9.85	10.73	13.93	8.05	47.50
भरतपुर	0.93	1.87	1.10	1.15	1.01	6.06
बूंदी	0.93	1.86	2.01	2.52	1.33	8.65
धौलपुर	4.87	9.72	6.15	7.98	4.04	32.76
झालावाड़	2.87	5.73	9.71	9.20	4.74	32.25
करौली	6.74	13.45	4.42	4.70	2.91	32.22
कोटा	2.14	4.26	4.70	1.85	0.94	13.89
सवाई माधोपुर	1.33	2.66	4.98	5.93	3.27	18.17
योग	24.75	49.40	43.80	47.26	26.29	191.50

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में अंकित मानदण्डों के अनुसार राशि का आवंटन किया गया है।

(4) जी नहीं। योजना में वर्ष 2008-09 से जिलों को राशि का आवंटन उन जिलों की योजना क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाता था। दिनांक 30 मार्च 2015 को योजना के संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेखित मानदण्डानुसार (बिन्दु संख्या 1 में अंकितानुसार) वर्ष 2015-16 से संबंधित जिलों को राशि का आवंटन किया गया है।

(5) जी नहीं। डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत विभागीय पत्र दिनांक 09.10.2017 के द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु कुल 3229 कार्य राशि रुपये 14792.57 लाख की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों की स्वीकृति जिला स्तर पर जारी की जाती है। दिनांक 06.02.2018 की स्थिति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत 715 कार्यों हेतु राशि रुपये 3442.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

(6) जी हां। यह राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधानानुसार एवं अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

अंकित शर्तों की पालना नहीं करने, जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर अथवा महत्वपूर्ण कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत कार्यों को रोक सकती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, धौलपुर जिले की धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, तहसील इस डांग विकास योजना में सम्मिलित हैं और इसी प्रकार करौली जिले के सपोटरा, करौली, मण्डरायल तहसील की, दोनों जिलों की साक्षरता दर और बी.पी.एल. परिवारों की संख्या आप मुझे अलग-अलग बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2004-05 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारम्भ की थी। जब इस योजना को प्रारम्भ किया गया था, इसमें जनसंख्या का आधार, जिसका उत्तर मैंने खण्ड-एक में निवेदन किया है, उस जनसंख्या का आधार 2001 लिया गया था। उस 2001 की जनसंख्या के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में इस पूरी योजना में 8 जिले थे, 22 पंचायत समिति थीं और 371 ग्राम पंचायतें थीं। उसके बाद 2015 में 8 जिले और 26 पंचायत समितियां और 394 ग्राम पंचायतों में इस योजना को बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जनसंख्या का आधार बी.पी.एल. का क्या था, तो अध्यक्ष महोदय, करौली के अन्दर जो 101 ग्राम पंचायत हैं उसमें बी.पी.एल. की जनसंख्या का आधार है, 35177 बी.पी.एल. की जनसंख्या है। धौलपुर के अन्दर जहां 73 ग्राम पंचायत हैं वहां बी.पी.एल. जनसंख्या है 25519 और झालावाड़ जिसके अन्दर 43 ग्राम पंचायतें हैं वहां बी.पी.एल. की संख्या है 11987.

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने साक्षरता पूछी है, करौली की साक्षरता 63.57 परसेंट है जो राज्य की औसत साक्षरता उस वक्त थी 61.03 प्रतिशत उससे अधिक थी और धौलपुर की साक्षरता उस समय 58.56 प्रतिशत थी और उस समय जो हमारी औसत साक्षरता थी उससे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम थी और झालावाड़ की साक्षरता 52.58 प्रतिशत थी, जो उस वक्त की साक्षरता थी उससे कम है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब बिलकुल असत्य दिया है। इन्होंने जो पैरामीटर्स तय किए हैं, उनको इन्होंने शायद पढ़ा नहीं। अब पढ़ लें। योजना में उपलब्ध निधि की 50 परसेंट राशि जिले की योजना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों की गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या के आधार पर आबंटित की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, वही मैं कह रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आपको मैं बताता हूं कि जो साक्षरता दर है धौलपुर की, इसमें 81 गांव लिए गए हैं, 70.74 परसेंट है। राजाखेड़ा के 133 गांव लिए गए हैं, उसकी साक्षरता दर 67.66 परसेंट है। बाड़ी के 87 गांव हैं उसकी 64.70 परसेंट है। बसेड़ी के 134 गांव हैं उनकी 68.34 परसेंट साक्षरता है। आप बीपीएल की जो बात कर रहे हैं, उन परिवारों की आप संख्या जोड़ लें। ठीक है, उसके बाद जो राजस्थान का एवरेज है साक्षरता दर का वह 66.11 परसेंट है। एक बात तो यह हो गई।

दूसरी मैं आपको झालावाड़ की बात बताता हूं। खानपुर में साक्षरता दर आपकी 70.04 परसेंट, बकानी की 51.8 परसेंट, इसमें सिर्फ ये दो ही हैं। रामगंजमंडी और खानपुर मात्र 2 ही आ रहे हैं जिनके 334 गांव हैं, जिनकी साक्षरता दर एक की 70 परसेंट है और दूसरे की 51.8 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं करौली पर आता हूं। करौली के जो 211 गांव हैं, उनकी साक्षरता दर 62.23 परसेंट है। सपोटरा के 238 गांव हैं, उनकी साक्षरता दर 51.89 परसेंट है। मंडरायल की साक्षरता दर 49.98 परसेंट है। परिवारों की संख्या की बात करते हैं करौली की तो सबसे ज्यादा 35,414 गांव आते हैं। जहां आप जिले की बात करते हो बीपीएल की सूची की संख्या तो 68,239 आते हैं। आपने जो बजट का आबंटन किया है, जो आपने शर्तें दी हैं, उन शर्तों में आपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। सुन लें पहले, मेरी बात सुन लें पहले। आपने मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए यह पैसा अलॉट किया है। आपने ऐसी अनियमितताएं क्यों की?

(श्री रमेश)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा क्वेश्चन इसके साथ-साथ मेरा यह है कि डांग विकास एक अलग से स्कीम है। उसमें आपने 19 प्रतिशत पैसा जल स्वावलंबन के लिए दिया है। वह एक अलग स्कीम हो गई। वहां के डांग क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सामाजिक विकास कैसे हो उसके लिए पैसा दिया। आपने इस 19 परसेंट पैसे को जल स्वावलंबन में दे दिया। वह किसी काम नहीं आया। इसका उत्तर बताएं माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं। इसका सही उत्तर दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: अभी जवाब दिलवाते हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर के प्रारंभ में निवेदन किया था कि यह योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। उस समय 2001 की सेन्सस हमारे सामने थी। 2001 की सेन्सस के आधार पर यह तय किया गया कि इस डांग क्षेत्र के अंदर जो पूरा जिला है, उस जिले में साक्षरता की दर उस समय क्या थी और राज्य की औसत दर क्या थी। अगर औसत दर से साक्षरता की दर कम है तो उसके गुणक को निकालकर, उसके आधार पर 50 फीसदी राशि आबंटित करने का फॉर्मूला बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं, वह 2011 की जनसंख्या को उद्दत कर रहे हैं। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि यह योजना जब बनी थी तो 2001 की सेन्सस के आधार पर बनी थी।

इसके अलावा आप कह रहे हैं कि बड़ा भेदभाव हुआ है। मैंने अपने उत्तर के खंड 2 के अंदर जो फिगर पढ़कर के सुनाए, उनको मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): जनगणना 2011 के बाद हो गई क्या? मंत्रीजी बताएं। असत्य क्यों बोल रहे हो? 2021 में होगी उसके बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2014-15 से अगर मैं प्रारंभ करूं तो जून, 2017-18 तक, यह लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास है, उसके अनुसार धौलपुर जिले को इस योजना के अंतर्गत, डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अब तक जो राशि स्वीकृत की गई है, वह राशि है 32 करोड़ 75 लाख रुपये, झालावाड़ को जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राशि स्वीकृत की गई है वह है 32 करोड़ 25 लाख रुपये और करौली जिले को जो राशि स्वीकृत की गई है, वह है 32 करोड़ 22 लाख रुपये। अगर आप इसको देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि उस समय झालावाड़ की साक्षरता दर औसत से कम थी। धौलपुर की साक्षरता दर कम थी जिसको मैंने उद्धृ किया।

श्री रमेश (सपोटरा): कहां है, कहां है? मंत्रीजी, असत्य क्यों बोल रहे हो। आप बताओ तो सही। बातों से क्या होगा।

श्री अध्यक्ष: रमेशजी, रमेशजी, विराजें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बोल रहे हैं इसलिए मैं टोक रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: असत्य बोल रहे हैं तो वह आप किसी दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं एक निवेदन कर दूं, प्लीज। एक निवेदन कर दूं। मंत्रीजी, बैठ जाएं दो मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं रोज सदन में वह लिखा हुआ पढ़ता हूं, 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सही बात कही जाए।'

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को बैठा दो एक बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 'क्योंकि वहां न बोलने से, गलत बोलने से, दोनों ही स्थिति में मनुष्य को पाप का भागी बनना पड़ता है।' अध्यक्ष महोदय, मैं पाप का भागी कतई नहीं बनना चाहता। मैंने जो कुछ कहा वह तथ्यों के आधार पर कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं था कि जनसंख्या के अंदर, 2004-05 में माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था डांग क्षेत्र के विकास के लिए। इन्होंने खंड 2 में जो दूसरी बात पूछी है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर 19 प्रतिशत राशि आप क्यों दे रहे हो?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आज जितनी तेजी से भूजल स्तर गिरता जा रहा है और इस गिरावट के अंदर जो डांग के जिले हैं, अगर उनका औसत देखें तो प्रति वर्ष 5 से लेकर के 15 फीट तक जल स्तर नीचे जा रहा है।

श्री रमेश (सपोटरा): इस स्कीम में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जल के लिए गांव स्वावलंबित हो। जिस प्रकार का जल संकट कल आने वाला है। एक इतनी बड़ी और अच्छी योजना जिसको जिस वक्त सार्क का सम्मेलन था अध्यक्ष महोदय, आप श्रीमान के सामने सार्क सम्मेलन में आए सभी लोगों ने कहा था कि यह योजना अद्वितीय योजना है। ऐसी योजना पूरी दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। यहां से लिटरेचर लेकर गए। इनको धन्यवाद देना चाहिए। उस योजना पर टिप्पणी तो कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अधूरा रह गया है। असत्य दिया है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज विराजें। दो सवाल हो गए हैं आपके।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, नहीं हुआ। एक ही हुआ है। एक सवाल।

श्री अध्यक्ष: दो सवाल हो गए हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): एक सवाल। उन्होंने असत्य जवाब दिया है। उसके बारे में बता रहा हूं बस।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह योजना पहले भैरोंसिंहजी के टाइम शुरू हुई थी। कांग्रेस ने बंद की इस योजना को।

श्री रमेश (सपोटरा): आप रुक जाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उसके बाद फिर माननीय वसुंधरा जी जब मुख्य मंत्री बनी और मैं मंत्री था, तब हमने वापस चालू की। यह उसकी आलोचना कर रहे हैं जिस योजना को हमने चालू किया।

श्री अध्यक्ष: सचेतक महोदय, विराजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो पैसा मिलता था करौली जिले को, बीपीएल की संख्या सबसे ज्यादा थी, साक्षरता दर सबसे कम थी और आज भी है। लेकिन मंत्रीजी के 30 मार्च, 2015 को संशोधन करने के बावजूद भी करौली जिला उन सभी पैरामीटर्स में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा बजट करौली जिले को मिलना चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि 2015-16 में धौलपुर को 6 करोड़ 15 लाख रुपये दिए। झालावाड़ को 9.71 करोड़ रुपये दिए। करौली को मात्र 4 करोड़ 42 लाख रुपये दिए। फिर 2016-17 में आते हैं, धौलपुर को 7.98 करोड़ रुपये दिए। झालावाड़ को 9.20 करोड़ रुपये दिए। करौली को मात्र 4 करोड़ 70 लाख रुपये दिए। फिर 2017-18 में मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि झालावाड़ को 4.74 करोड़ रुपये, धौलपुर को 4.4 करोड़ रुपये और करौली को 2.91 करोड़ रुपये दिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): इससे सिद्ध हो रहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मंत्री अपने पद का सरासर, खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रहा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप बैठिए।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि मंत्री गलत जवाब दे रहा है। आपके जनगणना के आंकड़ों को असत्य बता रहा है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रमेश, बैठिए।

श्री रमेश (सपोटरा): यह हद होती है। सवाल का जवाब मंत्री दे नहीं पा रहा है। मंत्री को या तो याद नहीं है, या मंत्री को आदत पड़ गई है असत्य बोलने की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रमेश। अगर असत्य कुछ कहा है तो कई तरीके हैं जिससे आप इनके खिलाफ कार्यवाही ला सकते हैं। यहां पर हमेशा ही इस तरह के आरोप लगाने से लाभ नहीं है। पूरक प्रश्न, श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें। मेरा तो निवेदन इतना-सा ही है।

श्री अध्यक्ष: मैंने बुलवा लिया प्रद्युम्न सिंह जी को।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, तत्कालीन पंचायती राज मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया की अध्यक्षता में, जब इनके पास यह विभाग था, एक मीटिंग हुई थी। सारे डांग क्षेत्र के विधायकों को बुलाया था। आपके वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तब यह तय हुआ था, आप रिकार्ड में उठाकर देख लीजिए कि जिले को धन राशि का आबंटन होने के पश्चात, हर पंचायत जो डांग विकास क्षेत्र के अंदर आती है, उनको बराबर का आबंटन किया जाए। यह तय हुआ था। श्रीमत पांडे साहब उस वक्त पंचायती राज के सैक्रेटरी थे। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि क्या धौलपुर जिले में डांग विकास के अंदर आने वाली पंचायतों के संग भेदभाव किया जा रहा है? साथ में यह भी तय हुआ था कि विधायकों की अनुशंसा भी इसके ऊपर ली जाएगी लेकिन आज धौलपुर जिले में इसको बिलकुल फ्लो-आउट किया जा रहा है कई साल से। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर मिला है तो आप बता सकेंगे कि क्या बराबर का आबंटन किया गया है? डांग विकास के जो जिले हैं उनकी पंचायतों के अंदर जो घोषित किया गया था कि बराबर आबंटन किया जाएगा, वह किया गया है या नहीं किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि 2005 के अंदर जो गाइडलाइन थी, इसमें बोर्ड बना हुआ है, उसमें 50 प्रतिशत राशि डांग क्षेत्र में उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का आबंटन राज्य के साक्षरता प्रतिशत और डांग क्षेत्र के जिले के साक्षरता प्रतिशत को घटाते हुए पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद 2008 के अंदर एक संशोधन हुआ। उसमें इन्होंने आधार मान लिया कि जिले को आबंटित होने वाली राशि का आधार उन जिलों के योजना क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या। मतलब 2005-06 के अंदर जो आधार था आवंटन का, उसको 2008-09 में बदला गया, फिर 2015 के अंदर दुबारा यह कहा गया कि उपलब्ध 50 प्रतिशत राशि सम्बन्धित जिले में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों की संख्या और शेष 50 प्रतिशत की राशि सम्बन्धित जिले के डांग क्षेत्र की साक्षरता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिशत और राज्य के औसत साक्षरता प्रतिशत के अंतर के आधार पर होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस पूरी योजना के अंदर जो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आते हैं, पंचायत समिति से जिले के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर उसके चेयरमैन हैं, सभी माननीय सदस्य और जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान उसके सदस्य हैं। उनकी अनुशंसा पर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार उनको स्वीकृत करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलकर कुछ माननीय विधायक निश्चित तौर पर प्रस्ताव देते हैं, उन पर विचार करते हैं पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक होटलाइन से सीधे जुड़े हुए हैं। इन्होंने कभी मुझे इस लायक नहीं समझा कि प्रस्ताव दें। मुख्य मंत्रीजी को सीधे प्रस्ताव देकर वहां से जब आते हैं हमारे पास, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? इनका तो सीधा ही, सीधा ही है मामला, धौलपुर का है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि धौलपुर को ज्यादा राशि कैसे आवंटित कर दी? अब मैं उस पर पूरे तथ्य में जाऊंगा तो उसमें निश्चित तौर पर ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय बड़ी चतुराई से प्रश्न को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों ही चतुर हैं मेरी दृष्टि में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह धौलपुर का मामला है। मैंने कोई प्रस्ताव सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को डाइरेक्टली नहीं दिया। मेरा सीधा आरोप है, माननीय मंत्रीजी, आप इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह गंभीर सवाल है कि धौलपुर में नियमों को फ्लो-आउट किया जा रहा है। जो आपकी गाइडलाइन्स हैं उनको फ्लो-आउट करके मनमाने तरीके से, मैं उन कारणों को नहीं कहना चाहता हूं। किन्हीं अन्य कारणों से, कमीशनबाजी का खेल हो रहा है वहां। मेरा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आरोप है कि वहां कमीशनबाजी का खेल हो रहा है, आप इसकी जांच करवाएं, इसको रोकें। जो पंचायतें वंचित रह गई हैं और जो पंचायतें आती हैं डांग विकास क्षेत्र में, उन सभी पंचायतों में माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें जो निर्णय हुआ था उसकी पालना नहीं की जा रही है। मेरा आरोप है। इसलिए आप इसकी जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह 2015-16 की गाइडलाइन्स बदली हैं, उस समय माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया के समय में ही सारी पत्रावली चली थी। मैं निवेदन करूं कि इसकी सारी सैंक्शन पर, मैं समझता हूं कि निर्माण कार्यों में कोई अनियमितता हो या निर्माण कार्य निम्न स्तर का हो, उसमें तो हो सकता है, कोई ग्राम पंचायत कर रही है तो उसकी जांच करवा लेंगे पर इसकी स्वीकृति का जो पूरा रूट मैप बना हुआ है या स्वीकृति के जो चरण बने हुए हैं, उसमें स्वीकृति जिला कलेक्टर की सदारत में बनी हाई पावर कमेटी जिले में करती है, जिसमें सभी माननीय सदस्य, माननीय विधायक महोदय इसमें सदस्य हैं, उसके अंदर कोई गड़बड कर दे यह संभव नहीं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस जिले की कमेटी में पधारे नहीं होंगे शायद, फिर भी आपके अनुसार यदि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो आप मुझे लिखकर दे दें। मैं सदन में कह रहा हूं कि मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और जो निर्धारित मानदंड हैं उनके अनुसार ही राशि निश्चित तौर पर उन जिलों को आबंटित होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो इस बार इसके साथ ही दोनों सालों का, 2017-18 और 2018-19, क्योंकि राशि आबंटन ही नहीं हो, बल्कि राशि का उपयोग भी हो, इसलिए हमने सोचा कि कई बार विलम्ब हो जाता है, इस बार 147 करोड़ रुपये के 3229 प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की है। माननीय सदस्य, मैं सूची आपके पास भी भिजवा दूंगा और माननीय सदस्य, आपके पास भी भिजवा दूंगा। उसमें अगर कोई मीनमेख हो और आपको कोई अभिशंसा और देनी हो...

श्री रमेश (सपोटरा): आप पुनर्विचार करो, हमारा तो निवेदन यह है आप गलत आवंटन कर रहे हो, पद का दुरुपयोग कर रहे हो मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, सदन के माननीय सदस्य अगर उसमें स्वीकृति की जो अभिशंसा हुई उसके इतर कोई काम के लिए अभिशंसा करेंगे तो निश्चित तौर पर बिना राजनीतिक चश्मे से देखे उसको हम कंसीडर कर लेंगे और आपके प्रस्तावों को भी सम्मिलित कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंहजी रावत। यह प्रश्न डांग विकास से सम्बन्धित है। आपका पूरक प्रश्न डांग विकास से सम्बन्धित हो, इधर-उधर नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि नरेगा योजना देश में वर्ष 2007-08 में शुरू हुई थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य राजस्थान में हुआ था।

श्री अध्यक्ष: नहीं। बिलकुल नहीं। ...(व्यवधान)... अगला पूरक प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', यह डांग विकास से सम्बन्धित है। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, नहीं। डांग विकास से सम्बन्धित ही होगा, मैंने पहले ही कह दिया। ...(व्यवधान)... विराजिए, विराजिए। नरेगा नहीं आएगा इसमें। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में डांग परियोजना, उसी के अंतर्गत मैं कह रहा हूं, मेरे यहां गाडा क्षेत्र की पांच-सात पंचायतें हैं, उनमें 82 गांव हैं, उनकी काफी लम्बे समय से मांग भी है कि उनको मगरा योजना से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री महोदय फरमायें कि मेरे जो 24-25 गांव हैं उनको मगरा योजना में जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

फतेहपुर (सीकर) में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

105. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के फतेहपुर में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब जारी की गई एवं इसका भवन कब बनाया गया? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रोमा सेन्टर बनाने पर कितनी लागत आई एवं वर्तमान में इसमें कितने चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टॉफ कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रोमा सेन्टर पर कौन-कौन से उपकरण कब से स्थापित हैं एवं उनका अब तक क्या-क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा सीकर जिले के फतेहपुर में ट्रोमा सेंटर खोलने की स्वीकृति जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त ट्रोमा सेंटर के भवन का निर्माण दिनांक 30.01.2012 को पूर्ण कर दिनांक 08.02.2012 को विभाग को हैंडओवर किया गया। इसका संचालन दिनांक 04.04.2012 से प्रारम्भ हुआ।

(2) उक्त ट्रोमा सेंटर पर 131.58 लाख रुपए की कुल लागत आई जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। ट्रोमा सेंटर पर चिकित्सकों के 6 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 5 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं एवं एक पद रिक्त है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

नर्सिंग स्टाफ के 5 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 7 नर्स कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त ट्रोमा सेंटर में पैरा मेडिकल का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(3) उक्त ट्रोमा सेंटर पर स्थापित उपकरणों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

ट्रोमा यूनिट में अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने के कारण क्रम संख्या 1 से 4 का उपयोग नहीं किया गया है। शेष उपकरणों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एकदम सीधा, कोई भूमिका नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एकदम सीधा। माननीय मंत्री महोदय सीकर जिले से, फतेहपुर से आते हैं, यह इनकी जन्म स्थली हैं। माननीय राज्य मंत्रीजी हैं, वह भी सीकर जिले के हैं। फरवरी, 2012 में यह ट्रोमा सेंटर चालू हो गया, आज तक आर्थो का डाक्टर वहां पर लगा नहीं, इनकी ओटी आज तक चालू हुई नहीं। अब मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, जो इन्होंने जवाब दिया है, परिशिष्ट-ब में डाक्टरों के नाम नहीं बताए। फतेहपुर में सीएचसी भी कार्यरत है, चालू है, काफी वर्षों से चालू है। मैं मंत्री महोदय, आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूं पहले पूरक प्रश्न में कि सीएचसी में कौन-कौनसे डाक्टर किस-किस पद पर कार्यरत हैं? वर्तमान में, आपके ट्रोमा सेंटर में कौन-कौनसे डाक्टर वहां आज की तारीख में कार्यरत हैं, किस पद के विरुद्ध कार्यरत हैं? दोनों में मिलाकर बता दीजिए कितने डाक्टर स्वीकृत हैं और कितने डाक्टर कार्यरत हैं और कितने का पदस्थापन, डेपुटेशन किया गया है, बस इतना-सा बता दीजिए। फिर दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, देखिए, ट्रोमा सेंटर में 6 पद स्वीकृत हैं उनमें से 5 कार्यरत हैं, अस्थि रोग का जहां तक सवाल है, आपने कहा कि अभी तक लगा ही नहीं तो मैं बताऊंगा कि डाक्टर संजीव पूनिया 10 फरवरी, 2010 से 30 सितम्बर, 2014 तक वहां कार्यरत थे। उसके बाद डाक्टर अटल सिंह 23.12.16 से 27.02.17 तक कार्यरत थे। उसके बाद डाक्टर महेन्द्र स्वामी, 09.07.17 से 22.09.17 तक कार्यरत थे। इनका झालावाड़ मेडिकल कालेज में सलेक्शन हो गया, इसलिए वह वहां चले गए। अब जैसे ही यह जानकारी मिली तो हमने परसों ही डाक्टर विजेन्द्र कुमावत को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीएचसी, सीएचसी में कौन-कौन कार्यरत हैं। आप डाक्टरों के नाम बता दो दोनों जगहों के।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने ट्रोमा सेंटर की बात की है।

श्री अध्यक्ष: सीएचसी का इसमें नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सीएचसी का इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष: केवल ट्रोमा सेंटर है। केवल ट्रोमा सेंटर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीएचसी भी वहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, सीएचसी का आपने नहीं पूछा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ट्रोमा सेंटर के डाक्टरों के नाम बता दो। इतना तो कर सकते हो। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ट्रोमा सेंटर का मैंने बता दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डाक्टर विजेन्द्र कुमावत को परसों लगा दिया है वहां। अब आपके अस्थि रोग विशेषज्ञ की भी कमी नहीं रहेगी। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं क्या, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मैं तो आपसे भी संतुष्ट हूं और आपसे भी संतुष्ट हूं। मेरी दोनों पक्षों से संतुष्टि है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुन लीजिए। मान लीजिए, अध्यक्ष महोदय। आप विराजें मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं एक मिनट आपको बता दूं, ट्रोमा सेंटर में एनेस्थीसिया के रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन 15.07.2013 से लगातार कार्यरत हैं और सर्जरी रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिराम चौधरी 2015 से वहां पर कार्यरत हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: एक सवाल और कर लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दोनों डाक्टर बता रहे हैं, ये सीएचसी में कार्यरत हैं, ट्रोमा सेंटर में नहीं। मंत्री महोदय द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह असत्य है और जो डाक्टर सीएचसी में लगाए हुए हैं, वो डॉ. प्रभाकर कुमावत, एमओ, रानोली डेंपुटेशन पर हैं, डॉ. पूजा, एमओ, घांघू, चूरू डेपुटेशन पर हैं, डॉ. संदीप अग्रवाल, बहरोड़, ये माननीय मंत्री महोदय के आशीष से डेपुटेशन पर हुए हैं या इनके स्वयं के विवेक से हुए हैं, मुझे नहीं पता। ये सीएचसी और ट्रोमा में 12 डाक्टर मिनिमम स्वीकृत हैं। 12 में से 4 डाक्टर वहां पर कार्यरत हैं। ट्रोमा का जो जवाब दिया है कि 6 में से 5 कार्यरत हैं, मैं इस सदन में मंत्री महोदय को चैलेंज करता हूं कि वह आदेश की कॉपी रख दें। आप जो कहेंगे, वह मैं कर लूंगा, लेकिन यह नहीं चलेगा। ऐसे आशीष से, विवेक को काम में लेते हुए इस तरह से डाक्टरों का डेपुटेशन किया जा रहा है। न सीएचसी में डाक्टर हैं, न ट्रोमा सेंटर में डाक्टर हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो जवाब दिया है, वह बिलकुल असत्य है। आप उसकी कॉपी दे दीजिए कि ये डाक्टरों का पदस्थापन हमने ट्रोमा सेंटर के नाम से कर रखा है। ट्रोमा सेंटर में केवल एक डाक्टर की पोस्टिंग है। उसके अलावा सीएचसी में है और जो सीएचसी में लगाए हुए हैं, उन डाक्टरों का पदस्थापन इनके आशीष से हुआ या इन्होंने अपने विवेक को काम में लिया।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या है यह? है क्या यह? आरोप लगाने की पराकाष्ठा है यह। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये? आप सीधा सवाल करें ना। सवाल करें आप। अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? प्रश्नकाल में बेहूदी बातें करना। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने गलत नहीं कहा। ...(व्यवधान)... या तो अपने विवेक का इस्तेमाल किया होगा। ...(व्यवधान)... मैं कब बोल रहा हूं कि आपने पैसे ले लिए। मैं कब कह रहा हूं कि मंत्री महोदय ने पैसे लिए हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह अविवेकपूर्ण सवाल है। कैसे आप बोलते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आशीष से किया या विवेक को काम में लिया। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बाकी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका सवाल भी अविवेकपूर्ण है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान)... आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवाल पूछने के लिए किस बात की शर्म? मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या यह डेपुटेशन का तरीका है? ये आपके आशीष से हुए या आपने अपना विवेक काम में लिया?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, आपका सवाल ही अविवेकपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं? सीधा सवाल करें, मंत्रीजी पाइन्टेड जवाब दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दे दिया इन्होंने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दोनों डाक्टरों का नाम बता दें पीएचसी और सीएचसी में। वहां पर कौन-कौन से डाक्टर काम कर रहे हैं। मैं आप जो कहेंगे, वह सज़ा भुगत लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, नाम बता देंगे हम।

श्री अध्यक्ष: यहां कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। यहां मंत्री जो जवाब देंगे, वह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, स्वीकार करेंगे, लेकिन असत्य होगा तो मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाऊंगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां, लाइए लाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ट्रोमा सेंटर के नाम पर आपने कोई पोस्टिंग नहीं कर रखी। सीएचसी के डाक्टरों को भी आपने डेपुटेशन पर लगा रखा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यहां चैलेंजबाजी नहीं होगी। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या आपको यह प्रक्रिया मालूम नहीं है? आप इतने पुराने हो गए। सचेतक हैं। यह प्रक्रिया आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई गलत उत्तर देता है तो उसके लिए क्या तरीका है। फिर यहां क्यों हल्ला मचा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, मुझे पता है, लेकिन इन्होंने आशीष और विवेक को काम में लेने की प्रक्रिया अपना रखी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लेकिन आपका व्यवहार अविवेकपूर्ण है। अविवेकपूर्ण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब, जवाब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस तरह जवाब नहीं आएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सर....सर...

श्री अध्यक्ष: नो, नो नो.।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलाइए, 12 डाक्टर कौन-कौनसे हैं। माननीय मंत्री महोदय, खुद का जिला है, खुद की जन्म स्थली है, उसके बावजूद डाक्टरों को.... ...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है और जवाब देना नहीं इनको। मुझे 12 डाक्टर के नाम बता दें सीएचसी में कौन लगा हुआ है और ट्रोमा सेंटर में कौन लगा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा। ट्रोमा के संबंध में। ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं किस तरीके से फतेहपुर के अंदर ट्रोमा सेंटर खोला गया, किस तरीके से राजस्थान में अन्य जगहों पर भी ट्रोमा सेंटर खोले गए थे, लेकिन कई ट्रोमा सेंटर ऐसे हैं, जहां पर आज दिन तक भी भवन निर्माण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। नॉट अलाउड।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर ट्रोमा सेंटर की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: केवल सीकर के ट्रोमा सेंटर के संबंध में। बैठिए। ट्रोमा सेंटर केवल सीकर का। ...(व्यवधान)... अगला सवाल श्री हनुमान बेनीवाल। ...(व्यवधान)... जवाब नहीं आएगा। श्री हनुमान बेनीवाल। ...(व्यवधान)... बताने की जरूरत नहीं। ऐसे जवाब नहीं आते हैं। वो सब हो गया। मैंने सुन लिया सारा। जवाब नहीं आएगा। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो संस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की, उन्हें उजागर करने का समय आया हुआ है।

मूंडवा (नागौर) में अम्बूजा सीमेंट के प्लांट की स्थापना

106. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले के मूंडवा में अंबूजा सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को सरकार को प्लांट स्थापित करने की समय अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से लिखे गये पत्र पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कंपनी के आग्रह पर पुन: प्लांट स्थापित करने की समय अवधि बढ़ाई गई है? यदि हां, तो किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कंपनी के सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए अब तक कितनी सरकारी भूमि कहां-कहां अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कंपनी हेतु अधिग्रहित/आबंटित भूमि के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो रोक के उपरान्त भी प्लांट स्थापित करने वाले स्थान पर कंपनी द्वारा निर्माण कार्य किस स्तर की सक्षम अनुमति से करवाया जा रहा है एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है व नहीं, तो सरकार के पास कंपनी के पक्ष में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(5) क्या सरकार कंपनी द्वारा प्लांट लगाने की शर्तों का उल्लंघन करने पर समय अवधि विस्तार हेतु लगाए गये आवेदन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) नागौर जिले में मूंडवा में अंबूजा सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेन्ट प्लांट स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग के समक्ष दिनांक 12.12.2016 को प्लांट स्थापित करने की समयावधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

विभाग के पत्र क्रमांक प.4(54)उद्योग/1/1986 दिनांक 02.02.2017 से उक्त प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त अजमेर को परीक्षण कर राय/अभिशंषा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

हस्तगत प्रकरण में संभागीय आयुक्त अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2017 से जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 09.05.2017 के आधार पर मैसर्स अंबूजा सीमेंट लिमिटेड को ग्राम मारवाड़, मूंडवा, नागौर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु समयावधि विस्तार किये जाने की अनुशंसा की।

कम्पनी के द्वारा समयावधि विस्तार के निवेदन के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 05.01.2018 एवं 11.01.2018 को बैठक आयोजित की गई जिसमें अन्य विभागों एवं कम्पनी का पक्ष सुना गया। कम्पनी द्वारा मांगे गये समयावधि विस्तार में प्लांट निश्चित रूप से पूर्ण करने बाबत् विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जो कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये है। इनका परीक्षण किया जा रहा है।

(2) कम्पनी द्वारा समयावधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.12.2016 के संबंध में प्रकरण विचाराधीन/प्रकियाधीन है।

(3) सरकारी भूमि हेतु अवाप्ति की आवश्यकता नहीं होती है।

(4) कम्पनी हेतु अधिग्रहित/आबंटित भूमि के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पर आदेश क्रमांक F. No. Z-11011/6/2013-IA-II (I) दिनांक 24.07.2013 से रोक लगाई गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पर

(उद्योग मंत्री)

आदेश क्रमांक F. No. Z-11011/6/2013-IA-II (I) दिनांक 06.12.2016 से रोक हटा ली गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(5) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(54)उद्योग/1/1986 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा कम्पनी को दिनांक 31.12.2016 तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई थी। कम्पनी द्वारा समयावधि विस्तार हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में कार्यवाही विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर 1.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दीजिए कम से कम। यह मामला पिछले साल भी सदन में आया था।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट की भूमिका। बस एक मिनट की भूमिका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आधे घंटे की चर्चा भी आपने फरमाई थी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने नहीं फरमाई थी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): थोड़ी भूमिका इसके अंदर जरूरी है, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब। मैं आपकी बात सबसे ज्यादा मानता हूं, साहब। 1988 में मूंडवा में सीमेंट प्लांट के नाम से जमीन अलॉट की गई थी। इसमें सरकारी जमीन के साथ-साथ गोचर, अगोर और दूसरी जमीनें भी थीं। 1988 में केईसी इंटरनेशनल को दस वर्ग किलोमीटर की लीज पांच साल के लिए, 1981 में केईसी ने अपने सारे अधिकार इंडोलेपोन को सैकिण्ड बार बेच दिये। 2007 में 1203 बीघा प्रथम चरण, 2009-10 में 999 बीघा के बाद 2381 बीघा जमीन निजी खातेदारों की अवाप्त की गई है। 504 बीघा अगोर में 104 बीघा गोचर भूमि को भी आबंटित कर दिया। 2003 में राजस्थान की सरकार ने खनन पट्टों को निरस्त कर दिया कि 1988 तक लीज अलॉट की है, 2003 तक आप क्यों लेकर बैठे हो तो इन्होंने दिल्ली में रिवीजन अपील की, जिसमें 2008 तक वहां प्लांट स्थापित करके रोजगार देना था और 2008 से लेकर 2014 तक हर बार 2-2 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया और पिछली साल जब

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बजट सत्र था तो मेरा सवाल भी था और आपने आधे घंटे की चर्चा फरमाई थी। उसमें मंत्रीजी ने यह कहा कि इस बार पूरा देखकर एक्सटेंशन दिया जाएगा और 16 दिसंबर, 2016 में इसका एक्सटेंशन खतम हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी सदन के अंदर यह बोल गए....

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब मैं पूरा कर देता हूं। इन्होंने यह घोषणा की कि एक्सटेंशन देखकर सारे राज्य हित में किया जाएगा और मैं मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि एक साल हो गया, कंपनी वाले इनके घर के बाहर +++ और इन्होंने अभी तक एक्सटेंशन नहीं दिया। इस बात के लिए तो इनको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: +++ यह ड्रोप कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, बाकी जितने भी हमारे इससे पहले उद्योग और खनिज के मामले थे, हर दो-दो साल के एक्सटेंशन के +++ पहुंच जाते थे। अब कहां जाते थे, यह नहीं पता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐतराज है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुकिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, पाइन्टेड सवाल पूछें। ये कह रहे हैं, +++ पहुंच जाते थे। कोई भी आरोप लगाकर चले जाते हैं। इसको एक्सपंज कराओ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: +++ आरोप भी एक्सपंज किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ रख दो, साहब। कुछ तो हमारी बात रखो साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने जब विचाराधीन का जवाब यहां दिया तो सम्भागीय आयुक्त, अजमेर ने दिनांक 10.05.2017 को जिला कलेक्टर, नागौर के पत्र दिनांक 09.05.2017 पर किन नियमों के तहत समयावधि, एक्सटेंशन, विस्तार किये जाने की अनुशंसा की? एक तो यह है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दूसरा, 27.05.2015 को खनिज अभियंता, नागौर के पत्र 31.12.2014 तक की अवधि, अन्तिम बार, उन्होंने नोटिस दिया कि अन्तिम बार बढ़ाये जाने का आपको नोटिस दिया है और 20.02.2015 को दिये गये नोटिस पर 30 दिन में जवाब नहीं देने का उल्लेख होने के बावजूद किस आधार पर कम्पनी का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है? अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से इतना जानना चाहता हूं कि सम्भागीय आयुक्त और कलेक्टर आपसे ऊपर नहीं हो गये। जब आपने कहा कि मामला विचाराधीन है तो कम्पनी वहां काम नहीं करा सकती पर कम्पनी वहां लगातार काम करा रही है और इस सदन में आधे घंटे की चर्चा होने के बाद भी आपके आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। कम्पनी वहां काम करा रही है और कुछ राजनेताओं का उसको संरक्षण भी है।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो, सवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर महत्वपूर्ण गड़बड़ हुई है वह उद्‌योग विभाग के अन्दर, खनिज विभाग के अन्दर हुई है और शायद मंत्रीजी को पूरी जानकारी नहीं होगी। मैं, मंत्रीजी से यह चाहता हूं कि वो काम किन नियमों के तहत कर रहा है और सम्भागीय आयुक्त और जिस कलेक्टर ने रिकमंडेशन की है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे? 5 हजार बीघा आज उसके पास है, लैण्ड बैंक बना रखा है अध्यक्ष महोदय उसने।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्‌योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सदन में जब पिछले बजट सैशन में यह प्रश्न उठाया गया, तब मैंने कहा था कि यह बात सही है कि 1986 में के.ई.सी. इंटरनेशनल नाम की कम्पनी ने एक पोर्टलैण्ड सीमेंट का और सल्फेट रेसिस्टेंट ऑयल का प्लांट लगाने के लिए 2700 बीघा जमीन मांगी थी। उस 2700 बीघा जमीन में से केवल हम एक हजार बीघा का 1988 के अन्दर अलॉटमेंट कर पाये। उस जमीन का 1992 में पजेशन दिया और लीज एग्जीक्यूट हुई 1993 में। माननीय 1993 के अन्दर, 1994 तक उस आदमी को प्लांट लगाना था लेकिन 1994 में प्लांट नहीं लग पाया, उसकी चर्चा मैं अलग से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करूंगा कि किन-किन कारणों से वो प्लांट अभी तक नहीं लग पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम्पनी 1986 के अन्दर 2700 बीघा जमीन प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए मांगती है उसको हम एक हजार बीघा जमीन देते हैं। जैसाकि माननीय सदस्य खुद ने कहा कि उस एक हजार बीघा में भी आगोर की जमीन थी, उस एक हजार बीघा के अन्दर गोचर की जमीन थी। अब्दुल रहमान के मामले में जब यह पी.आई.एल. लगी तो 500 बीघा से ज्यादा जमीन का अलॉटमेंट कैन्सिल कर दिया गया। फिर गोचर की 132 बीघा जमीन का अलॉटमेंट 2013 में जाकर कैन्सिल किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं बार-बार यह तो कहने की तकलीफ करता हूं कि 1988 के अन्दर जमीन अलॉट हुई थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने की तकलीफ नहीं करता कि जो जमीन मुझे 1988 में प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए अलॉट हुई थी उसमें से 132 बीघा जमीन का अलॉटमेंट आप 2013 में कैन्सिल कर रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कम्पनी ने 2700 बीघा जमीन प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए मांगी हो उसको सरकारी भूमि हम आज की तारीख में सिर्फ 365 बीघा दे पाये। यह चीज सही है कि जब प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन कम पड़ी तो उसने रीको के साथ में एम.ओ.यू. किया और कहा कि मुझे प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन चाहिए और रीको उसको जमीन 2007 में दे पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच के अन्दर यह जो पोर्टलैण्ड सीमेंट का प्लांट लगाना चाहते थे उस पर उन्होंने कहा कि हम पोर्टलैण्ड सीमेंट प्लांट की बजाय हम कैप्टिव सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैप्टिव सीमेंट प्लांट का मतलब यह है कि वहां उसे माइनिंग लीज मिली हुई हो और माइनिंग लीज के आधार पर उसकी माइनिंग करके, माइनिंग के प्रोडक्ट से सीमेंट का प्रोडक्शन करना, यानी माइनिंग लीज और प्लांट लगाना। माइनिंग और प्लांट लगाना दोनों इंटर-रिलेटेड चीज हो गई कैप्टिव पावर प्लांट में। उसने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट के लिए उसको जब दो माइनिंग लीज अलॉट हुई तो उसे जमीन की जरुरूरत पड़ी क्योंकि जो माइनिंग लीज जिस इलाके की अलॉट हुई वह खातेदारों की जमीन थी।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चूंकि वह जमीन खातेदारों की जमीन थी इसलिए फिर वो सरकार के पास आया और कहा कि जिसकी माइनिंग लीज मुझे मिली है उस माइनिंग लीज के लिए मुझे जमीन अवाप्त करके दी जाए। उसने इसके लिए दो एम.ओ.यू. किये, एक एम.ओ.यू. किया 2007 में और दूसरा एम.ओ.यू. 2010 में किया। इन दोनों एम.ओ.यू. के तहत 999 बीघा जमीन, और 2381 बीघा जमीन जो एम.ओ.यू. 2010 में किया उसके माध्यम से हमें देनी चाहिए थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 31 दिसम्बर, 2016 की बात बार-बार करते हैं कि 31 दिसम्बर, 2016 को उसको प्लांट लगाने की परमीशन एक्सपायर कर गई। यह बात सही है लेकिन 31 दिसम्बर, 2016 तक, 2010 में किये गये एम.ओ.यू. की 2381 बीघा जमीन अगर हम दे नहीं पाते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कैप्टिव सीमेंट प्लांट लगेगा कैसे? जिस इलाके की मुझे माइनिंग लीज सैंक्शंड है उस माइनिंग लीज की जमीन अगर मेरे कब्जे में नहीं है तो मैं उसकी माइनिंग करने के बाद में कैप्टिव सीमेंट प्लांट लगा लूंगा इसकी सम्भावना नहीं है।

यह बात सही है और मैंने पिछली बार भी विधान सभा में स्वीकार किया था कि मेरी नजर में कोई सीमेंट का प्लांट ऐसा नहीं है जो किसी आदमी का सीमेंट का प्लांट लगाने का इंटेंशन 1988 में हो और 2017 तक आते-आते वैरियस रीजंस, मैं उनकी मेरिट में नहीं जाना चाहता, उनकी डी-मैरिट में नहीं जाना चाहता लेकिन 2017 आ जाए और 2017 तक सीमेंट का प्लांट न लग पाए For whatsoever reason. I don't want to go into the details of the merits of the case. यह अपने आपमें आश्चर्य पैदा करता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

यह भी सही है कि जमीन अलॉट हुई के.ई.सी. इंटरनेशनल के नाम पर, वो इनकी प्रमोटर कम्पनी है। कम्पनी लॉ में प्रोविजन है और कम्पनी लॉ के प्रोविजन के तहत वो कम्पनी एक प्रमोटर कम्पनी बना सकती है और प्रमोटर कम्पनी के नाम से लीज को ट्रांसफर कर सकता है। उसके आधार पर वो इंडिपेंडेंट कम्पनी के नाम से लीज ट्रांसफर हुई। आपका यह कहना है कि इतने साल तक रोजगार मिलता। यह बात सही है। इसमें कोई सन्देह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

नहीं है कि वहां पर सीमेंट का प्लांट अगर लगा होता तो लोगों को रोजगार मिलता। हमारा भी यही इंटेंशन है और हमारा ही नहीं 1988 से लेकर 2017 तक जितनी भी सरकारें आईं, उन सभी सरकारों का यही इंटेंशन था कि नागौर के अन्दर, मूण्डवा के अन्दर सीमेंट का प्लांट लगे, सीमेंट का प्लांट लगने से इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार बात करते हैं डवलपमेंट की। डवलपमेंट के साथ-साथ इन्क्लुजिव डवलपमेंट की बात नहीं करते। जब हम औद्योगीकरण की बात करते हैं तो औद्योगीकरण राजस्थान के किसी इलाके तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि राजस्थान का औद्योगीकरण भिवाड़ी तक सीमित है, अलवर डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, शाहजहांपुर तक सीमित है। अगर राजस्थान का इन्क्लुजिव डवलपमेंट करना चाहते हो, राजस्थान के एम्प्लॉयमेंट को इक्वल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करना चाहते हैं तो राजस्थान के हरेक इलाके में एक तरह से, समान रूप से इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट किस प्रकार से हो पाए इसकी हमें चिंता करनी चाहिए।

जहां तक नागौर का ताल्लुक है, जहां से माननीय सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर की स्थिति कोई शुभ नहीं है। अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है लार्ज स्केल इण्डस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ है और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री में उतना नहीं हुआ है.....

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें, मिस्टर बेनीवाल।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं। उसके बाद में आप पूछ लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री जवाब लेंगे तो मैं यहीं पर हूं, सदन में हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहां कोई भाषण सुनने थोड़े ही बैठे हैं, यह तो बाद में ही कर देना। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ये कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ध्यान तो दो, साहब। मैं प्रश्न ही तो कर रहा हूं फिर टाइम हो जाएगा, आप घंटी बजा दोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दो। पहले जवाब आ जाने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 11.57 तो हो गये। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप तो यह बताओ.....

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों लगातार सरकारें, कई सरकारें, लगभग सारी सरकारें एक्सटेंशन देती रहीं और उसका मुझे मोटा-मोटा आकलन समझ में नहीं आया पर फौरी तौर पर मैं इतना कह सकता हूं....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ... कि नागौर में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की रफ्तार बहुत कम है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट राजस्थान का अगर हम देखें तो लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट नागौर में राजस्थान के मुकाबले केवल 0.27 परसेंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब एक सवाल तो मैं मेरा पूछ लूं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन 0.19 परसेंट है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक जवाब दिला दो आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ..... इन्वेस्टमेंट है 2.7 परसेंट। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष जी, मेरा एक जवाब तो दिलवाओ। अब भाषण बहुत हो गया। एक मिनट रुको। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है 2.4 परसेंट। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी यह चिंता बिलकुल वाजिब है और पिछली बार मानिक जी भाईसाहब ने भी आधे घंटे की चर्चा की थी तब मैंने निवेदन किया था और मैंने यह कहा था कि इस बार.....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मानिक जी से आप बाद में बाहर गैलेरी में चर्चा कर लेना। (व्यवधान) गैलेरी में मानिक जी भाईसाहब से और चर्चा कर लेना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ...उद्योग विभाग के द्वारा इस बार, चूंकि उद्योग विभाग इसका लास्ट टू लास्ट एक्स्टेंशन दे चुका है इसलिए उद्योग विभाग अपने स्तर पर अगली बार एक्स्टेंशन देगा, इसकी सम्भावना को मैंने पिछली बार ही निरस्त कर दिया था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, बात सुन तो लो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिंता आपने की है और चिंता मेरे समझ में नहीं आई कि यह चिंता वहां पर उद्योग लगाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए है या यह चिंता उद्योग लग क्यों रहा है, वहां पर इसकी चिंता है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): जवाब दो, टाइम पास मत करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्रीजी, मेरा जवाब तो दो, ऐसा क्या कर रहे हो? मैंने आप पर आरोप थोड़े ही लगाया है जो आपने ऐसा भाषण शुरू कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा पूछना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हो कि एक्स्टेंशन देने का हमारे पास विचाराधीन है और परमिशन आपने दी नहीं तो फिर वहां निर्माण कार्य सम्भागीय आयुक्त और कलेक्टर किसके आदेश से करा रहे हैं? यह तो बताओ या यहां आप यों ही भाषण देते हो और राजस्थान में आपकी कोई मानता नहीं, यह भी बता दो ताकि फिर यहां क्यों बकवास करें विधान सभा के अन्दर। आप इसके बारे में बताओ कि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्या करोगे? (व्यवधान) या फिर सैटिंग कर ली है आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से इस विषय पर आधा घंटे की चर्चा उठाई थी।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आप मांग लीजिये। प्रश्नकाल समाप्त। आप कोई रिक्वैस्ट करेंगे, आएगी कोई रिक्वेस्ट आधा घंटे की चर्चा की तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अलाउ कर दूंगा। रिक्वैस्ट तो आए कहीं से। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आधा घंटे की चर्चा को आपने अलाऊ किया था।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने नहीं किया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पहले किया था, यह मेरे पास डाक्यूमेंट है।

श्री अध्यक्ष: पिछली बार की बात गई। श्री मानिक चन्द जी सुराना, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। वह पिछले सैशन की बात होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: इस सैशन में इस बार की बात होनी चाहिए। विराजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): वह ठीक है। वह चर्चा उठाने की परमिशन दी, उसके लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें, इससे पहले मैं निवेदन कर रहा था कि इसी मामले में तारांकित प्रश्न भी इसी रूप में पहले आ चुका है। आधा घंटे की चर्चा की भी आसन ने अनुमति दे दी और हमारे नियमों में लिखा है कि एक बार कोई मामला सदन में आ जाये, उस पर बार-बार, बार-बार अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। बैठिये। बैठो मिस्टर लाम्बा। मिस्टर हबीबुर्रहमान, विराजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सिद्धमुख वितरिका के सिंचाई के पानी की चोरी होने से किसानों द्वारा बार-बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में।

श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से... यह तो आपने आज बीमार होने की वजह से बोलने से मना कर दिया है ना मानिकजी?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कल रखूंगा मैं। कल रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां तो कल रखिये। आज के लिए तो मना आ गया है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से भारत सरकार के... नहीं, मैंने आपको अलाउ किया था कि मैं आपको अलाउ कर दूंगा परन्तु आज सूचना आई आपकी तरफ से कि आज आप नहीं बोलेंगे। कल बोल दीजिये। मुझे कोई एतराज नहीं है।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से भारत सरकार के उपक्रम सांभर साल्ट्स लि. के विधिक कनेक्शनों को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के राजस्व गांव बड़ोपाल, मानकयेली के किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से उपखण्ड कार्यालय पर धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षा (संगीत तथा चित्रकला) का अध्यापन न कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के जहाजपुर एवं कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय

खोले जाने के संबंध में।

(6) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में मीना व मीणा दोनों जातियों को एक ही मानकर अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक से हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री धीरज गुर्जर, श्री हीरा लाल दरांगी एवं श्री पूरणमल सैनी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमृत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के माइनिंग क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वृहद जलप्रदाय योजना से वंचित रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से पाक विस्थापित हिन्दू परिवारों को भारतीय नागरिकता मिलने के बावजूद पाक विस्थापित कहे जाने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से गंगानगर जिले की गोमावाली और गंग नहर की करणीजी माइनर का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग के लैब टैक्नीशियनों की वेतन विसंगतियां दूर करने के संबंध में।

(6) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी को जिला

(श्री अध्यक्ष)

घोषित किये जाने के संबंध में।

(7) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मुक्ता प्रसाद कालोनी में सड़कों की स्थिति सुधारने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ कालेजों की फीस बढ़ाये जाने से छात्रों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में राजकीय विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिये जाने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बंद पड़ी डर्बी टैक्सटाइल को चालू करवाने के संबंध में।

(11) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मनोहरथाना, अकलेरा व झालरापाटन में पात्र लोगों का बेस लाइन सर्वे में नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर जिला मुख्यालय पर महिला आयुर्वेद कालेज की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 14 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री नवनीत लाल	जिला बांसवाड़ा में माही डेम की नहरों का पानी टेलों तक नहीं पहुंचने से फसलों को हो रहे नुकसान के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

2.	श्री शुभकरण चौधरी	पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के मुकदमा संख्या 32/14, 108/16, 133/17, 143/17, 394/17, 26/18 को सीआईडी (सीबी) में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।
3.	श्री प्रताप लाल भील	विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ट्रोमा सेंटर के अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने के संबंध में।
4.	श्री तरुण राय कागा	पाक विस्थापितों को वन एवं गोचर भूमि से पुन: विस्थापित नहीं करने के संबंध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

बधाई एवं आभार

रघु शर्मा, डा. को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी अजमेर से नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर रघु शर्माजी को इशारों से बधाई दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इनको शब्दों से भी बधाई के लिए निर्देशित कर दिया जाए या आप दे दें। आपने यू.पी. चुनाव की भी बधाई दी थी। हमारे सांसद महोदय यहां हैं, उनको बधाई दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रघु शर्माजी के चुनाव में विजयी होने पर मैं भी उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरा सदन। पूरा सदन मेज थपथपाकर स्वागत करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने बधाई दे दी तो हमारे नेता के साथ हम भी आ गये और रघु शर्मा को बधाई देते हुए हमें क्या संकोच है। लोकतंत्र में फैसला सर माथे है। रघु शर्माजी को बहुत-बहुत बधाई। और पूछिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे दी, आपकी सबकी तरफ से बधाई दे दी। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा और हनुमान

(श्री सुखराम विश्नोई)
बेनीवाल का स्थगन था। हनुमान बेनीवाल का और मेरा स्थगन लगना था आज।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, बधाई दे रहे तो भी आप नहीं मानते हो माननीय सदस्य। आप आपके नेता द्वारा इस तरह का... (व्यवधान) आपके नेता द्वारा जो बधाई दी गई है, उसको आप नहीं मानते हो। (व्यवधान) हमारे तो नेता ने बधाई दे दी, सदन की नेता ने दे दी, हमने दे दी।

श्री अध्यक्ष: मैंने शकुन्तला रावत को पुकारा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। आप नहीं चाहते थे कि रघु शर्मा जीते, आपका मंसूबा पूरा नहीं हुआ, आपको तकलीफ इस बात की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने मदद की, उसके लिए आपका भी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कृपया शान्त रहें, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण कीजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षा अध्यापन का अभाव

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कला शिक्षा (संगीत तथा चित्रकला) अनिवार्य विषय होने के बावजूद भी कला शिक्षा की पढ़ाई नहीं होने के संबंध में मैं विवेदन करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश के विद्यालयों में 100 से अधिक छात्रों के नामांकन पर कला शिक्षा (संगीत तथा चित्रकला) के अध्यापन का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षा का अध्यापन आज दिन तक नहीं करवाया जा रहा है जबकि यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

क्रमांक विधि सूचना/11.11.2015, टी-4642 दिनांक 17.3.2016 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के पत्र क्रमांक राज.राज्य शैक्षिक अप्रसं/उदयपुर एवं विसरा 9/प्रा.1/एफआरआईटी-17 दिनांक 05.09.2017 द्वारा माना है कि राज्य के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कला शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में शामिल है लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्कूलों में कला शिक्षकों के पद सृजित नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को कला शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। दूसरी ओर कला शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री होल्डर बेरोजगार युवकों को रोजगार से भी वंचित रखा जा रहा है। एक तरफ तो डिजिटल इण्डिया में यह प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।

यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि 2016 में कक्षा 9 हेतु 42,000 पुस्तकें, कक्षा 8,9 और 10वीं के लिए 2,26,000 पुस्तकें पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के द्वारा अध्यापन हेतु छपवा ली गई थीं लेकिन आज तक उन्हें स्कूल में वितरित नहीं किया गया है जिनके मुद्रण पर कितना लाखों रुपया खर्च हुआ होगा...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये विराजिये। आपने ध्यान खींच लिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूलों में इसका अध्यापन हो रहा है, सरकारी स्कूलों में नहीं हो रहा है। बेरोजगार युवकों में रोष व्याप्त है। अत: मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी और मांग करती हूं सदन के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। आपने ध्यान खींच लिया। आप विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। आपने ध्यान खींच लिया। विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...कि प्रदेश के स्कूलों में कला शिक्षकों के और अनुदेशकों के पद सृजित करके विद्यार्थियों को संगीत, चित्रकला का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि तनाव मुक्त होकर के उन बेरोजगारों को रोजगार मिल सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सर, जवाब दे रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: अच्छा आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये पर्ची है।

श्री अध्यक्ष: Sorry. Yes, you have to respond.

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत कक्षा 10 तक समस्त विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाते हैं। उनमें कोई भी ऐच्छिक विषय के रूप में, ये विषय नहीं है। इन विषयों को पढ़ाने का प्रशिक्षण हमने बी.एस.टी.सी. के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। दिनांक 04.11.1992 में इन विषयों में कोई नियुक्ति नहीं दिये जाने का निर्णय किया गया। आपको ध्यान होगा, एन.सी.ई.आर.टी. की अधिसूचना दिनांक 03.09.2001 में इसको सह-शैक्षणिक गतिविधि माना गया है और इसके माध्यम में हमने सारा जो निर्णय किया, उसमें बी.एस.टी.सी के जो विद्यार्थी हैं, उनको इसके प्रशिक्षण दिये जा रहा हैं। साथ में, इस विषय के एक सप्ताह में दो कालांश आते हैं। दो कालांशों के लिए अलग से टीचर रखना कठिन होता है, इसलिए प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं, यही इन विषयों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और साथ में ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इनका मूल्यांकन जो है, परीक्षा में श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता, केवल इनको ग्रेडिंग दी जाती है और साथ के अन्दर इन सारे विषयों की पढ़ाई आज भी हो रही है और बी.एस.टी.सी. के प्रशिक्षित अध्यापक, इसको पढ़ा रहे हैं और नि:शुल्क अनिवार्य कला शिक्षण की अधिसूचना, आपने 2011 का जिक्र किया, उसमें हमने एस.डी.एम.सी. को यह पावर दिये हैं कि वह अपने स्तर पर मानदेय पर इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करें, अत: वो इसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जब अध्ययन ही नहीं है तो किताबें क्यों छपवाई गईं, लाखों रुपया खर्च क्यों किया गया? सरकार का पैसा खर्च हुआ है, साहब।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं, वे दे रहे हैं, जवाब। बस वो जवाब देंगे, वहीं सुनना पड़ेगा आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब फिर कभी बहस में आधे घन्टे की चर्चा करायेंगे, इसका पूरा उत्तर दूंगा, इसलिए इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, अध्यापन का है, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक, श्री धीरज गुर्जर, एबसेन्ट। श्री हीरा लाल दरांगी।

झाड़ोल में मीना व मीणा को एक जाति मानकर प्रमाण पत्र की मनाही

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मीणा और मीना जाति के जाति प्रमाण पत्र को लेकर डेढ़ साल पूर्व विवाद चला था। प्रदेश में तो हल हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा झाड़ोल के उपखण्ड झाड़ोल में आज भी मीणाओं और मीना को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। वहां के उपखण्ड अधिकारी द्वारा मीणा और मीना जाति के लिए, जो प्रमाण पत्र लेने के लिए जाते हैं, उनके आवदेन ही निरस्त कर दिये जाते हैं। यहां तक कि ई-मित्र वालों को भी निर्देश दे दिये हैं एस.डी.एम. साहब ने, कि आप लोग अगर आनलाइन आवेदन चढ़ाओगे तो आपका लाइसेन्स निरस्त कर दूंगा। अत: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी झाड़ोल में युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एस.डी.एम. झाड़ोल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए या उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश देकर आम जनता को राहत दिलाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मीणा और मीना प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 13978/2013 सुगन लाल भील बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1644/2014, देवीलाल खांट बनाम राज्य सरकार व अन्य, डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10435/2014, मोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 14221/2014 हरिशंकर मील बनाम राजस्थान व अन्य तथा रिट याचिकाओं में विचाराधीन होने के कारण अर्द्ध न्यायिक है। यह सब जुडिस है और 37 (2) में अपने प्रोविजन है कि सब-जुडिस कोई भी किसी कोर्ट में है तो उसके ऊपर सदन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

में बहस नहीं हो सकती। फिर भी माननीय सदस्य को कहता हूं कोई विषय अगर ऐसा है इर्रेगुलेट हो तो मेरे को बतायें, उसका हम हल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरण मल सैनी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय, यह उठाया है कि झाड़ोल में नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सब-जुडिस है, अपन यहां डिस्क्स नहीं....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां सब-जुडिस लगती है मेरे को तो। हर नौकरियां ही सब-जुडिस, विवाद भी आरक्षण भी सब-जुडिस।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में मीणाओं के जाति प्रमाण-पत्र बन रहे हैं, उदयपुर जिले में सभी उपखण्ड अधिकारी बना रहे हैं, झाड़ोल में ही ऐसा क्या है।

श्री अध्यक्ष: चलो, ठीक है। श्री पूरण मल सैनी।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में दो से अधिक संतानों पर अयोग्य किये जाने संबंधी प्रावधान की समीक्षा

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन की आवश्यक कार्यवाही को रोकते हुए, मुझे स्थगन नियम-50 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान राज्य में 1994 में, एक नियम लाकर पंचायती राज, स्थानीय निकाय संस्थाओं में और 2 से अधिक संतान होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का एक कानून लाकर, राजस्थान प्रदेश के करोड़ों युवाओं को स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां होती हैं, कब किसी चीज की जरुरत हो, मैं जहां तक इस बात में समझ पाया हूं, राजस्थान प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि से रोकने के लिए और विभिन्न समस्त विभागों में इस तरीके का लाया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में आम आदमी, क्योंकि आये दिन आंकड़ों के आधार पर भी, हम देखते हैं कि राजस्थान प्रदेश के समस्त जिलों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी ठीक से हो गया, आम आदमी

(श्री पूरणमल सैनी)

को समझ में आ गया, लालन-पालन ठीक से नहीं हो पाता और इन्हीं सब चीजों के रहते हुए कोई भी आदमी, दो से अधिक संतान वैसे ही पैदा नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन यह है कि उन करोड़ों युवा, जो राजस्थान प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वे विभिन्न राजनैतिक दलों से भी जुड़े हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वे उस पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में जाना और अपने आपको चुनाव लड़कर लेकर जाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इसमें लिखा है पहले नहीं था, इसमें मैं पढ़कर सुनाऊं, दो से अधिक संतान होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (6) में, यह प्रावधान किया हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचक जन प्रतिनिधियों, जिनके दिनांक 27.11.95 से पूर्व दो या दो से अधिक बच्चे थे, यदि उक्त तिथि के पश्चात् एक और संतान हो जाती तो वे पंचायती राज संस्थाओं के पद एवं सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्वाभाविक रूप से ही जब जनसंख्या पर कंट्रोल अपने आप आदमी कर रहे हैं तो उन करोड़ों युवाओं को, जो राजनीतिक दृष्टि से और प्रथम स्तर पर अपना जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान की सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से कि ये दुबारा बिल लाकर और उन राजस्थान के करोड़ों युवाओं पर से इस राइडर को हटाकर, उन्हें राजनीति में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। माननीय पंचायती राज मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस नियम का जिक्र यहां किया, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, स्व. भैरोंसिंह जी शेखावत के मुख्य मंत्रित्वकाल में जब राजस्थान में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर.....

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देश के अन्दर, देश में सर्वाधिक उन राज्यों में हम शुमार थे, इसलिए हमें बीमारू राज्यों में शामिल किया गया था। उस समय एक प्रगतिशील कानून लाकर पंचायती राज संस्थान के अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्दर एक संशोधन किया गया थ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कई और राज्यों ने हमारा अनुसरण किया और इस मामले के अन्दर, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हरियाणा में जावेद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए और इस पूरे कानून को बड़ा अच्छा कानून बताया, प्रोग्रेसिव लाभ बताया और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के नियंत्रण की दृष्टि से, लोगों में चेतना की दृष्टि से इसको उचित बताया। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में, एक राज्य कार्मिकों को 24.02.2011 की अधिसूचना के अनुसार दो से ज्यादा, अगर उनमें दिव्यांग भी हैं तो उसको उस यूनिट में शामिल करने के लिए छूट दी गई थी, इस पर निश्चित तौर पर हम विचार कर रहे हैं, बाकी यह कानून बड़ा ही प्रोग्रेसिव है। यह ऐसा कानून है जिसको पूरे देश ने सराहा।

इसी तरह जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 के अन्दर भी ये 27 नवम्बर, 1995 में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इस प्रोग्रेसिव कानून के तहत दो से अधिक संतान होने पर अर्हताओं के अन्दर पाबन्दी लगाई गई थी। इसलिए अभी इस पर विचार नहीं, पर दिव्यांग बच्चे अगर हैं, उनको उस यूनिट में शामिल नहीं किया जाएं। चूंकि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य कर्मियों के लिए यह कर दिया है तो इस पर निश्चित तौर पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय, जब पार्लियामेन्ट...

श्री अध्यक्ष: हो गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ये बताएं, अब ले के आएंगे क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री अमृतलाल।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): बता रहे हैं, माननीय मत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये, अमृतलाल जी। पढ़िये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर मुझे कल ही कुछ कहने का अवसर होगा न?

श्री अध्यक्ष: कल आप भेज दीजिये, आज तो रिजेक्ट हो गया है। कल भेज दीजिये उसको कंसीडर करेंगे। एडजोर्न नहीं करते अब।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सलूम्बर में माइनिंग क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से माइनिंग व वन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत आने वाली तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी वन क्षेत्रों में कई मार्बल की माइन्स में सॉफ्ट स्टोन की माइनिंग, पत्थर, चूना पत्थर आदि काफी तादाद में हैं। इन जनजातीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनन होता है व खनन कर विक्रय हेतु वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क के माध्यम से आवागमन होता है, जिसमें लगभग 100 टन के बराबर मार्बल भरा रहता है। उपरोक्त क्षेत्रों में मार्बल लाया व ले जाया जाता है, जिससे मार्गों की सड़कें टूट व खतम हो गई हैं तथा सम्पर्क भी टूट गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के निवासियों को आवागमन करने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन ढाणियों, मजरों व गांवों के लोगों ने आज तक सड़क कैसी होती है, देखी नहीं। पूरा पहाड़ी भाग है। क्षेत्र पूरा वन क्षेत्रों में फैला हुआ है व इसी क्षेत्र में:-

1. सम्पर्क सड़क माताजी का खेड़ा से बुजा अपटू पुनावली (नठारा) सड़क का डामरीकरण, 6 किलोमीटर का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इस सड़क मार्ग पर लगभग 8 सोफ्ट स्टोन माइन्स हैं, जिसमें महादेव माइन्स प्रमुख है तथा रास्ता बिलकुल नहीं है। पूरा पहाड़ी भाग है, दर्रे व बड़ी-बड़ी अरावली पर्वतमालायें हैं व जनजाति निवासियों का आबादी क्षेत्र है।

(श्री अमृतलाल)

2. सम्पर्क सड़क डेलवास से वागदरा (नठारा) ग्राम पंचायत ढेलवास के अन्तर्गत आता है जो कि 5 किलोमीटर लम्बी है, जिसमें भी घनी आबादी है। कच्चे रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं। आने-जाने का रास्ता नहीं है। इस मार्ग पर चार सोफ्ट स्टोन की माइन्स हैं। इस मार्ग पर वन क्षेत्र आता है। इस मार्ग को निकालना अति आवश्यक है, जिससे आने-जाने में ग्रामवासियों को आसानी होगी व छोटे वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से चल सकेगा।

अत: माननीय खान, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सड़कों का निर्माण शीघ्र से शीघ्र करवाकर क्षेत्र के ग्रामीण निवासियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़।

शेरगढ़ की वृहत् जलप्रदाय योजना से वंचित राजस्व गांव व ढाणियां

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वृहत् जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा एवं आर.डी. 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंहादा-बालेसर में वंचित रहे राजस्व गांव एवं चयनित ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु प्रक्रिया नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वृहत् जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 में कुल 129 ग्राम सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति दिनांक 26.12.2005 को 12.24 करोड़ रुपये की जारी की गई थी। पी.पी.सी. की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 को द्वितीय चरण के लिए जनगणना 2001 के कुल 129 गांव एवं वर्ष 2007 तक नवीन घोषित 155 राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुए कुल 284 गांवों को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 234.46 करोड़ रुपये की जारी की गई थी। स्वीकृति के विरुद्ध 198.60 करोड़ रुपये व्यय किये गये व 35.86 करोड़

(श्री बाबू सिंह)

रुपये शेष रहे। शेष रही राशि में से राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए 34.98 करोड़ रुपये के तकनीकी प्रस्ताव बनाकर तकनीकी समिति, जयपुर को भिजवाया गया, जो आज दिनांक तक समिति के पास विचाराधीन है। अत: इसकी अतिशीघ्र तकनीकी स्वीकृति जारी कराएं।

इसी प्रकार आर.डी. 159.50 के प्रथम चरण में 37 मूल राजस्व ग्राम, 04 एनरूट ग्राम तथा 36 नव राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर कुल 77 ग्रामों के लिए प्रथम चरण की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति ईबीसी की छठी बैठक दिनांक 06.12.05 को राशि 6.45 करोड़ रुपये की जारी की गई। पी.पी.सी. की 174वीं बैठक दिनांक 01.02.07 में द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 74.38 करोड़ रुपये जारी की गई। उक्त दोनों योजनाओं की स्वीकृति के अनुसार पेयजल से लाभान्वित होने वाले राजस्व ग्राम मुख्यालय पर वी.टी.सी. बनाकर पानी पहुंचाया गया, लेकिन राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों को शामिल नहीं किये जाने के कारण चयनित ढाणियां एवं योजना स्वीकृति पश्चात घोषित राजस्व गांव आज भी पेयजल से लाभान्वित होने से वंचित हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह भाटी।

पाकिस्तान से आये हिन्दू भारतीय नागरिकों को पाक विस्थापित का दर्जा

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1971, 1978, 1980 व इसके पश्चात् पाकिस्तान से कई हजारों की तादाद में हिन्दू परिवार भारत आए और हिन्दुस्तान की नागरिकता प्राप्त कर हिन्दुस्तान के नागरिक बन गए पर इन्हें तब से लेकर आज दिनांक तक पाक विस्थापित ही कहा जाता रहा है।

तत्कालीन राज्य सरकारों द्वारा इन पाक विस्थापितों के पुनर्वास हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम व द्वितीय चरण में 25 बीघा

(श्री भंवरसिंह)

कमाण्ड भूमि कीमतन व रहने के लिए नि:शुल्क आवासीय भूखंड व कुछ समय तक राशन रियायती दर पर देने की घोषणा की गई। अधिकतर पाक विस्थापित परिवारों को बीकानेर जिले की खाजूवाला, पूगल, श्रीकोलायत व बज्जू तहसील क्षेत्र में व जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना व मोहनगढ़ क्षेत्र में परिवार के मुखिया के नाम भू-आवंटन किया गया था व वहीं की चक आबादियों में आवासीय भूखण्ड दिया गया था।

हजारों की तादाद में पाक विस्थापितों को तत्समय भूमि आबंटन किया गया था, जिसमें से कई विस्थापितों को भूमि का दोहरा आबंटन हो गया व कई विस्थापितों को आबंटित भूमि नहर, वन, सड़क में अवाप्त हो गई व कई विस्थापितों की भूमि कमांड से अनकमांड हो गई। पाक विस्थापितों की चक आबादियों में आज भी कई विस्थापित आवासीय भूखंड से वंचित हैं व इनकी चक आबादियां आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे चिकित्सालय, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क आदि से वंचित हैं।

(12.28 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पाक विस्थापितों ने अपने हक के लिए कई बार राज्य सरकार के सामने मांगें रखीं। कई बार प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के सामने मांगें रखीं। कई बार प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के मध्य इनकी मांगों के निस्तारण हेतु मंत्रणा हुई, परंतु उक्त पाक विस्थापितों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। वो आज भी भू-आबंटन, आवासीय भूखंड आदि की आस में बैठे हैं। इन्हें हमेशा ही आश्वासन मिला है।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पाक विस्थापितों की जायज मांगों के शीघ्र निस्तारण करने की मांग रखता हूं। सभी पाक विस्थापितों को जो भू-आबंटन से वंचित हैं, को शीघ्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-आबंटन किया जाये। जिन पाक विस्थापित आबंटियों की भूमि किसी परियोजना में अवाप्त हो गई या जिनकी भूमि काश्त लायक नहीं है। या 50 प्रतिशत से अधिक अनकमांड हो गई या जिन्हें दोहरा आबंटन हो गया है, को विनियम/तबदला में शीघ्रातिशीघ्र भू-आबंटन किया जाये।

(श्री भंवरसिंह)

पाक विस्थापित जिन चक आबादियों में निवास कर रहे हैं, उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाये व वंचित पाक विस्थापितों को नि:शुल्क आवासीय भूखंड आबंटित किया जाये, ताकि पाक विस्थापित भी मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी।

करणीजी माइनर का पुनर्निर्माण

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से गोमावाली व गंगनहर की करणीजी माइनर का पुनर्निर्माण कर स्थिति सुधारने के सबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोमावाली माइनर इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 391 से निकलती है। यह माइनर 42 क्यूसेक्स की है। इसका निर्माण 1975 में हुआ था। यह वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसमें बड़े-बड़े कटाव हैं, जिनकी वजह से वर्ष 2017 में चार बार टूट चुकी है। किसानों की बारियां पिट जाती हैं और करोड़ों रुपये की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसका पुनर्निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार गंग कैनाल के अंतिम छोर से करणीजी की वितरिका निकलती है। यह लंबे समय से उपेक्षित है। न तो सफाई हो रही है और न ही इसको अपने हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। डाबला हैड से निकलकर 34RD तक सिल्ट जमा है और बडे पेड़-पौधे खड़े हैं। 34D तक एक अध्यक्ष के नीचे यह क्षेत्र आता है। कम राजस्व होने के कारण वे सफाई नहीं करवा पाते हैं। नहर में सिल्ट के कारण पानी का स्तर बढ़ जाता है और नहर टूट जाती है, उसे भी किसान अपने स्तर पर बांधते हैं। पिछले दिनों किसानों ने करणीजी माइनरों की सफाई अपने स्तर पर की है। इनका पुनर्निर्माण होना अति आवश्यक है। इसकी कोई भी टेल पूरी नहीं हो पाती है। यह नहर 280 क्यूसेक्स की है पर 330 क्यूसेक्स पानी छोड़ने के बावजूद भी अंतिम छोर तक पूरा नहीं जाता है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर के लगभग है। इसका अंतिम छोर अनूपगढ़ से आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। 12 वर्ष पहले इस नहर का निर्माण करवाया गया था परंतु निर्माण करते वक्त इसकी लाइनिंग

(श्रीमती सोनादेवी)
के साथ चिकनी मिट्टी लगा दी गई जिसकी वजह से नहर की लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई है तथा रिसाव होता रहता है। अत: इस नहर का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि श्रीगंगानगर जिले में स्थित गोमावाली माइनर इंदिरा मुख्य नहर एवं करणीजी नहर के सशक्तीकरण हेतु अविलंब आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम।

चिकित्सा विभाग के लैब टेक्नीशियनों की वेतन विसंगतियां

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2015 को मिशन निदेशक, एनआरएचएम के द्वारा चिकित्सा विभाग के लैब टैक्नीशियन की ग्रेड-पे 4200 की अभिशंसा एवं दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं अन्य अधिकारियों के मध्य हुए समझौते, जिसमें चिकित्सा विभाग के लैब टैक्नीशियन की ग्रेड-पे 4200 एवं भत्तों की अभिशंसा एवं वादे के बावजूद आज दिनांक तक चिकित्सा विभाग के लैब टैक्नीशियन की ग्रेड-पे एवं भत्तों संबंधी विसंगतियां दूर नहीं की गईं, जिससे विभागीय कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार के दो-दो चिकित्सा मंत्रियों द्वारा कर्मचारियों से किये गये समझौते के अनुरूप कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को अविलम्ब दूर कर राहत प्रदान कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम जी।

फलौदी को जिले का दर्जा

श्री पब्बाराम (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 395 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से फलौदी को नवीन जिला घोषित किये जाने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा

(श्री पब्बाराम)
क्षेत्र फलौदी का उपखण्ड़ मुख्यालय फलौदी जिला मुख्यालय जोधपुर से 140 किलोमीटर तथा बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर जिला मुख्यालयों से औसतन 150 से 160 किलोमीटर दूरी पर है। जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र में निरंतर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।

फलौदी जिले में दो उपखण्ड- फलौदी एवं बाप, तीन तहसील- फलौदी, बाप एवं लोहावट एवं पांच पंचायत समितियां हैं। नवीन फलौदी जिला बनने पर इस क्षेत्र में स्थापित सोलर हब, पवन ऊर्जा, नहर से सिंचित क्षेत्र, नलकूपों से वंचित क्षेत्र, नमक उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के विकास में तीव्र विकास गति होने की अपार संभावनाएं हैं। फलौदी मुख्यालय पर पर्याप्त राजकीय भूमि तथा भवन इत्यादि उपलब्ध हैं।

वर्तमान में फलौदी में जिला स्तर के कई विभाग एवं बैंकों की शाखाएं, डाकघर, भूमि विकास बैंक इत्यादि वित्तीय संस्थान स्थापित हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं।

नवीन जिला फलौदी के गठन हेतु जोधपुर जिले की दो विधान सभा क्षेत्र फलौदी एवं लोहावट क्षेत्र में जैसलमेर जिले की पोकरण विधान सभा क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतें जो कि उपखण्ड क्षेत्र बाप की सीमा से लगती हुई हैं, क्रमश: नोख, टावरीवाला, बोडाना, शक्तिनगर, मदासर, चिन्नू, जालूवाला को शामिल करते हुए जिले का गठन किया जा सकता है। मैं सदन के माध्यम से विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार से आग्रह करता हूं फलौदी में नवीन जिले का गठन किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण जी।

बीकानेर में मुक्ताप्रसाद कालोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे बीकानेर शहर में आवासन मण्डल के द्वारा मुक्ताप्रसाद कालोनी का निर्माण करवाया गया। निर्माण हुए काफी

(श्री गोपाल कृष्ण)

समय हो गया। आवासन मण्डल के द्वारा बसाई गई इस कालोनी में हजारों लोग रहते हैं जिनको सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी आवासन मण्डल की है। आवासन मण्डल के द्वारा बसाई गई इस कालोनी में कई जगह सडकों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आदमी पैदल तक नहीं चल सकता व कहीं-कहीं तो ऐसा लगता है कि यहां सड़क निर्माण कार्य कभी किया ही नहीं गया और वास्तव में किया भी नहीं गया। कुछ सड़कों के निर्माण के लिए निविदा जारी किये काफी समय हो गया, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ एवं अन्य कोई निविदा भी अब तक जारी नहीं की गई।

यहां सड़कों की दयनीय स्थिति के साथ नाले-नालियों पर बने क्रोस की स्थिति भी कई जगह खराब है। नालियों पर लगाई गई पट्टियों के समतल नहीं होने, एक पट्टी से दूसरी पट्टी में गेप होने, टेट क्रोस, कई नालियों पर क्रोस नहीं होने से पैदल व वाहन चालकों के साथ साथ हर कोई परेशान होता है।

आवासन मण्डल द्वारा इस कालोनी में प्रत्येक सैक्टर में पार्कों का निर्माण कार्य करवाया गया, जिसमें निर्माण में केवल चारदीवारी का कार्य कर इतिश्री कर ली गई एवं यहां दूब, पेड़-पौधे, विश्राम स्थल, लाइट व चौकीदारी आदि किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। पार्कों में उक्त विकास आदि कार्य करने का कहा गया तो आवासन मण्डल पार्कों के विकास आदि कार्य के लिये कोई प्रावधान न होने का कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गये।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त कालोनीवासियों को अपने नागरिकता की मूलभूत सुविधाओं को दिलवाने हेतु कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव (अनुपस्थित), श्रीमती कामिनी जिन्दल (अनुपस्थित), श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में बंद डर्बी टैक्सटाइल मिल

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विशाल संख्या में रोजगार उत्पन्न करने वाली डर्बी टैक्सटाइल मिल को फिर से चालू कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सन् 1980 में सरकार से रियायती दरों पर भूमि आवंटित करवाकर जोधपुर के बासनी क्षेत्र में डर्बी टैक्सटाइल मिल खोली गयी थी। उसमें लगभग 3000 श्रमिक और कर्मचारी रोजगार पाते थे। रोजगार के कारण विशाल संख्या में श्रमिकों ने बिना मूलभूत सुविधाओं की परवाह किये ही, वहां निवास कर परिवार बसा लिये। परन्तु खेद का विषय है कि डर्बी टैक्सटाइल मिल के मालिक ने विभिन्न बैंकों से बेतहाशा ऋण लेकर कमायी गयी भारी लाभ राशि में से कभी भी ऋण नहीं लौटाया। इस कारण लाभ से मालिकों के घर तो भर गये परन्तु ऋण नहीं चुका पाने के कारण धीरे-धीरे डर्बी टैक्सटाइल मिल बंद होने की स्थिति में आती गयी। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में मौन रहकर मालिकों की मदद करता रहा है। बंद होने की मार पड़ी निर्धन श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारजनों पर। अब हालत यह है कि मूलभूत सुविधाओं के बिना बसी डर्बी श्रमिक कालोनी में बारिश के दिनों में भारी मात्रा में जल भर जाता है, श्रमिकों के घर तक इस पानी से भर जाते हैं। कालोनी में आवाजाही के लिये कभी कमर तक तो कभी गर्दन तक पानी में से गुजरना पड़ता है। कई श्रमिक यहां से पलायन कर गये हैं तो वहां पर अन्य प्रदेशों से आने वाले अपराधी प्रश्रय पाते हैं। इस तरह यह डर्बी टैक्सटाइल मिल बंद होने से विशाल संख्या में श्रमिकों एवं श्रमिकों के आश्रित परिवारजनों को भारी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके बंद होने से पहले वहां कार्यरत श्रमिकों ओर कार्मिकों के लंबी अवधि के वेतन भी बकाया थे, जो आज दिन तक नहीं चुकाये गये हैं। परन्तु खेद का विषय है कि उक्त क्रम में स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की ओर से इस समस्या के निराकरण के क्रम में कोई पहल नहीं की जा रही है। मेरी मांग है कि:-

(1) अब तक उक्त टैक्सटाइल मालिकों के विरुद्ध किस-किस विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या नोटिस जारी किये गये? उक्त नोटिसों पर क्या जवाब प्राप्त हुए और उसके आधार पर आज तक की गई कार्यवाही की समस्त जानकारी सार्वजनिक की जाए?

(2) उक्त भूमि के आबंटन की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) श्रमिकों और कार्मिकों के बकाया वेतन का भुगतान अविलम्ब करवाया जाए।

(4) सरकार उक्त डर्बी टैक्सटाइल मिल को पुन: चालू करवाने के लिये हर संभव प्रयास कराए, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके, उनके परिवारजनों को मानवीय जीवनयापन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के साधन उपलब्ध हो सके।

(5) डर्बी श्रमिक कालोनी में मूलभूत सुविधाओं के विकास और वर्षा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल मीणा।

मनोहरथाना, अकलेरा व झालरापाटन में पात्र लोगों का बेस लाइन सर्वे में गायब नाम

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विषय उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि पंचायत समिति मनोहरथाना, अकलेरा व झालरापाटन में लगभग तीन हजार से ज्यादा ऐसे परिवार हैं, जिनका बेस लाइन सर्वे में नाम जुड़ा हुआ नहीं है। जिसके कारण पात्र लोगों का नाम बेस लाइन सर्वे में न होने के कारण उन्हें सरकार की कई जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण करने के बाद भी लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की समस्या समस्त राज्य की कई पंचायत समितियों में हैं। बेस लाइन सर्वे में नाम नहीं होने के कारण पात्र लोगों को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बेस लाइन सर्वे से वंचित परिवारों के नाम बेस लाइन सर्वे में जुड़वाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी।

सीकर मुख्यालय पर महिला आयुर्वेद कालेज की मांग

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के

(श्री रतन लाल जलधारी)

अंतर्गत मैं एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि सीकर जिला मुख्यालय पर वर्ष 1942 से परशुरामपुरिया आयुर्वेद कालेज संचालित हो रहा था, जो दस वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया है। इस आयुर्वेद कालेज के बंद होने के साथ ही इसके अधीन भूमि एवं भवन को राज्य सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया और 10 जनवरी, 2018 को सरकार के आदेश से प्रशासक, जिला आयुर्वेद अधिकारी को नियुक्त कर भूमि एवं भवन पर ताले लगवा दिये गये हैं। इस कालेज के अधीन राजस्व रिकार्ड में 1.99 हैक्टेयर भूमि यानी लगभग 19-20 बीघा जमीन है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड आयुर्वेद चिकित्सा विभाग को आयुर्वेद कालेज के लिये आवंटित की गयी है। इसी दिसम्बर में इस जमीन का नामान्तरण विभाग के नाम से हो चुका है।

केंद्र एवं राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण की नीति के मद्देनजर और सीकर की जनता की मांग के आधार पर मैं इस नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार और चिकित्सा मंत्री से पुरज़ोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस कालेज की आवंटित भूमि पर आयुर्वेद का महिला कालेज प्रारंभ किया जाये। वर्तमान में प्रदेश में कोई भी राजकीय आयुर्वेद महिला कालेज नहीं है और सीकर स्थित यह भूमि व भवन आयुर्वेद कालेज के लिये ही आवंटित है। सरकार पर भूमि व भवन का कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ने वाला है। क्षेत्रीय मांग एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी सीकर में आयुर्वेद मोहल्ला कालेज होना नितान्त आवश्यक एवं जनहित में है। ऐसी स्थिति में सीकर में जो जमीन और मकान है, आयुर्वेद कालेज के लिये वह उपयुक्त भी है, क्योंकि यहां से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, सरकारी कालेज एवं अस्पताल नाममात्र की दूरी पर अवस्थित हैं। कृपया इस बजट में सीकर में राजकीय आयुर्वेद महिला कालेज खोलने की घोषणा कर सीकर की जनता को तोहफा दिलाने का श्रम करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री नवनीत लाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बांसवाड़ा में माही डैम की नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचने से फसलों का नुकसान

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में सन 1980 के दरमियान माही डेम बना। डेम के निर्माण में दायीं और बायीं नहर ही निकाली गयी है। आज 80 हजार हैक्टेयर भूमि पानी से तर हो रही है। मान्यवर, वर्तमान में अभी नहरों की हालत जर्जर हो गयी है और नहरों का पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है। नहरों के जर्जर हालत में होने से पानी नालों और नालियों में बह रहा है और टेल पर फसलें सूख रही हैं। अभी मैंने 10 तारीख को क्षेत्र में घूम - फिरकर और दौरा करके जानकारी ली, तो वहां के किसानों की मांग है कि जहां टेल पर फसलें सूख रही हैं, वहां मौके पर पानी पहुंचाया जाये। जैसे पंचायत समिति दायीं नहर के गांव करेना, पादर, मालनिया, डिंडोरिया, चारडा, भूंडवाई, बड़ों का फलां, देवलियाअड़ा, सरोजिया, आमलीफलां, आंकरिया, कानड़ा और गडरा व पंचायत समिति आनंदपुरी के बायीं नहर से संबंधित गांव आमलिया, आमादरा पोटड़ा, सांझा, कतेरिया, नवागांव, नवाटापरा, बरपोटा, तजियावाड़ा आदि गांवों में अभी मौके पर फसल सूख रही है। अत: माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि वहां के अधिकारियों को सूचना देकर, मौके पर जाकर सूखती हुई फसल को बचाने का कार्य प्रारंभ कराएं।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि 80 हजार हैक्टेयर जमीन तो तर गयी। इसके अलावा वर्तमान में 33 हजार 500 हैक्टेयर भूमि भीखाभाई गीगाबाई नहर, 700 हैक्टेयर भूमि खमेरा नहर, 850 हैक्टेयर भूमि आभापुरा के कैनाल से संबंधित और 3 हजार 500 हैक्टेयर भूमि आनंदपुरी कैनाल से संबंधित है। करीब 1 लाख 12 हजार 850 रुपये की अभी राज्य सरकार ने उन नहरों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी है। इतना होने के बावजूद, तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार के समय में माही डेम के ऑफिस को, चीफ इंजीनियर पोस्ट को बांसवाड़ा जिले में तोड़ दिया गया है। इतना सारा पैसा स्वीकृत है। उन नहरों को अभी देखने वाला कौन है? मेरा आग्रह है कि नहरों की वर्तमान फसलों को तो बचाया जाए,

(श्री नवनीत लाल)

लेकिन अभी करोड़ों रुपया स्वीकृत हुआ है, उन पैसों को सही ढंग से लगाया जाकर नहरों का निर्माण व्यवस्थित कराया जाये और माही डेम का चीफ ऑफिस बांसवाड़ा जिले से हटा लिया गया है, उसे वापस बांसवाड़ा में कृषि की व्यवस्था को देखते हुए यथास्थान रखा जाये। अभी माननीय सिंचाई मंत्री महोदय सदन में मौजूद हैं, मेरा आग्रह है कि किसानों की जो फसलें मौके पर सूख रही हैं, उनको सही ढंग से पानी पिलाने का मुझे आश्वासन दें। ऐसा आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मंत्री महोदय जी अभी मौजूद हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? मौके पर फसलें सूख रही है। किसान गांव-गांव में खेतों पर जाकर खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो तो सही।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा वाजिब है। नहरों की हालत काफी खस्ता है, जर्जर हालत में है उसकी वजह से, लोसेज ज्यादा होने की वजह से टेल का पार्ट फीड होने में काफी दिक्कत हो रही है। इससे इनकी मांग को और समस्या को देखते हुए अभी 159 करोड़ रुपये के हमने आदेश जारी कर दिए हैं। उसके टैंडर हो गए हैं। वर्क आर्डर हो गया है और काम शुरू होगा तो जैसी आपकी चिंता है, गुणवत्ता के लिहाज से उसमें कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। आज की तारीख में जो फसलें खराब हो रही हैं उनको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हैड के पानी बंद करके टेल के पार्ट को दिया जाए। जैसी कंडीशन है, उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य इसमें और कमी-खामी बताएंगे तो उसको भी हम टोनिक-अप करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

गुढ़ागौड़जी पुलिस थाने के मुकदमों का स्थानान्तरण

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा उदयपुरवाटी के पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में जब से सरकार का

गठन हुआ है, लगातार एक ही प्रकार के मुजरिमों के खिलाफ मुकदमें दर्ज होने के बाद, सरकार का एक विभाग सीआईडी (सीबी) मुकदमा नंबर 32/14, 108/16, 133/17, 143/17, 392/17, 394/17 और 26/18 अलग-अलग प्रकार के मुकदमे जो आपराधिक किस्म के हैं, जिनमें मुजरिम के अपराधी साबित होने के बाद, पुलिस के अनुसंधान के बाद जैसे ही पता चलता है कि मुजरिम की गिरफ्तारी होने वाली है, सीआईडी (सीबी) विभाग उस फाइल को अपने पास मंगा लेता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनूं जिले में गुढ़ागौड़जी में जब उनके प्रवास के दौरान लोगों ने शिकायत की कि एक ग्राम पंचायत में बड़ा घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार व अनियमितताएं हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश से एक कमेटी का गठन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी जिलास्तरीय थी जिसमें जिला परिषद का एक्सईएन था, पीओ था, अकाउंटेट था, एसडीएम वहां का था। सब लोगों ने मिलकर उस ग्राम पंचायत की जांच की। गबन सिद्ध हुआ और इस प्रकार का गबन सिद्ध हुआ कि सरपंच ने पचास हजार रुपये का एक टैंडर एलईडी का लगाकर करीब बीस लाख रुपये सरकार के खाते से निकाल लिए। सारा सब कुछ दोष साबित होने के बाद तय किया गया कि ग्राम पंचायत के सरपंच और जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी, 2018 को 4 बजकर 43 मिनट पर एफआईआर दर्ज हुई और आधे घंटे बाद एक फरमान चला गया पंचायती राज से कि तुरंत फाइल को यहां भेज दिया जाए। 12 घंटे के अंदर सीआईडी (सीबी) के अधिकारियों को बड़ी खुशबू आ रही थी कि वह सरपंच अपराधी नहीं है, उसने गुनाह नहीं किया, पुलिस ने जांच की नहीं और चार घंटे के अंदर उस फाइल को बिना किसी चिट्ठी-पत्री के टेलीफोनिक मंगा लिया गया। थाने के लोगों ने वहां दे दिया। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि वह अगर अपराधी नहीं है और वहां अगर गबन नहीं हुआ तो वह कमेटी जिसने यह काम किया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अगर वह ग्राम पंचायत और उसके अधिकारी-कर्मचारी और सरपंच दोषी हैं, तो जिन लोगों ने जान-बूझकर के उस फाइल को यहां मंगाया है और आज

तक उस फाइल को मात्र उस सरपंच की गिरफ्तारी को बचाने के लिए पटक रखा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमा नंबर 108/16 में एक व्यापारी की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद फर्जी रजिस्ट्री कराई। फर्जी रजिस्ट्री की सीमाएं गलत की। इस बात के लिए मैं उस आदमी के साथ सारे अधिकारियों से मिला। माननीय मंत्री महोदय से भी मिला। यह तय हुआ, न्याय मिलेगा। पुलिस ने साबित कर दिया। गिरफ्तारी के आदेश करने के बाद वह फाइल सीआईडी (सीबी) में आई और उस फाइल पर सारे के सारे मुजरिमों का नाम काट दिये गये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर वाकई वे लोग मुजरिम नहीं तो वहां की जनता की सोशल ऑडिट करवाई जाए। आप उस बात का पता कर लें। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि वाकई अगर वे लोग दोषी नहीं हैं और अगर वह रजिस्ट्री फर्जी नहीं हो तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला व्यक्ति हूं जो मैं बिलकुल आपके सामने कहता हूं कल सुबह मैं विधान सभा से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा वरना जिन लोगों ने इस बात को बचाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार का मजाक बना रखा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): विधायक क्या बोल रहा है?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): चाहे जो अधिकारी चाहे जहां फाइल को मंगा लें, चाहे जिस मुजरिम को बचा दें। एक-एक दिन के अंदर, एक-एक अपराधी के खिलाफ जिन लोगों ने इतना बड़ा गबन किया सरकार का, 44-44 लाख रुपये खाते से निकाल कर काम में ले लिए, दुरुपयोग कर लिया। उनको कभी तो पंचायती राज बचा रहा है, कभी पुलिस विभाग बचा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मात्र जानना चाहता हूं कि इतने मुकदमे एक ही व्यक्ति के खिलाफ, इसमें से आधे से अधिक मुकदमे एक ही परिवार के खिलाफ हैं, क्या सीआईडी(सीबी) के अधिकारी उस परिवार को बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं या जनता को न्याय देने के लिए कर रहे हैं? मैं जवाब जानना चाहता हूं। वाकई अगर ऐसा है। मैंने जगह-जगह चिट्ठियां लिखी हैं। आज तक एक भी चीज नहीं हुई और वहां लोग ये और कहते-फिरते हैं, ऐसे ईमानदारी का चोला पहनने वाले बहुत विधायक देखे,

(श्री शुभकरण चौधरी)
सरकार में हमारी चलती है, हमारी गिरफ्तारी करके दिखाओ। या तो यह चीज सिद्ध हो कि मेरी यह सूचना जो मैं कर रहा हूं आपके सामने, वह गलत है और या फिर जो भी चाहे दोषी हैं, चाहे वह पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वह सरपंच हो, चाहे ग्राम सेवक हो, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ागौड़जी थाने से संबंधित कुछ मुकदमों का रेफरेंस देते हुए सीआईडी (सीबी) में केस मंगाया और क्या हुआ, इसके बारे में उदयपुरवाटी के माननीय सदस्य ने अपनी बात कही। पहला मुकदमा इन्होंने 32/2014, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 167, 120बी, यह 23/01/14 को दर्ज हुआ। परिवादी महेश चन्द्र जोशी द्वारा मूलचंद सैनी और हिमांशु के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। दिनांक 11/08/14 से दिनांक 06/09/16 तक ये सीआर्डडी (सीबी) के पास रहा। जिसने इस केस को भेजा, वह महेन्द्र जोशी परिवादी था। जिसने यह शिकायत की थी, जिसने मुकदमा दर्ज कराया, उसने स्वयं ने सीआईडी (सीबी) के लिए चैंज कराया। आरोप प्रमाणित हो गया। मूलचंद और हिमांशु लेकिन जो ग्राम सेवक चोरेलाल था, इसकी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण से 173(8) में पैंडिंग चल रहा था। एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और उसमें चोरेलाल के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। इसके कारण से चार्जशीट दिनांक 15/02/17 को विरुद्ध मूलचंद सैनी और हिमांशु को न्यायालय में पेश कर दिया गया। पहला केस हो गया। जांच के लिए आया। परिणाम हो गया। दो को मुलजिम माना, उनकी गिरफ्तारी की और चालान पेश कर दिया।

दूसरा प्रकरण 108/16 ये भी अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 420 का था। ये 06/04/16 को केस दर्ज हुआ। परिवादी बन्ने सिंह द्वारा अभियुक्तगण विजय सिंह, करण सिंह, श्रवण सिंह के विरुद्ध प्रकरण उक्त धाराओं में पंजीबद्ध हुआ। अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस अपराध शाखा) ने क्रमांक 22/06/16 को, मतलब यह मुकदमा दर्ज हुआ था 06/04/16 को और 22/06/16 को यह सीआईडी में आया। अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) द्वारा किया गया और दिनांक 04/05/17 तक रहा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मुलजिम विजेन्द्र सिंह के परिवाद पर यह मुकदमा ट्रांसफर होकर आया। आरोपी करण सिंह के विरुद्ध धारा 447 में जुर्म प्रमाणित माना गया और इसकी चार्जशीट 26/10/16 को..

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय मंत्री महोदय, थाने के अंदर सारे के सारे लोगों पर जुर्म साबित हुआ था तो फिर वह गलत कर रहे थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा नहीं है कि आप ही दूध के धुले हो। विषय को सुनो और समझने की कोशिश करो।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं दूध का धुला हूं मंत्री महोदय, थाने में इस बात की इंक्वायरी हुई थी। सारे मुजरिम साबित हुए थे और सीआईडी (सीबी) में उनका नाम काटा गया। मेरे ऊपर जिदंगी में कोई लांछन लगा दे तो जो चाहे करूंगा। आप अपनी जुबान को पहले ठीक करें। मैं बेईमान नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं उचक्का नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं, अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं बचाऊंगा।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आपने ये कैसे कह दिया कि दूध का धुला नहीं हूं। ये कौनसा तमगा दे दिया आपने मुझे कि मैं दूध का धुला नहीं हूं? मैं अपराधी हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बात समझ लो। आप जिसके साथ बोल रहे हो न। किसी दबाव के कारण से किसी को मुलजिम न आज बनाया, न कल बनाऊंगा। अगर वह मुलजिम है तो किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आपने तो मुझे यह कहा था कि मैं फाइल मंगा ही नहीं सकता जबकि फाइलें दमादम टेलीफोन के ऊपर आ रही हैं और उन्हें बचाया भी जा रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बता रहा हूं। सुनने की भी हिम्मत रखो। ऐसी क्या बात हो गई? मैं एक-एक केस ...(व्यवधान)...

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): दूध का धुला नहीं हूं। मैं ये नहीं सुनूंगा। आप तो मुझ पर लांछन लगा रहे हैं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, आप भी विराज जाओ। संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं और बार-बार आसन कह रहा है, पर्ची के माध्यम से विषय उठाने का हम आपको अवसर देते हैं। लेकिन न तो माननीय सदस्य को धैर्य है कि मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो पूरा वक्तव्य सुन लें। आपको यह एक अवसर मिलता है जो रूटीन में नहीं है। हमने इसको एक रूटीन एजेंडा ले रखा है। अगर इसी प्रकार का आप वाद-विवाद करेंगे तो आसन बाध्य हो जाएगा, पर्ची सिस्टम को डिस-अलाउ कर देगा। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी बात का पूरा का पूरा जवाब मंत्रीजी को दे लेने दें। उसके बाद अगर आसन चाहेगा तो ही आपको वापस प्रश्न करने की इजाजत देगा वरना वह जवाब अपने आप में सम्पूर्ण है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 108/16 जिस मुकदमे का है, इसकी जांच हुई, जांच में करण सिंह दोषी पाया गया और उसकी गिरफ्तारी हुई और 30.05.2017 को उसका चालान पेश कर दिया।

तीसरा केस 133/17 यह परिवाद राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सम्पत सिंह गुमान सिंह के विरुद्ध था। इसमें अनुसंधान, यह हमारे पास सीआईडी में 1.12.2017 को आया था। हमारे यहां से केस वापस आई जी के पास 19.1.2018 को चला गया कि आप अपने लेवल पर ही इस केस को डिसाइड करो। हमारे यहां इसकी, क्योंकि यह दोनों क्रोस केस थे 133 और 143, वहां से वापस फाइल लौट गई और आई जी के पास चली गई। उनको तफ्तीश करके निर्णय करना था।

इसके बाद 392 और 394 यह भी क्रोस, आपस में इनके केस हैं। यह हमारे पास अभी 3.1.2018 को आये हैं। अभी सीआईडी (सीबी) में एडीशनल एस पी सीताराम को इसकी जांच के लिए लगाया गया है। जांच के बाद ही इसका परिणाम आएगा। जनवरी का केस है, जनवरी में हमारे पास आया। दर्ज हुआ 1.10.17 को, 1.10.17 को केस दर्ज हुआ। जनवरी में हमारे पास आया। आने के बाद यह अभी जांच में पड़ा है।

सबसे लास्ट वाला केस है जिसके बारे में इनको सबसे ज्यादा आक्रोश है, वह यह है जो अन्तर्गत धारा 26/18, 420, 409, 120 यह 15.1.2018

को दर्ज हुआ है। अभी जनवरी 15 को यह केस दर्ज हुआ है। परिवादी भागीरथ, बीडीओ, उदयपुरवाटी द्वारा अभियुक्तगण रणजीत गुर्जर, सरपंच गुढ़ागौड़जी ग्राम सेवक रामनिवास के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। मैं फिर तारीख बोल रहा हूं, यह केस 15.1.2018 को दर्ज हुआ है। इसकी शिकायत जब हमारे यहां आई तो हमने केवल ईओ को, जो जांच अधिकारी था, उसको फाइल लेकर बुलाया कि वास्तव में यह केस क्या है। सीआईडी में यह आया, अभी तक इस फाइल पर कोई निर्णय नहीं हुआ। न तो सीआईडी जांच करेगी यह निर्णय हुआ, न ही और कुछ। मैं यह सोचता हूं कि हमारी मंशा है, हमारे पास अगर कोई भी शिकायत करेगा, आज अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो कल तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसका पता तो करेंगे कि कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। किसी ने दर्ज करा दिया, चाहे बीडीओ, चाहे कलेक्टर हो, सामने वाले व्यक्ति को भी न्याय लेने का अधिकार है। जांच के बाद अगर हम उसमें गलत जांच करते हैं तो उसके लिए तो हम दोषी हो सकते हैं पर जोर से बोलने के कारण किसी के गले में घंटी मैं नहीं बांध सकता।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मंत्री महोदय, 15 जनवरी को आने के बाद आज 14 फरवरी है, आज तक यह फाइल बिना अनुसंधान के किसी विभाग में पड़ी है तो मंशा क्या है? या तो उसकी जांच हो या उसके खिलाफ एफआईआर हो या उस थाने में वापस जाए। आज सरकार का 44 लाख रुपया खाते में से चला गया और फ़ाइल एक महीने तक अपने यहां पड़ी है। मैं तो इतना जानना चाहता हूं सीआईडी (सीबी) के लिए तो वह अनुसंधान करे, उस थाने पर भरोसा नहीं है तो किसी ओर थाने पर जाएं। यह फ़ाइल आज तक पड़ी हुई है। आपने खुद ने इस बात को माना है कि उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं हुई। एक महीने तक सीआईडी (सीबी) के पास समय नहीं है तो फ़ाइल को मंगाया क्यों गया है। मंगा ली गई है तो उस पर किसी अधिकारी को नियुक्त करें। या तो जांच करवाए या उसको वापस वहां भेजें, या किसी अन्य थाने में भेजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जैसी आपकी भावना है उसके अनुसार ही होगा। जो जांच अधिकारी था उसको फ़ाइल लेकर बुलाया था,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फ़ाइल ट्रान्सफर नहीं की। फाइल लेकर केस को समझने की दृष्टि से बुलाया था कि जो आरोप लगे हैं वह कहां तक ठीक है कि नहीं। इसके कारण से यह फाइल रिकार्ड के आधार सीआईडी (सीबी) में पैंडिग नहीं है। ईओ को डिस्कशन के लिए बुलाया था, वह डिस्कशन नहीं हो पाया इसके कारण से फाइल वहां पर है। उसका यह निर्णय नहीं है कि इसकी जांच सीआईडी (सीबी) में होगी या वहां होगी। केवल उसकी जानकारी के लिए मंगाया है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होकर, सीआईडी (सीबी) जांच करना चाहे तो वह करें, नहीं तो जिस थाने से दर्ज हुआ उस थाने को कार्यवाही करने के लिए वापस भेज देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रताप लाल भील।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): जवाब के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मात्र एक शब्द और पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: I'll not allow this. Now it is between you and the Minister concerned. प्रताप लाल जी भील।

गोगुन्दा का अपूर्ण ट्रोमा सेण्टर

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। वर्ष 2012-13 में यहां पर ट्रोमा सेंटर के लिए 65 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। उक्त कार्य 65 लाख रुपये में पूर्ण नहीं हो सका। विगत तीन वर्षों में इस हाईवे पर 244 दुर्घटनाएं हुईं जिसमें से 162 लोगों की मृत्यु हुई तथा 293 घायल हुए। इलाज के लिए हमारे यहां से उदयपुर जाना पड़ता है जो 35 किलोमीटर दूर है तो जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वह रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में इस ट्रोमा सेंटर के लिए जो अतिरिक्त काम है वह 72 लाख रुपये की लागत का है। मैं निवेदन करता हूं कि आप घोषणा करें। इन दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा जिला उदयपुर में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की घोषणा बजट

(श्री कालीचरण सराफ)

वर्ष 2010-11 में की गई थी। उक्त की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4.6.2010 के द्वारा जारी की गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत 2011-12 में 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। ट्रोमा इकाई हेतु जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा 2011 में भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि के नेशनल हाईवे 27 पर गहराई में स्थित होने के कारण डिजाइन को बदलना पड़ा। अत: पूर्व में स्वीकृत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि से पूर्ण निर्माण करवाया जाना संभव नहीं हो सका। अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 72 लाख 11 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग प्रेषित की गई है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

पाक विस्थापितों का वन एवं गोचर भूमि से पुन: विस्थापन

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आज आपके हुकुम से बदकिस्मत लोगों की पीड़ा, उनकी तकलीफ की ओर अपना मौकूफ रखूंगा। सरकार से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करुंगा कि "एक जख्म नहीं, दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। एक-दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे।" भारत-पाक की लड़ाई के दरमियान जो हिजरत करके पाकिस्तान सिंध से, जिसे हम यहां पर पाक विस्थापित कहते हैं, मुहाजर कहते हैं उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, यहां भारत में लगभग 46 साल का वक्त होने जा रहा है, आजादी के बाद भी, 24 साल वहां मजहबी जुल्मों से गुजर रहे हैं। यहां बेघर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी-अभी हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने इनका कुछ जिक्र किया था जो नहरी इलाक़े में बसते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा लोक सभा इलाका बीकानेर, जिसमें दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं, बाड़मेर और लोक सभा संसदीय क्षेत्र जैसलमेर, जिसमें तीन-चार क्षेत्र आते हैं। हमारा कुछ हिस्सा जोधपुर से भी है। इसमें हमारे ये लोग बिखरे और छितराए हुए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि "हम तो ठहरे अजनबी, कई मुलाकातों के बाद। खून के धब्बे धुलेंगे कई बरसातों के बाद।" हमारे जो ये लोग हैं, जब ये आये थे तब इनको हमारे यहां इतनी सुविधाएं

(श्री तरुण राय कागा)

सहूलियतें नहीं थीं। जो लोग जहां हैं और जहां-जहां बैठ गये, उन्हें यह पता नहीं था कि यह गोचर जमीन या यह सरकारी जमीन है या यह वन विभाग की जमीन है, जंगलाती है या यह कोई आबादी की जमीन है। जो जहां आये, घास-फूस के झोंपड़े बनाकर बैठ गये। आज 46 साल गुजर जाने के बाद कभी वन विभाग की तलवार आ जाती है, कभी हमारी सरकार के अधिकारी होते हैं, उनकी टेढ़ी नजर हो जाती है। आये दिन वे उनकी तकलीफों से बहुत दुःखी और परेशान है। मैंने साल 2014 से उनकी रहबरी करने के लिए सिलेसिलेवार यह मुद्दा उठाया। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया है, ये मेरे पास हैं। वन विभाग, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुबन्ध (4) में बिलकुल खुलासा है कि 1980 से पहले लोग जहां-जहां वन विभाग की भूमि है या कोई भी है, मेरे पास गाइडलाइन के दस्तावेज और लैटर हैं, वहां से उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, उनको वहीं बसाया जाएगा। मगर बदकिस्मती है, मेरे पास कई नोटिस हैं, ये वन विभाग के नोटिस हैं, उनके घर पर उनकी पेशियां हुई हैं, 5 फरवरी, 2018 की, उन्होंने इस नोटिस में कोई साफ नहीं लिखा है कि आप कब से उसके ऊपर काबिज हैं। बिलकुल नहीं है लेकिन जो यह अधिसूचना है, वह बिलकुल अपने आपमें साफ है कि 24.10.1980 से पहले के जो लोग बैठे हैं, उनको कहीं भी दर-बदर नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार के भी मेरे पास काफी लैटर हैं। जिला कलेक्टर को लिखा जाता है कि इनका परीक्षण करके उनको सैट किया जाए, आवासीय पट्टा दिया जाए। दीनदयाल उपाध्याय कैम्प लगे, लेकिन नतीजे 'ढाक के तीन पात' आये। अभी-अभी मैं मेरे इलाके में गया दो-तीन दिन पहले। मुझे बताया गया कि पांच-दस लोगों को इतने सारे नोटिस थमाये गये हैं। हमारे यहां कहीं गोचर जमीन भी है। गोचर जमीन के गांव गिनाऊं तो यह सदन दांतों तले अंगुली दबाएगा और अंगुलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहूंगा कि 'न तो तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, घुट-घुट कर मर जाऊं, मर्जी है मेरे सय्याद की'। हम कहां तक भटकें? कहां जाएं? तीन-तीन पीढ़ियां हो गयीं। तीन पीढ़ियों

(श्री तरुण राय कागा)

से हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। 'लिखा है कैद किस्मत में, वतन को याद क्या करना', जहां बेदर्द हाकिम है, वहां फरियाद क्या करना'।

अब 46 साल से लोगों ने नहीं सोचा। हमारे लोगों के यहां पर दो लाख वोटर्स हैं। उन्होंने सोचा कि एक पाक विस्थापित कौम है, इसलिए इसे राजस्थान की बड़ी सभा में भेज देते हैं, कुछ न कुछ करेगा लेकिन यह भी गूंगा, अन्धा और बहरा साबित हुआ। वह भी मेरे से नफरत करने लगे कि हमने तुमको भेजा। मैं ही नहीं, खाजूवाला के माननीय विधायक, जैसलमेर के माननीय विधायक, कोलायत के विधायक, बाड़मेर के माननीय विधायक, चौहटन के विधायक और हमारे इस तरह से कई विधायक हैं, कई एमपी हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इनका दर्द किसी ने नहीं जाना। मैं आप सबसे गुजारिश करुंगा कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर एक होकर के सारे मिलकर करायें। 46 साल के बाद भी, इनकी तीसरी पीढ़ी हो गयी। इस बारे में मैं ज्यादा क्या कहूं? मैं किस तरह से कहूं? 'इधर मेरा इरादा है, चमन को गुलशन बनायें, लेकिन इस चमन में कोई कदम न रखें, यह मेरे सय्याद की मर्जी है'।

मैं सबसे, सरकार से, हमारे जो वास्तेदार वजीर हैं, उनसे दरख्वास्त करुंगा कि आज ही यहां से एक फरमान जारी हो ताकि हमारे वे लोग जो एक मजलूमियत की जिन्दगी बसर कर रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिल सके। अभी वह लोग हमको वहां जाने नहीं दे रहे हैं। मैं अभी वहां गया था, वहां लोगों ने कहा, हालांकि उन लोगों को तो मजाक सूझा होगा लेकिन मेरी तो बोलती ही बन्द हो गयी। इसलिए मैं वास्तेदार मिनिस्टर से गुजारिश करुंगा, हमारे इस मामले में आप मुस्तैदी से मेरी मदद करें, मेरे उन दो लाख वोटर्स की मदद करें। इन अल्फाजों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना हम सबने सुनी। चौहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बीजराड़ ब्लॉक है चौहटन तहसील का, उसमें 37 पाकिस्तान से आयी हुई फैमिलीज वहां की फोरेस्ट लैण्ड पर अतिक्रमण करके बसी हुई है। तहसील सेड़वा के अन्दर मींया का तला ब्लाक के अन्दर 52 परिवार अतिक्रमण करके वहां पर विस्थापित हैं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसीएफ, बाड़मेर कोर्ट ने नोटिसेज इश्यु किये हैं और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 एक बहुत लम्बी लकीर खींची गयी जिसके पश्चात्, मतलब It is a verry strong law. डायवर्जन जो हैं, हम केवल रोड्स जो एशेंसियल एक्टिविटीज हैं, जैसे जीएसएस बनाना है, कोई स्कूल का मामला है, पीएचईडी का है, उनके डायवर्जन के लिए हमें लखनऊ और दिल्ली से परमीशन लेनी पड़ती है। राज्य सरकार इस एक्ट से बाध्य है और अतिक्रमण जो वहां पर किये बैठे हैं, उनके खिलाफ एसीएफ, बाड़मेर के अन्दर जो उनकी सुनवाई की जा रही है, उस एक्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। अतिक्रमण, अतिक्रमण होता है। इस एक्ट की पालना हमें करनी पड़ेगी।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की गाइडलाइन है। इसके पैरा संख्या (4) पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 25.10.1980 से पहले के होने चाहिए, उनको तो रेगुलराइज करने का है, लेकिन वे तो 1972 से वहां काबिज हैं। 1971 के युद्ध में वे बेघर होकर आये हैं और गाडडलाइन में लिखा है 1980, अब यह विषय कहां है? अपने आशियाने उजाड़कर वहां से वे यहां आये, अब उनके 46 साल के आशियाने को उजाड़ रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान का कमिटमेंट है। इस विषय में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप को कैबिनेट की मीटिंग लेकर के या किसी भी तरह से, जो भी हो, उसको करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। देखो, जवाब पूछते हैं इनसे।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि 24.10.1980 से पहले ये लोग वहां पर आये, मैं उनके दस्तावेज खुद देख लूंगा और एक्ट के अनुसार, जो भी गाइडलाइन्स हैं, उसके मुताबिक अगर कोई इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे कदम उठाये जाएंगे।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें। राजस्व मंत्रीजी भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। आप फरमाएं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य की चिंता को अच्छी तरह से जानता हूं और हमने समय-समय पर गोचर जमीन में या ओरण में जो बस्तियां बसी हुई हैं उनके लिए परिपत्र यहां से जारी किये हैं और उसके सैट-अपार्ट के लिए जमीन जो सिवायचक है, उस सिवायचक को उसके बदले, गोचर के बदले देकर परिवर्तन करके इस प्रकार से और खास तौर से जो विस्थापित हैं, हम तो उनके प्रति सम्मान करते हैं और कागा जी को तो हमने बाड़मेर के अंदर इतना बड़ा पद, इनको एक विधायक बनाया है तो विस्थापितों के लिए हमारे दिल के अंदर, हमेशा सरकार के दिल में..., यह कह रहे हैं कि फरियाद वगैरह कोई सुनते ही नहीं, कैसे नहीं सुनते? हम पूरी अच्छी तरह से इनकी फरियाद सुनेंगे और जहां पर बावड़ी है, चौहटन में आपके जो भी गांव हैं, आप लिस्ट देना और जहां आप कनोई के बारे में, आज ही मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, शिव से आने वाले माननीय सदस्य श्री मानवेन्द्र सिंहजी ने भेजा कि हमारे यहां पर कनोई के अंदर जमीन ओरण की है और उसको किस प्रकार से आबादी के अंदर परिवर्तन करना है तो इस पर कई बार जो है सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी समय-समय पर अधिसूचना/ परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के तहत आबादी के विस्तार हेतु गोचर व ओरण भूमि के बदले क्षतिपूर्ति की नियमानुसार कार्यवाही कर बसे हुए पाक विस्थापित परिवारों को राहत देने हेतु, आबादी विस्तार की कार्य-योजना बनाने हेतु पूर्व में दिनांक 18.9.1994 को जिला कलक्टर बाड़मेर को निर्देश दिये गये थे। पुन: दिनांक 14.7.2017 को, 21.8.2017 को एवं 18.9.2017 को लिखा गया है। स्थाई रूप से लंबे अर्से से निवास कर रहे पाक विस्थापित परिवारों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी ने ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। आप विराज जाएं। आपके इस विषय को मैं स्पष्ट कर देता हूं। दो मिनट आप विराज जाओ। राजस्व मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ

(श्री उपाध्यक्ष)

कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, अब इससे ज्यादा और आप स्पष्ट क्या चाहते हैं?

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं यह चाहता हूं कि ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। आसन इस विषय पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं करवा सकता। आसन के सम्मुख राजस्व मंत्रीजी ने यह बात कही है और यह बात अंतिम है और निर्णायक है। आसन इस बात से आपको आश्वस्त करता है कि आपकी जो भी पीड़ा है, उसका निराकरण करने का राजस्व मंत्रीजी ने आसन के सम्मुख आश्वासन दिया है। अब आप विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह मुझे कह रहे थे कि मुझे बेदर्द हाकिम कहा। कितने दर्द भरे हुए हाकिम हैं, वह शब्द डिलीट करवाओ।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं अभी तक कायम हूं। मेरे अलफाजों पर कायम हूं। अब इस विषय में मैं 46 साल का मुद्दा बना रहा हूं। अभी लैटर आये, मेरे पास भी पड़े हैं, अब मेरे सामने परोसा ही नहीं, सिर्फ बात कही कि हम आपको खिलाएंगे। यह मैंने जो जिक्र किया था यह ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: अब आसन इससे ज्यादा तो कोई स्पष्ट निर्देश दे ही नहीं सकता, जितना स्पष्ट निर्देश दे दिया। ....(व्यवधान)....

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): यह मेरे को पूरा भरोसा नहीं, आदेश चाहिए कि उनको पट्टे कब देंगे? प्रधान मंत्री आवास योजना आ चुकी है, प्रधान मंत्री आवास योजना में ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन से क्या अपेक्षा रख रहे हैं अब?

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): प्रधान मंत्री आवास योजना में भी नहीं मिल रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप आसन से यह अपेक्षा रखते हैं कि अब आसन आपको यह कहें कि आप विराज जाओ? ....(व्यवधान)....

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परमिशन हो तो एक मिनट?

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। आउट-पुट एवं आउट-कम बजट, श्री राजपाल सिंहजी शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आउट-पुट बजट वर्ष 2016-17 एवं आउट-कम बजट वर्ष 2017-18

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउट-पुट बजट वर्ष 2016-17 एवं आउट-कम बजट वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलालजी गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार (क्रम संख्या 38)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 38वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 14 फरवरी, 2018 से 06 मार्च, 2018 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2018	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 पर सामान्य वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2018	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापना। 2. वर्ष 2014-15 की अतिरेक मांगों का उपस्थापना। 3. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 पर सामान्य वाद-विवाद।
शानिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2018 रविवार, दिनांक 18 फरवरी, 2018	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2018	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2018 बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018 गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2018 शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शानिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2018 रविवार, दिनांक 25 फरवरी, 2018	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार, दिनांक 01 मार्च, 2018 शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2018 शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 रविवार, दिनांक 04 मार्च, 2018	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 05 मार्च, 2018 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2018; एवं 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018- पर विचार एवं पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 38वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 38वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

याचिका

श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ में शय्याओं की क्रमोन्नति

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ की 300 शय्याओं को 500 शय्याओं में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

सिणधरी मुख्यालय पर सिविल न्यायालय की मांग

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी मुख्यालय पर सिविल न्यायालय खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के नवीन कार्यालय की मांग

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) का नवीन कार्यालय खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शंकुतला रावत।

बानसूर में राजकीय महाविद्यालय की मांग

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में राजकीय महाविद्यालय खुलवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय की मांग

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्यय अनुमान वर्ष 2018-19 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	12 घंटे 43 मिनट
2.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	02 घंटे 02 मिनट
3.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनट
4.	बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
5.	नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
6.	निर्दलीय	35 मिनट
	कुल समय	16 घंटे

आय-व्ययक अनुमान 2018-19 पर वाद-विवाद। प्रथम अवस्था। श्री रमेश।

व्यवस्था का प्रश्न

दलों के सचेतकों द्वारा दी गयी सूची के अनुसार बोलने की अनुमति बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने "अध्याय-18 वित्तीय विषयों में प्रक्रिया" के संबंध में रखना चाहता हूं। इसमें मैं लम्बा न करके आपका ध्यान "142-आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, यहां पर केन्द्रित करता हूं। (1) जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये, उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले दिन या दिनों और उतने समय के लिये, जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिये नियत करे, सदन आय-व्ययक पर सम्पूर्ण रूप से या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों या किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये स्वतन्त्र होगा, किन्तु कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिये रखा जाएगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि सूची सचेतक देंगे और नेता देंगे। आज यह जो कार्य सूची हमारे पास भेजी है, उसमें अन्त में लिखा है कि विभिन्न दलों के सचेतकों और नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जाएगी। अब प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, सामान्य बजट और डिमांड्स, इन तीनों पर माननीय सदस्यों का जो व्यक्तिगत महत्व है, उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले जब डिमांड्स पर कटमोशन देते थे और कटमोशन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की या अन्य कोई डिमांड राज्य के संबंध में रखते थे तो उसको प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता था, उसको आधा मिनट, एक मिनट बोलने का अवसर दिया जाता था।

पिछले कुछ वर्षों से उस प्रक्रिया को बदलकर सारे कटमोशन अपन उसमें प्रस्तुत किये हुए मान लेते हैं और माननीय मंत्रीगण लिखित में उनका जवाब दे देते हैं। जो भी विभाग उनको जवाब देता है, उनके पास पहुंच जाते हैं इसलिये एक माननीय सदस्य की एक अहमियत वहां पर समाप्त हो गयी है।

दूसरा, फिर पहली जो स्टेज आप प्रारम्भ कर रहे हैं आय-व्ययक पर बहस की, उसमें भी यह निश्चित कर दिया गया कि सदन में जो सचेतक होंगे या जो नेता होगा, उनके अनुसार जो सूची आएगी, उस सूची के हिसाब से आसन उनको बोलने के लिये बुलाएगा। ऐसा ही राज्यपाल के अभिभाषण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर है, ऐसा ही आय-व्ययक अनुमान पर है और यही डिमांड्स पर है। अब तीन प्रकार के माननीय सदस्य हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से बंधे हुए सदस्य हैं और निर्दलीय सदस्य हैं। निर्दलीय सदस्यों को तो आसन अपनी इच्छानुसार बोलने की परमिशन दे देता है। अब इस लोकतंत्र में विमत होना स्वाभाविक है और यह विमत सत्तारूढ़ दल में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है तो सत्तारूढ़ दल में और विपक्ष में जिन माननीय सदस्यों का नेता से, सचेतक से या संसदीय कार्य मंत्री से या प्रतिपक्ष के नेता से या सचेतक से मतभेद होगा किसी बात से, तो वह अपनी सूची में उनके नाम देगा ही नहीं। अब जब वह उनकी सूची में नाम नहीं देगा तो वह जो माननीय सदस्य है, वह अपने विधान सभा क्षेत्र की या यहां जब वह बैठता है तो सम्पूर्ण राज्य के बारे में कोई बात सोचता है तो उस बात को सदन के सामने नहीं रख सकता। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस सदन में उनके अधिकारों का संरक्षक केवल आसन होता है। आसन इस प्रकार के अधिकारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का रक्षण करता है और आसन भी जब बाध्य हो जाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, फिर उसके अधिकार का संरक्षण नहीं हो सकता। मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहे, बिना नेता, सचेतक की अनुमति के, उसके संबंध में भी कोई प्रक्रिया या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये अन्यथा तो आन्तरिक लोकतंत्र खतम हो जाएगा और इस सदन में किसी माननीय सदस्य को, जिसको सचेतक या नेता नहीं चाहेगा, उसको बोलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो यह नियम 142 है, उसके हिसाब से आप व्यवस्था करें तो उचित रहेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 142 को उद्धृत करते हुए आसन से कुछ व्यवस्था चाही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन परम्पराओं से चलता है, यह सदन अलग-अलग समय में अध्यक्षीय व्यवस्थाओं से चलता है। इस सदन के लिये बाइबल के रूप में कौल एण्ड शकधर का उद्धृत कई बार किया जाता है। कई बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
अध्यक्षीय व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि विभिन्न दलों के सचेतक महोदय आसन को अपनी सूची देते हैं और उसके अनुसार से उस क्रम में उनको बुलाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते थे, नवीं विधान सभा में इस व्यवस्था को बदला गया था। तत्कालीन विधान सभाध्यक्ष श्री हरिशंकरजी भाभड़ा ने यह व्यवस्था दी थी। चूंकि कटौती के प्रस्ताव एक माननीय सदस्य के कई-कई होते हैं, हर प्रस्ताव पर वह सिर्फ कटौती के प्रस्ताव तक वह सदस्य अपने विचारों में सीमित रह जाएगा तो वह अपनी पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर पायेगा। इस प्रकार उस समय से इस प्रकार की परम्परा चली आ रही है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद यह भ्रम है कि सचेतक महोदय, चूंकि आपने दो-तीन सदस्यों की श्रेणी बतायी। एक सदस्य, जो राजनीतिक दलों के सदस्य हैं; एक सदस्य, जो राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं हैं और एक सदस्य, वह बीच में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो पैंडुलम की तरह है, न इधर के, न उधर के, न जाने किधर के, वक्त बताएगा जाऊंगा कहां। तो उस बात पर, उपाध्यक्ष महोदय, शायद सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को यह भ्रम हो गया कि उनका सूची में नाम नहीं होगा। पर आज की तारीख तक, जब मैं अपनी बात रखता हूं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, हमारे वरिष्ठ सदस्यों की श्रेणी में आप शुमार हैं। आप अगर बोलना चाहोगे तो आपको कभी पहले भी मना नहीं किया था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी हमने नाम दिया था। आप अपनी तिथि बता देना, आप बोलें, अपनी बात रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे तक सीमित नहीं है। मैं तो और दूसरे तरीकों से भी सदन में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं और दूसरे तरीकों से भी, अगर आप लोग नहीं भी चाहेंगे तो दूसरे तरीके से मैं सदन में बोलने का समय प्राप्त करने की मेरी योग्यता रखता हूं, मैं पैंडुलम की तरह से नहीं घूमता हूं। आपके जैसी तो काबिलियत मेरे में आयी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपमें जितनी काबिलियत है, उतनी तो नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

"सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी,

सच है राजेन्द्र सिंहजी, हम हैं अनाड़ी।"

वह तो मैं समझ गया कि आपकी जितनी काबिलियत तो नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये। मैंने सीधा प्रश्न उठाया है कि सदन के नेता और सचेतक जिस माननीय सदस्य को नहीं चाहेंगे कि वह बोले, उसके बोलने के लिये आसन के संरक्षण के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिये मैं उन सभी माननीय सदस्यों के लिये, मैं एक मेरे लिये नहीं चाहता हूं। मेरे पर तो आपकी अति-कृपा है, वह बनाये रखें। आगे क्या होगा, यह तो भविष्य बतायेगा। भविष्य दिख भी रहा है, वह आगे दिख भी जाएगा। इसलिये मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो इस पर आसन की व्यवस्था चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति तक केन्द्रित यह प्रश्न नहीं है। व्यक्ति तक अगर केन्द्रित होता तो मैं पर्सनल जाकर भी आपको कह सकता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। यह आर्टिकल 208(1) के तहत नियम बने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपापूर्वक इस बार नियम समिति भी बनायी है और नियम समिति के अध्यक्ष के तौर पर श्रीमान् की अध्यक्षता में ही वह नियम समिति, शायद मेरी जहां तक जानकारी है, काम कर रही है। अगर माननीय सदस्य पुराने नियमों में कुछ संशोधन चाहते हैं तो नियम समिति के सामने अपना प्रतिवेदन दे दें और नियम समिति की बैठक करके उस पर विचार कर लिया जाये। पर उपाध्यक्ष महोदय, संसद के अंदर चाहे लोक सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे अलग-अलग सूबों के अंदर विधान परिषदें हों, सबमें जो परम्पराएं चली आ रही हैं, जो लोक सभा के अध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्षों ने अलग-अलग समय पर व्यवस्थाएं दी हैं। कौल एण्ड शकधर ने जिसको कई बार उद्‌धृत किया है, उसके अनुसार तो, उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक अपनी सूची प्रस्तुत करते हैं। उसी क्रम में बुलाने का अब तक का प्रावधान है। उसमें अगर संशोधन करना चाहें तो नियम समिति के अंदर माननीय सदस्य अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। नियम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समिति की बैठक बुलाकर आर्टिकल 208(1) के तहत आप संशोधन फरमा कर लाएं। उसके बाद संशोधन करने के लिये भी विधान सभा में मामला आयेगा, विधान सभा में लेकर, उसका प्रस्ताव पारित करके, आसन सर्वोपरि है। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, अटूट शक्तियां हैं रेजीडुअल पावर, जो रुल 308 में है, उसके तहत आप कुछ भी फरमा सकते हैं। आसन सर्वोपरि है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर आप सदस्यों में से भी कोई अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहेगा क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय से ही सम्बन्धित।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, इस विषय पर। मेरा तो इसके अन्दर यही है साहब, पूरा राजस्थान राज्यपाल के अभिभाषण पर भी घनश्यामजी को सुनना चाहता था। अब की बार शुरुआत इनसे करवाई जाये क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो यहां पर सही निभ नहीं रही है। ये ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कम से कम यह आप फरमा दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकिण्ड। उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, मैं इसका विरोध करता हूं। हम पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं और इनमें से भी विपक्ष की बनाने की चेष्टा करते हैं और करते रहेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वैसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय ने जो बात कही, यह तो आदरणीय रमेशजी ने बाहर मीडिया के सामने भी कह दिया था कि आपकी सांठ-गांठ किससे है। वह इन्होंने बात कह दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ज्ञानदेव आहूजाजी ने क्या किया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी माननीय सदन की नेता के ऊपर आरोप लगाये हैं कि उनकी वजह से हारे हैं। फिर भी आप खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं। वह आप दोनों का काम्पीटिशन है। आप विराजो।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से जो भी बोला गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये भी अनुमति बगैर बोले हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इन्होंने जो व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उप मुख्य सचेतक महोदय आसन से अनुमति ले चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अनुमति दे दें, फिर अनुमति लेकर।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिये आप विराजें। देखें उप मुख्य सचेतक महोदय क्या फरमाना चाहते हैं, यह सुन लिया जाये पहले। लेकिन जिस व्यवस्था का प्रश्न सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने उठाया है, अपनी अभिव्यक्ति उसी तक सीमित रखें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां उसी सम्बन्ध में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक काल्पनिक व्यवस्था पर प्रश्न किया है। मैं सोचता हूं यह कल्पना के तहत ही इन्होंने इस प्रकार का यहां पर व्यवस्था का विषय उठाया है। जबकि माननीय सदस्य का नाम हां-पक्ष की तरफ से पहले भी दिया जा चुका था। आसन ने भी यह बता दिया था। सबके सामने सदन में भी बता दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बता दिया था। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से हां-पक्ष लॉबी में भी बात की थी। तब मुझसे कहा था कि मैं आज बोलूंगा। मैंने कहा, बिलकुल आज आप बोलिये। मैंने यह निवेदन किया था कि कृपया मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। यह मैंने जरूर निवेदन किया था। इसके अलावा मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा था। फिर यहां पर नाम भी दिया गया था। आपके सामने ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आपको बता दिया था। फिर पता नहीं यह काल्पनिक, किस प्रकार की चिंता में डूबे रहते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आया। आज भी अध्यक्ष महोदय ने मुझे पहले ही कह दिया था कि माननीय सदस्य बोलना चाहें तो आप जरूर उनका नाम देना। तो हमने कहा कि उनको कभी मना किया ही नहीं। पता नहीं क्यों इस प्रकार के प्रश्न उठाते रहते हैं। मैं सोचता

(श्री मदन राठौड़)

हूं थोड़ा उम्र का असर जरूर माननीय सदस्य पर हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज किया जाये। यह किसी माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत हमला है कि इनको उम्र का असर हो गया। आप तो इस उम्र में भी ठीक काम नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर क्या कहना है आपका।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): चलो, आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसी के ऊपर उम्र का असर हो गया, क्या मानते हो। इनको बुलाओ पहले नम्बर पर, धज्जियां उड़ा देंगे सरकार की, आपके बजट की और आपकी। आप आज बुलवा रहे हो क्या इनसे। बताओ, बुलवाओ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उम्र का असर आप पर नहीं हुआ? उम्र का असर मुझ पर भी है। उम्र का असर आप पर भी है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आब्जेक्शन कर रहा हूं एक बात का। मैं यह आब्जेक्शन कर रहा हूं कि मैंने गम्भीरतापूर्वक एक प्रश्न उठाया और मुझे इस बात की तकलीफ है कि माननीय सदस्य को, उम्र का बैरोमीटर लग गया इनके पास। मेरे में और मुख्य मंत्रीजी की उम्र में एक-दो साल का ही फर्क है, उनकी चैक करा लेना। उपाध्यक्ष महोदय, एक बोलने की मर्यादा भी तय करें। यह आश्चर्य की बात है कि मुझे मर्यादा के उपदेश माननीय मदनजी राठौड़ से लेने पड़ रहे हैं। यह भी आश्चर्य की बात है पर यह समय की बात है। आप उपदेश दे सकते हैं लेकिन मैं इसका आब्जेक्शन करता हूं और इस प्रकार की किसी भी माननीय सदस्य के प्रति जो अभिव्यक्ति करते हैं, उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं। खण्डहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। उम्र की कोई बात ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, खण्डहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। इमारत अभी भी बुलंद है। खण्डहर को सम्भाल लो। उस खण्डहर को सम्भालो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा चल रही है कि कौन बोले, कैसे बोले, सूची दी जाये या न दी जाये।

पहली बात तो यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां हमेशा से सूची के माध्यम से ही बोलने की परम्परा है।

दूसरा मेरा यह है कि जितने भी माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव दे दें उनको हक बनता है, वे बोल सकते हैं। अगर सारे 200 ही सदस्य आपको कटौती प्रस्ताव दें और 200 को ही बोलने के लिये अलाउ किया जाये, हर सब्जैक्ट पर, हर विषय पर, तो सम्भव नहीं होगा। इसलिये यहां जो परम्परा रही है कि सचेतक या मुख्य सचेतक, पक्ष के और विपक्ष के सचेतक जो सूची देते हैं, वे माननीय सदस्यों से विचार करके, और जो बोलने के इच्छुक हैं उनका नाम लिखकर ही देते हैं। इसलिये यह परम्परा, मैं सोचता हूं, यह ठीक है। इसके अलावा भी आसन को अधिकार है। मैंने देखा, हमारी सूची के बावजूद भी आपने दो सदस्यों को, जिन्होंने डाइरेक्ट आपसे एप्रोच किया है तो आपने अलाउ किया है, कई बार कर सकते हैं। इसलिये इसके लिये कोई नियम बनाने की जरुरत नहीं है। मैं सोचता हूं, नियम पर्याप्त हैं। अगर कोई सदस्य को यह लगे कि मुझे बोलना है, लेकिन नहीं बोलने दे रहे तो आपसे डाइरेक्ट अनुमति लेकर बोल सकते हैं। इसलिये यह जो परम्परा है, इसको बनाये रखी जाये। इसमें कोई रुल्स में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य ने व्यवस्था तो आसन से मांगी है। आप अपनी-अपनी व्यवस्था क्यों दे रहे हैं?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): साहब, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप आसन से व्यवस्था चाहते हैं या सदस्यों से व्यवस्था चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं। आपसे ही चाहते हैं। लेकिन एक सुझाव है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आसन से ही व्यवस्था चाही है, आसन से ही संरक्षण चाहा है। लेकिन यहां सबके पास अलग-अलग मशीनें आ गई हैं। हमारे सचेतक महोदय के पास मशीन है, जो उम्र का टैस्ट कर लेती है कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी नहीं है। वह मशीन उनके पास है। इस प्रकार की कई मशीनें अलग-अलग आ गईं। मुझे तो आसन से ही व्यवस्था चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक ही सैकिण्ड का सुझाव है कि यह भी व्यवस्था दी जाये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे, आसन से हम उम्मीद करते हैं कि जब सचेतक बैठा हो तो उप मुख्य सचेतक क्यों बोलें। उस पर प्रतिबंध लगना चाहिये न। सचेतक को कुछ माने ही नहीं और बीच में खड़े हो जायें हरे पन्ने की किताब लेकर।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, यह प्रतिबंध तो उपाध्यक्ष पर है कि जब अध्यक्ष बैठा हो तो उपाध्यक्ष नहीं बोलता।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर लाइनें हैं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये कि आप अधिकारों और राहत के लिये भटकते क्यों हैं। अन्याय का विरोध करने का हक तो हमारा है। फिर माननीय राजेन्द्र राठौड़जी को आप खटकते क्यों हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): जी। आप खटकते क्यों हैं।

व्यवस्था

आसन बोलने की अनुमति देने के लिए किसी भी सूची से बाध्य नहीं

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्पूर्ण सदन का ध्यान कुछ दिनों पहले आसन से दी हुई उस अभिव्यक्ति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आसन ने पिछले सप्ताह यह बात स्पष्ट कर दी थी, आसन किसी भी सूची से बाध्य नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य अगर ऐसा समझता है और उसको यह आशंका है कि वह बोलना चाहते हैं और सारे ही सचेतक, प्रतिपक्ष के और पक्ष के उन्हें कहीं समय नहीं दे रहे हैं तो उनको स्वतंत्रता है आसन से प्रार्थना करने की।

श्री रमेश।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सदन की नेता ने 12 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान की स्थापना के बाद 5 दशक से अधिक के दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही लेकिन जितना कर्जा इस भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है उतना कर्जा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया। आजादी के बाद इसको भाजपा का कुप्रबन्धन कह सकते हो कि सर्वाधिक कर्जा लेना और हम बात करें, राष्ट्रपति शासन को छोड़ दें और कांग्रेस का कितना शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी का कितना शासन रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गैर कांग्रेसी दलों का राज था वो 6164 दिन रहा और कांग्रेस के शासन की अवधि, इसने 17,455 दिन राज किया। उसके बावजूद वर्ष 2017-18 में राजस्थान की जनता पर जो कर्जा बढ़ा है 2,79,828.05 करोड़ और अब जो आगामी 2018-19 वर्ष है वो 3 लाख 80 हजार करोड़ के पार कर जाएगा जबकि राज्य सरकार का स्वयं का कर, राजस्व कर बढ़ रहा है। उसकी रेट 16.78 परसेंट और आगामी वर्ष में इन्होंने जो दिया है वो मेरी समझ में नहीं आया, कि आगामी वर्ष में जो राजस्व कर रहेगा उसको घटाया है, 12.12 परसेंट रहा है तो आपका वित्तीय कुप्रबन्धन कहो या वित्तीय प्रबन्धन कहो कि कर्ज बढ़ रहा है, एक तरह से सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है।

आपका जो वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, वर्ष 2017-18 में 290.52 करोड़, वर्ष 2018-19 में यह 33 से 35 परसेंट और बढ़ जाएगा। यह राजस्थान की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कैसा प्रबन्धन है और कैसा बजट है? क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बजट में जो लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की हैं चुनाव को देखते हुए कि लोग लालच में आ जाएंगे और दोबारा हमें वोट मिल जाएंगे। आप देखेंगे, ज्यादा तो मैंने नहीं देखा लेकिन जिस प्रकार जल संसाधन विभाग में 52 हजार करोड़ रुपये की घोषणाएं की हैं और उसमें बजट तीन-चार हजार करोड़ रुपये के आसपास रखा है।

(श्री रमेश)

किसान कर्ज माफी की बात आती है तो अन्य प्रदेशों में कहीं 35 हजार करोड़ माफ किया है, कहीं 40 हजार करोड़ माफ किया है। यहां किसानों के साथ कुठाराघात किया गया है, किसानों का अपमान किया गया है क्योंकि इस प्रदेश में 80 किसानों ने आत्महत्या कर ली और सभी विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए लेकिन सरकार ने क्या किया है, मात्र आठ हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है और प्रावधान रखा है मात्र 1900 करोड़ रुपये का।

ऐसे ही गौशालाएं हैं, कहा है कि उनको बजट देंगे। आपके पास पैसा नहीं है, बजट कहां से देंगे?

अभी आपने कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की बात कही है, अप्रैल से देंगे, अभी आप इस मार्च के बजट में जोड़ते तो आपका एफ.आर.बी.एम. एक्ट तीन परसेंट ऊपर चला जाता लेकिन आपने एक चालाकी की।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग करती है, चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाती है। अभी हाल ही में अलवर, अजमेर और माण्डलगढ़ में चुनाव हुए थे। उनमें अलवर में फरवरी, 2010 तक के ट्रांसफार्मर एडवांस, दो हजार ट्रांसफार्मर लोगों को एडवांस दे दिये गये। दीनदयाल विद्युत ग्राम योजना के कनेक्शन पूरे कर दिये गये। पता नहीं है पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजली में कोई कटौती नहीं होगी और इसी तरह का वातावरण माण्डलगढ़ में खनन विभाग के द्वारा पैनल्टी वसूली माफ करना, इस तरह का जो काम सरकार का है कि चुनाव जीतना है, चुनाव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।

दूसरा उदाहरण जो मैं बताना चाहता हूं कि धौलपुर में विधान सभा के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की +++ ने एक आदेश निकाला 25 मार्च, 2017 को कि किसी भी 11 के.वी. के फीडर पर थ्री फेज बिजली 24 घंटे दी जाए। तो पूरे धौलपुर में इस प्रकार के चार-पांच ऑर्डर निकले हैं और थ्री फेज बिजली दी गयी है।

दूसरी तरफ आप कहते हो कि, भाई, छीजत को रोकना है। उदय योजना से जो हमने टेक-ओवर लोन लिया है, उसका 25 परसेंट का फायदा

(श्री रमेश)

हमें उठाना है, तो एक तरफ तो आप छीजत की बात करते हो, दूसरी तरफ आप थ्री फेज बिजली, जहां चुनाव हो रहा है वहां चुनाव जीतने के लिए बिजली का दुरुपयोग कर रहे हो, तो बिजली का घाटा कैसे उबरेगा, कैसे बिजली का घाटा कम होगा? तो इस प्रकार की जो चीजें आ रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए बिजली के तंत्र का दुरुपयोग करना और इसमें साफ-साफ लिखा है, +++ चाहो तो मैं इसको टेबल कर सकता हूं, यह मेरे पास ऑर्डर है 24 घंटे थ्री फेज बिजली देने के। जबकि राजस्थान की आम जनता महरूम है कि हमें थ्री फेज बिजली मात्र पांच-छह घंटे मिल जाए, सिंगल फेज हमें कोई 12 घंटे मिल जाए। आप लोगों ने बजट में घोषणा की थी कि आठ घंटे थ्री फेज बिजली देंगे, 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देंगे, बिजली की दरें भी आपने 17 से 19 प्रतिशत बढ़ा दीं, किसानों की रेट्स भी आपने बढ़ा दीं। वीसीआर के नाम पर आपने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वो पाप तो आपके द्वारा किया गया था ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): सुन लो, बाबाजी, संत महाराज, सुन लो, सुन लो। ...(व्यवधान)... अब एक बात आपकी भी सुन लो। आप तो विराटनगर से आते हो न, तो आपकी भी सुना देता हूं, उसके बाद ही हम दूसरी बात करेंगे।

खातोलाई में 21 आदमियों की मृत्यु हो गयी ट्रांसफार्मर फटने से और आप वहां के विधायक हैं। आपको यह पता नहीं है, एक आदेश निकला है वो आदेश अभी जस्ट आपको दिखाता हूं, यह रहा ...(व्यवधान)... रुक जाओ, रुक जाओ, पहले एक मिनट हमारी बात सुन लें। अभी बात कर रहा हूं आपकी।

चेयरमैन डिस्कॉम, स्टैंडिंग आदेश 16/01 दिनांक 20.06.2016 द्वारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के जीओ एवं डीओ को हटाने एवं लाइन से केबल को सीधे ही 11 के.वी. की बुशिंग से जोड़ने का आदेश दिया था। तो क्या हुआ? कि यदि इसमें ड्रोप आउट फ्यूज डीपी में लगा होता तो ड्रोप आउट फ्यूज होता तो वो 21 आदमी नहीं मरते। यह 21 आदमी किसके आदेश से मरे हैं? ...(व्यवधान)... अलाउ नहीं, यह आदेश है आपकी

(श्री रमेश)

सरकार का, इसने आदेश दिया है जीओ, डीओ को समझते हो तो, वो मोहन जी समझते हैं, आपके पास में बैठे हैं, उनसे पूछ लेना। यह तो लोगों को पता नहीं है अभी, वहां के लोगों को पता नहीं है, नहीं तो हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, 21 लोग इस राजस्थान की धरती पर आपके विराटनगर में मर गये। हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इस विभाग की मंत्री मुख्य मंत्री हैं मुख्य मंत्री। इस विभाग की मंत्री मुख्य मंत्री हैं और जो अधिकारी है, जिसने आदेश निकाला है, उसके खिलाफ भी केस दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस प्रकार छीजत को कम करने के लिए जो आदेश निकाला गया, स्टैंडिंग ऑर्डर, मेजर ऑफ लोस रिडक्शन के लिए, तो यह घटना नहीं होती क्योंकि राजस्थान में जितनी भी डीपी पर ड्रोप आउट फ्यूज लगे हुए थे उनको इस आदेश से हटा दिया गया।

अगर ड्रोप आउट फ्यूज लगा होता तो फ्यूज ही जाता, दबारा सप्लाई नहीं होती। इससे लोग बच जाते।

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय दूसरा मुद्दा है ट्रांसफार्मर का, जितने भी ट्रांसफार्मर्स कंपनियों से आ रहे हैं, यहां राजस्थान डिस्कॉम की बात कहो या हम अन्य डिस्कॉमों की बात करें, सभी में एक इंस्पैक्शन पैनल बना हुआ है, वह चैकिंग करने जाता है तो वहां एक सर्टिफिकेट देकर आता है कि आपका ट्रांसफार्मर ओके है, उसके बाद सप्लाई होता है। उसके बाद भी वह ट्रांसफार्मर फट गया तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे पता है वह जांच रिपोर्ट। उसमें साबित कर दिया कि कोई भी दोषी नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सरकार ही हत्यारी है या सरकार में बैठे लोग हत्यारे हैं। जो 21 लोग मरे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है?

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बिजली डिस्कॉम में आई.टी. के टैंडर हो रहे हैं, उन टैंडरों में, टैंडर हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, फाइल गायब हो जाती है, 200 करोड़, 500 करोड़, हजार करोड़ का पता नहीं रहता है। ऐसी जो महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो रही हैं, उनकी जांच करवाओ।

इस विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 65 साल से उम्र ज्यादा है। वे

(श्री रमेश)
पात्रता नहीं रखते हैं कंसलटेंसी पर रहने की भी। वे इस विभाग में तनख्वाह पा रहे हैं। मोहनजी, जानते हो आप? कौन पा रहा है तनख्वाह? +++ उसको 25 हजार रुपए मिल रहे हैं। +++ यह गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भामाशाह योजना की बात करते हो भामाशाह योजना आई है, एक अच्छी योजना आई है। लोगों को जीवनदान देगी। इससे तो अच्छी हमारी नि:शुल्क दवा योजना थी, नि:शुल्क जांच योजना थी। लोगों का समय पर इलाज होता था, लोगों को मदद मिलती थी। आज आप एसएमएस में चले जाइए, भामाशाह कार्ड है तो एक घंटे लाइन में लग गए, नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप भर्ती हो गए, उसके बाद आपको सामान्य चार्ज देना पड़ेगा। यदि आपने यह कोशिश की कि मेरे पास पैसा नहीं है, भामाशाह कार्ड है तो कल फिर लाइन में लगेगा तो हो सकता है आपका मरीज ऊपर पहुंच जाए।

भामाशाह कार्ड में जो घोटाला हुआ है अभी, एक इटायची कंपनी है, जिसने आपका काम लिया है installation, maintenance and hardware infrastructure of VSDC and RSDC. यह 200 करोड़ का टेंडर है। इसमें इटायची ने जो बिड लगाई है, टैक्निकल बिड, वह महा फर्जी है। मंत्रीजी, इसकी आप जांच करवा लें। एक आदमी किसी को काम सबलेट करता है तो दूसरी कंपनी उसके साथ-साथ बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस है, पंजाब में इसने टैंडर लिया है तो वही सेम डॉक्यूमेंट तो पंजाब में लग रहे हैं और वही सेम डॉक्यूमेंट राजस्थान में लग रहे हैं। इसका मतलब किसी न किसी को सबलेट किया है। यह टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आता है। उसको आप लोगों ने काम दे दिया। वह काम नहीं कर रहा है तो एक तरह से यह भामाशाह योजना में 200 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया। इसकी आप जांच करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बजट में एक घोषणा की गई है, मुंदड़ा कांडला बंदरगाह से जैसलमेर को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन की बात कही गई है। इस बारे में मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसकी विस्तृत जानकारी हमें बताएं। इसकी हमें जानकारी नहीं है कि क्या योजना है।

दूसरी बात, हमारी एक मांग थी कि धौलपुर से सरमथुरा होते हुए गंगापुर तक एक नैरो गेज थी, आमान परिवर्तन था। आगे उसको गंगापुर से

(श्री रमेश)
जोड़ने की बात थी। हमने मांग भी रखी थी। हमारी सरकार के समय में यह रेल परियोजना सैंक्शन हुई थी। लेकिन किसी निजी हित के कारण, विशेष वजह से यह काम रोक दिया गया है। यह बड़े शर्म की बात है। हमारे पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ इस प्रकार का +++ कि आपकी लाइन को हैरिटेज बनवाने के लिए उस लाइन को रोकना और 30 करोड़ रुपयों से वहां पर हवाई पट्टी बनवाना, +++ यह हवाई पट्टी किसलिए बन रही है? +++ हमारी यह रेलवे लाइन लोगों के काम आती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आपको मालूम नहीं हो तो जरा अपडेट कर लो ताकि रिकार्ड में सारी बात सही जाए। राजस्थान के लगभग-लगभग सभी जिलों में यह डोमेस्टिक एयर सर्विस चालू करने के लिए राज्य सरकार की योजना है। उसके तहत सभी जिलों में बन रही है। किसी एक जिले की बात नहीं है। कौनसा प्रस्ताव रेलवे विभाग से कब पारित हुआ आमान परिवर्तन का? कोई है आपके पास में तो बताएं।

श्री रमेश (सपोटरा): है ना आमान परिवर्तन का। हमारे कांग्रेस के समय में हुआ है। उसके कागज भी हैं हमारे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसे कांग्रेस के समय में, कौनसे सन् में हुआ, कौनसे बजट में हुआ, बजट के कौनसे पैरा में हुआ? पैरा पढ़कर बताएं। यह हवा में मत चढ़ाओ।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, है हमारे पास। वह भी है हमारे पास। ऐसे ही नहीं है। पहले आप बात को सुनिए। आप माद्दा रखिए, माद्दा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उप नेता हो। यों ही मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर कोई बात नहीं कहें जो रिकार्ड पर गलत जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): मुख्य मंत्री का नाम मैं सही ले रहा हूं। आपको जो बता रहा हूं वह हमारे पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल हमारा यह है मुख्य मंत्रीजी से कि मुख्य मंत्री जो भी होता है, पूर्व मुख्य मंत्री, वर्तमान मुख्य मंत्री, सरकारों ने एक

(श्री रमेश)

व्यवस्था की है कि मुख्य मंत्री को एक आवास अलॉट किया जाएगा। आप बताएं कि मुख्य मंत्रीजी के पास कितने आवास हैं? बंगला नंबर 13 किसके पास है? मुख्य मंत्रीजी अभी प्रजेंट में कहां रह रही हैं? इसका सिक्योरिटी का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा कौन वहन कर रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पर बहस कर रहे हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): यह बजट में नहीं आ रहा क्या? यह पैसा खर्च हो रहा है। इसका दुरुपयोग हो रहा है। यह सही नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह उन बातों के ऊपर बोल रहे हैं, पूरे राजस्थान को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि मुख्य मंत्रीजी कहां रह रही हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आज तक की परंपरा क्या रही है, वह बता दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह मुख्य मंत्री आवास, जो बहुत बड़ा, विशाल था, वहां नहीं रहकर, पूर्व मुख्य मंत्री के नाते जो मकान उनको सरकार ने आबंटित किया था, उसी में निवास कर रही हैं। उसमें क्या गुनाह कर रही हैं? उलटे वहां सादगी से रह रही हैं। बिना यातायात रोके आजकल ट्रैवल भी कर रही हैं। उनकी सादगी की प्रशंसा करें तो जरा अच्छा लगे।

श्री रमेश (सपोटरा): बंगला नंबर 13 के बारे में स्पष्टीकरण दें संसदीय मंत्री। आप इस बात को और उछालना चाहते हैं तो उछालें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके कार्यकाल में आपके मुख्य मंत्री कहां-कहां रहते थे, पता है?

श्री रमेश (सपोटरा): पहले मेरी बात तो सुन लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतना स्पष्ट कर दिया संसदीय कार्य मंत्रीजी ने, उसके बाद आगे कोई बात करने की गुंजाइश कहां है।

श्री रमेश (सपोटरा): उपाध्यक्ष महोदय, लोक परिवहन सेवा में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। जितना बड़ा रूट उतना बड़ा परमिट और उतनी बड़ी फीस। इसकी जांच करवाई? कभी ध्यान नहीं दिया। अभी हाल ही में क्योंकि आप

(श्री रमेश)

लोग तो बोल नहीं सकते, माननीय प्रधान मंत्रीजी की पत्नी किसी शादी समारोह में चित्तौड़गढ़ के पास पधारी थीं। पहले मेरी बात सुन लीजिए ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको हो क्या गया है? रमेशजी, क्या हो गया है?

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): बेसिक नियमों की जानकारी रखा करें थोड़ा। पढ़ें थोड़ा। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लेना-देना क्या है? कौन है प्रधान मंत्री की पत्नी? आपके पास उनका मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह बोलते जा रहे हैं, उनको स्वयं को भी यह पता नहीं है कि यह क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जो सदन में नहीं हैं उनके बारे में बोलने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जो सदन के सदस्य नहीं हैं ...(व्यवधान)... यहां +++ नाम लेते तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): और +++का नाम लेते हैं तो और ज्यादा लग जाती है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप बात करो ना बजट की। सदन की बात करो ना। 200 मैम्बर हैं इनकी बात करो।

श्री रमेश (सपोटरा): माद्दा रखो मेरी बात सुनने का। जो कह रहा हूं वह पूरी सुन लो ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): सुन तो रहे हैं। फिर +++ सुनने का माद्दा रखो जब हम बोलेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो संसदीय सचिव हो, थोड़े दिन की दुकान है, बंद हो जाएगी, चुप रहो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या-क्या बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। मुझे कितनी बार आप सदस्यों को यह बात निवेदन करनी पड़ेगी, अपनी भाषा पर और व्याकरण पर तो कम से कम संतुलन रखिए। यू एक्सपेक्ट मी, कि अगर मैं एक्सपंज करने लगा तो आपकी तीन-चौथाई स्पीच एक्सपंज हो जाएगी। मैं इसलिए अंकित करा रहा हूं कि बाद में जो व्यक्ति इसे पढ़ेंगे, आने वाले सदस्य पढ़ेंगे तो उनकी आपके पढ़े हुए, आपके इस वृत्तांत पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, यह भी आप ध्यान में रखें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का सारांश यह है, मैं शोर्ट में कह दूं, ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इन्होंने अभी जो बोला है कि 'आपके संसदीय सचिव की दुकान बंद हो जाएगी' इससे हमें बहुत अपनी...

श्री उपाध्यक्ष: कुछ तो आप आसन पर भी छोड़िए अपना काम करने के लिए, क्या एक्सपंज होगा और क्या लिखित होगा।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): यह हमारी दुकान बंद होने का कह रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना का कारण ओवर लोड वाहनों का चलना, ओवर लोड वाहनों की वजह से रोड्स टूटती हैं, कितना पैसा खर्च होता है, यह राज्य सरकार की निधि से नहीं आ रहा है? यह भारत सरकार की निधि से आ रहा है? यहां सदस्यों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यह जो एक्सीडेंट हुआ, वह ओवर लोड वाहन की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ? ये ओवर लोड वाहन इस राजस्थान में चल रहे हैं। बजरी का अवैध दोहन कर रहे हैं, +++ तो नैतिकता के आधार पर एक जांच कमेटी बने, दोषी हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो। मेरा यह निवेदन है।

इसी प्रकार अभी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने की बात आई थी तो अच्छी लोकेशन वाली स्कूलों को चिह्नित किया गया, मेंटीनेंस के नाम पर 16 लाख रुपये दिए गए और जो कम्पनियां आएंगी, वे अपनी मनमर्जी की मालिक होंगी, अपनी मनमर्जी से काम करेंगी। इसी तरह एजुकेशन फेस्टिवल

(श्री रमेश)

हुआ था, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? कोई हिसाब-किताब नहीं है, उससे क्या फायदा हुआ, इसके बारे में भी सदन की नेता हमें बताएं।

तीसरी बात, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे एनर्जी विभाग हो या चाहे कृषि विभाग हो, जितने भी विभाग हैं उन पर इस प्रदेश में कंसल्टेंसी के नाम पर कुछ नेताओं के लोग लगे हुए हैं, काम कर नहीं रहे हैं, वह एक रेगुलर पोस्ट के आधार पर काम कर रहे हैं जबकि वह यह काम नहीं कर सकते। हमारा जो व्यय हो रहा है उससे सरकार को हानि हो रही है, इस पर भी सरकार ध्यान दे तो अच्छी बात है। मैं नाम लूंगा किसी का नहीं तो कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि स्वास्थ्य भवन में एक-दो लोग लग रहे हैं तो वह किस-किसको सेवा दे रहे हैं? यह आप लोग भी जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्वास्थ्य भवन बहुत चर्चा में आ रहा है?

श्री रमेश (सपोटरा): अन्नपूर्णा का जो कार्य दिया गया है, एक ही आदमी को दिया गया है बिना टैंडर के तो इसकी भी सरकार थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त कर ले कि डिफरेंस का पैसा, जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इस पर भी सरकार ध्यान दे।

रिसर्जेंट राजस्थान में जो कहा था, बड़े जोर-शोर से मनाएंगे रिसर्जेंट राजस्थान, 3.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। जब निवेश आने की बात हुई तो कहा गया कि 23 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। रिसर्जेंट राजस्थान में जो पैसा खर्च हुआ, उसके बारे में हमने कितनी बार ही सवाल लगाए, एक सवाल का जवाब राज्य की सरकार ने हमें नहीं दिया तो यह जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। सवाल का जवाब मांगते हैं तो सवाल के जवाब असत्य दिए जाते हैं। यह जनता सब जान रही है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? यह सब लोगों को पता है।

दूसरी बात, अभी द्रव्यवती नदी के विकास की बात चल रही है कि उसका सौंदर्यीकरण होगा, उसका डवलपमेंट होगा, साबरमती नदी की तरह से एक नया प्रोजेक्ट आएगा। पहले तो इन टैंडरों में अनियमितताएं की गईं, एक ही पार्टी को टैंडर दिया गया। स्विस चैलेंज मैथड की जो बात कही गई थी उसको नकार दिया गया। उसके बाद एक नया टैंडर ग्रीन डवलपमेंट के

(श्री रमेश)

नाम से 45 करोड़ रुपये का और दे दिया। इस तरह से पैसा देने की कहां जरुरत है कि 1416 करोड़ रुपये का कर्ज लो और एक नाले का सौंदर्यीकरण करो। उसके लिए तो जो एनक्रोचमेंट हो रहा था, दोनों तरफ आप दीवार बनवा देते और यदि आपको काम ही करना था जयपुर शहर का तो मैट्रो सैकिंड को चालू कर देते या शहर में एक नई अच्छी व्यवस्था लागू कर देते, कोई नया काम कर देते तो लोगों को भी लगता कि जयपुर शहर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो यह चीजें, जितनी चीजें हो गईं और इसमें द्रव्यवती नाले में सैकड़ों खातेदारों की भूमि बिना एक्वायर किए हुए जबर्दस्ती निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। किसानों ने स्टे ले रखा है, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि बड़े उद्योगपति हैं टाटा जैसे, ऐसे लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है।

पृथ्वीराज नगर के विकास की बात थी, उसका कोई काम नहीं हो रहा। सरकार का काम है इस प्रदेश में जहां कोई बेशकीमती भूमि हो, महंगी हो, उस पर कैसे कब्जा किया जाए। अभी जानकारी में एक बात आई थी, फिर लोग खड़े हो जाएंगे। खेतड़ी हाउस की बेशकीमती जमीन पर सरकार की नजर है। और जिले का जिला कलक्टर डर के मारे छुट्टी ले कर भाग जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कई बार आसन से यह व्यवस्था दी गई है कि समाचार पत्रों में आई किसी खबर के आधार पर माननीय सदस्य कोई बात नहीं कहेंगे। यह माननीय सदस्य समाचार पत्र में आई खबर को अक्षरश: काफी समय से पढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई बात हो तो नियमों में आए, नियम 273 के अंतर्गत नोटिस दे। किसने मना किया है?

श्री रमेश (सपोटरा): पहले सुन लीजिए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस आसन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर इनको कोई आरोप लगाने हैं, इनको पूरा अधिकार 273 में दे रखा है। 273 में हमें नोटिस दे दें, हम जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)... अब कौनसे खेतड़ी हाउस की जमीन, किसकी नजर, खेतड़ी हाउस की जमीन पर सरकार की नजर, यह सनसनी पैदा करना चाहते हैं। यहां अनर्गल बात करके समाचार-पत्रों में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
अपना स्थान लेना चाहते हैं, यह उचित नहीं है, यह सदन का दुरुपयोग है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके पास क्या प्रमाण है कि सरकार लेना चाहती है? अख़बार देखकर नहीं, प्रमाण बताइए।

श्री रमेश (सपोटरा): हम सब बता देंगे, आप बैठ जाइए पहले। बता देंगे, सब बता देंगे आपको।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, सदन में आपको बोलना है तो उसका कोई प्रमाण लाइए, रखिए टेबल पर। टेबल पर रखिए यदि सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं तो।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो आपका भी प्रमाण दे दूंगा। आप शांति बनाए रखें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): लाओ न आप हमारा भी।

श्री रमेश (सपोटरा): दे देंगें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके पास जो है, सब लाओ।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बैठ जाइए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अगर हमारा भी है तो आप लाइए, नहीं तो आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी दूसरी बात आई किसानों को एमएसपी दर का फायदा ...(व्यवधान)... यह तो आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने अभी मंगवाया भी है कि मंत्री के रिश्तेदारों ने उसका फायदा उठाया है। हमारे कृषि मंत्री हैं नहीं यहां पर, उन्होंने कहा कि यदि मैं कृषि मंत्री बनूंगा तो कृषि का बजट अलग से होगा, उस बजट पर अलग से बहस होगी लेकिन जयपुर में ग्राम एग्रीटेक, उदयपुर में, कोटा में, खूब खर्चा हुआ। जो सारे प्रोग्राम होते हैं उससे किसानों को क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि मंत्रीजी की बात कहूंगा तो फिर, रणथम्भौर रोड पर +++ और वानिकी विभाग के माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कृषि पर मांग 5 मार्च को रखी गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कागज पढ़ा कीजिए थोड़े।

श्री रमेश (सपोटरा): वह तो पता है हमें। सारा पता है +++, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप मर्यादित आचरण से कोई बात अभिव्यक्त नहीं करेंगे और मर्यादित भी हो, लेकिन सत्यता को आप टोटली ही उससे विलोप कर दें तो आसन बाध्य नहीं है कि आपसे अभिव्यक्ति करवाए। ऐसा लग रहा है जैसे बजट पर कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा, आपस में आप आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगाने हैं तो नियम हैं, नियम में आइए और आरोप लगाइए। अगर इस बजट का सार सिर्फ एक-दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाना ही है, एक-दूसरे सदस्यों पर आरोप लगाना है तो मैं यह मानता हूं कि आसन बाध्य नहीं है कि इस प्रकार के वाद-विवाद को आगे बढ़ाए। इसलिए, जो वक्तव्य आपको देना है, आधे घंटे से आप बोल रहे हैं और आधे घंटे में तीन-चौथाई जो आपने बात कही है, वह सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाने तक आपने सीमित रखा है। इस प्रकार के समस्त वक्तव्य को मैं अपलिखित करने का निर्देश देता हूं और साथ में सबको यह सचेत भी करता हूं कि अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है, सम्माननीय सदस्य पर लगाना है, सम्माननीय मंत्रीगण पर लगाना है तो आप नियमों में आइए, वरना आसन इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आपकी बात को अंकित कराए।

श्री रमेश (सपोटरा): भाषण तो बहुत है, सुनने का माद्दा रखो। बोलने का मौका दो हमें। तथ्य ही तथ्य हैं। मेडिकल कालेजों में फीस बढ़ाने का...सरकारी मेडिकल कालेजों की फीस दस गुना बढ़ गई। प्राइवेट मेडिकल कालेजों में बढ़ी हुई फीस को सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है। आज गरीब का बच्चा डाक्टर नहीं बन सकता। यह सरकार के लिए एक सोचने का विषय है। यह एक गंभीर मुद्दा है। चिकित्सा विभाग में जो दवाइयां आ रही हैं, नकली आ रही हैं। 208 दवाइयां अमानक पायी गईं। उनमें जो सॉल्ट होना चाहिए था, वह नहीं था। आप लोगों ने नए मेडिकल कालेज खोलने की बात की थी, चार साल से आप बात करते आ रहे हो, आज तक नए मेडिकल कालेज नहीं खोल पाए तो सदन की नेता यह बताएं कि मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल पा रहे हैं। एमसीआई रोड़ा है या डाक्टर एसोसिएशन में इनके जो डाक्टर हैं, उनके जो पैरामीटर हैं या क्या प्रोब्लम

(श्री रमेश)
है कि नए मेडिकल कालेज नहीं खोले जा रहे हैं। आपने बजट में घोषणा तो कर दी।

खनन घोटाला हुआ, उसमें दोषी अधिकारी पकड़ा गया और उसको जेल भी हुई। गृह मंत्रीजी ने कहा था कि हमने उसे पकड़ा है। ...(व्यवधान)... अभी सुन तो लें। सुनने का साहस तो रखें थोड़ा-बहुत। फिर उसी दोषी अधिकारी को आपने बहाल भी कर दिया और उसे क्रमोन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका जो मोबाइल था, उसका लॉक तक नहीं खुलवा पाई सरकार। दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे आप। भ्रष्ट अधिकारियों को आप बढ़ावा दे रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बहुत हो गया।

श्री रमेश (सपोटरा): बहुत, बहुत है। आपके खान विभाग में जितने भी रॉयल्टी के नाके हैं, +++ क्योंकि उनके कांटे का तो वेरीफिकेशन करवाओ माप-तौल विभाग से, कि वह सही कांटा तोल रहा है कि नहीं तौल रहा। इससे राज्य सरकार को हानि हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता। आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि या तो किसी मंत्री की फर्म है या किसी विधायक की फर्म है। पूरे सदन को उसकी लपेट में ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करुंगा कि आप 273 पढ़कर इनको सुना दें, नहीं तो मैं सुना दूं। इनको नोटिस दे दें। 273- किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों के बारे में प्रक्रिया- किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध....

श्री रमेश (सपोटरा): मुझे जानकारी है माननीय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जानकारी है तो आप फिर क्यों बोल रहे हो। आप उपनेता हो। आप प्रतिपक्ष पार्टी के पहले स्पीकर हो। बजट के बारे में एक बार नहीं बोला। प्लान साइज क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, किसी एक बात पर नहीं बोले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है आपसे, इस डिबेट का स्तर क्या होगा, इस डिबेट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
का लेवल क्या होगा, जब पहले स्पीकर ही इस प्रकार के होंगे तो।

श्री रमेश (सपोटरा): करौली में रॉयल्टी का जो नाका है, वह किसका है, पता कर लेना और उसमें माप-तौल विभाग द्वारा कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया है क्या। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप जांच करवा लेना।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए आप, कनक्लूड कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, साहब। कनक्लूड कर रहे हैं। राज्य में आदर्श स्कूल खोले गए। वहां पर 35 परसेंट स्टाफ के पद खाली हैं। राज्य के 65 परसेंट विज्ञान संकाय के सरकारी विद्यालयों में साइंस लैब नहीं है। पिछले 3 साल में 469 स्कूलों में तालाबंदी हुई है।

ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात हुई थी, अभी तक लागू नहीं हुई है। रोडवेज की बात करें, निजीकरण करने के बाद भी रोडवेज की हालत अभी तक नहीं सुधरी है। सिंधी कैंप के आधुनीकरण की जो बात थी, उसे बनाने की जो घोषणा थी, वह घोषणा रह गई। नदियों को जोड़ने की बात थी। अभी आपने कहा कि 37 हजार करोड़ रुपये देंगे नदियों को जोड़ने के लिए, तो लग नहीं रहा है। सपने दिखा रहे हो आप, पैसा आपके पास है नहीं। आपका राज्य का महत्त्वपूर्ण ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर का काम लटका हुआ है। दो साल में आप लोगों के राज में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी सलैक्ट नहीं हो पाई। आपकी जल स्वावलंबन योजना जो है, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि आज तक आपने उसकी जांच कराने की भी नहीं सोची कि काम सही हो रहा है या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है, साहब। सरकार में बैठे अधिकारी खासाकोठी, आनंद भवन, अशोका होटल क्यों बेचना चाहते हैं? +++ कर्ज माफी के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बजट की बात तो कर नहीं रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा ये ऐसा ही करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर वही बात। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्हें रोकिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): जामडोली में एक संस्था को 30 बीघा जमीन देने का प्रयास चल रहा है। डाक्टरों की हड़ताल हुई। यदि आपको राजीनामा ही करना था, सैकड़ों लोग मर गए, राजीनामा पहले कर लेते। मिठाई पहले खा लेते। सौ लोग मर गए, उसके बाद आप मिठाई खा रहे हो। बड़े शर्म की बात है यह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

श्री रमेश (सपोटरा): ऐसी परंपरा है क्या आपके यहां। समाज कल्याण विभाग की बात हो ही चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष: बगैर अनुमति के जो बोला है, उसकी बात अंकित नहीं होगी।

श्री रमेश (सपोटरा): +++ बड़ा दबदबा है उसका...।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, मैं आपसे पुन: आदरपूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आसन आपसे निवेदन कर रहा है, कृपा करके अपनी अभिव्यक्ति को बजट के सार तक सीमित रखें।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बात तो कहूंगा। बस दो मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जेडीए के अधिकारियों के द्वारा ग्राम चिताणू तहसील आमेर में सरकारी भूमि की दीवार को तोड़कर एक फार्म हाउस में मिला दिया। जिस अध्यापक ने उसके खिलाफ शिकायत की, उसे जेल में डाल दिया।

दूसरा विषय यह है कि 80 से 90 लाख रुपए खर्च किए 11 फीडर की लाइन डालने के लिए। यह एक तरह से राज्य सरकार का नुकसान हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी मत बजाओ, साहब। राजस्थान में दूध डेयरी में भारी अनियमितताएं हो रही हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बहुत देर हो गई।

श्री उपाध्यक्ष: पिछले 50 मिनट से आप बोल रहे हैं। 50 मिनट हो गए

(श्री उपाध्यक्ष)
और अगर मैं इस टाइम टेबल का ध्यान रखूं तो आप अपनी तरफ से अकेले बोलेंगे आपकी पार्टी से?

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं बोलने देते तो बैठ जाऊं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: 50 मिनट हो गए, 50 मिनट से ज्यादा आपको आसन और क्या समय दे सकता है। अगर हर सदस्य को 50-50 मिनट दिए गए तो यह तो अगले एक महीने तक आपकी बहस सिर्फ यह प्रथम चरण वाली चालू रहेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सही बात है।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, महाराज।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंहजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट भाषण पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने गांव के गरीब, किसान, महिलाओं एवं नौजवानों को ध्यान में रखकर एक सशक्त और सम्पन्न राजस्थान बनाने के साथ प्रदेश की 36 बिरादरियों को ध्यान में रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए जिन क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए उन सभी क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा में सुधार करना, अर्थव्यवस्था मजबूत करना, बेरोजगारी को कम करना, निवेश को बढ़ाना, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन आदि को मध्य में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। यह राजस्थान का ऐतिहासिक बजट है और इसके बारे में जितना कहा जाए, जितनी तारीफ कही जाए, वो कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रांत का विकास उसकी सड़क नीति पर बहुत महत्व रखता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने गांव को शहर से, शहर को नगर से, नगर को महानगर से और महानगर को जिला हैडक्वार्टर से जोड़ने के लिए जिस तरह से चार साल काम किया और 49

(श्री रामहेत सिंह यादव)
हजार 878 करोड़ रुपये की जो सड़कें राजस्थान को दीं जिनसे राजस्थान हिन्दुस्तान के विकास की गति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है।

यही नहीं, इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 5 हजार किलोमीटर राजस्थान में नई सड़कें बनेंगी, इसकी योजना दी है। हर विधान सभा क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर मिसिंग लिंक, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए जो राशि दी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ह्रदय से आभारी हूं। विशेष रूप से इसके लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

इसके अलावा अलवर जिला माननीय मुख्य मंत्री का विशेष रूप से आभारी है कि एनसीआरपीबी के तहत 932 करोड़ रुपये की लागत की सड़कें मंजूर कीं जो 629 किलोमीटर की 38 सड़कें बन रही हैं। मैं मानता हूं राजस्थान में एनसीआर में अलवर जिला है और एनसीआर में अन्य जिले हरियाणा का गुड़गांव और यू.पी. का फरीदाबाद है इन जिलों के बराबर इसका डवलपमेंट होगा और हमारे जिले को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्षजी, यह नोटिसेबल बात है, मैं बीच में बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के सदस्य क्या वॉकआउट करके गये हैं, सदन का बहिष्कार करके गये हैं? यह रिकार्ड पर लेने योग्य बात है कि कांग्रेस दल का एक भी माननीय सदस्य नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड पर आ गई।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ हो या शहरी गौरव पथ हो, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हिन्दुस्तान में एक अनुकरणीय कदम चार साल में उठाया और हमारे जो 9891 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर पहले 50-50 लाख और अब 60-60 लाख रुपये मंजूर करके राजस्थान के हर गांव मुख्यालय पर जिस तरह की गन्दगी थी और ग्रामीण लोगों को, विशेषकर महिलाओं को अपने कामकाज के लिए पानी में से जाना पड़ता था वहां पर सुन्दर गौरव पथ बनाये। शहरों में भी उसी पैटर्न पर नगरपालिका में ढाई करोड़ रुपये का गौरव पथ और नगर निगम में 5-6 करोड़ का गौरव पथ बनाकर राजस्थान के विकास में चार चांद लगाये हैं, यह अनुकरणीय है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इस बजट में और भी हम चर्चा करें तो राजस्थान में जितने भी नेशनल हाई-वे आजादी के बाद से अब तक बने हैं उनसे अधिक हमारे इन चार साल में हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी योजना लाकर नेशनल हाईवे घोषित किये हैं। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता जिस कांडला बन्दरगाह की चर्चा कर रहे थे, शायद इनको जानकारी का अभाव है कि जब कांडला बन्दरगाह को जोड़ा जाएगा तो हमारे राजस्थान और जो पश्चिमी राजस्थान है उसके विकास को और गति मिलेगी।

इसके अलावा सड़कों पर दुर्घटना कम हो उसके लिए एक ट्रैनिंग कैम्प के रूप में हमारे मुख्यालय के लिए 8 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

इसके अलावा लम्बे समय से हमारे यहां राजस्थान में चाहे चम्बल का पानी लाने की बात हो, चाहे यमुना का पानी लाने की बात हो या गुजरात से पानी लाने की बात हो, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि राजस्थान हरा-भरा हो। राजस्थान जो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है उसमें हरियाली आये तो जल स्वावलम्बन का एक मॉडल हिन्दुस्तान को दिया है। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने हर ग्राम पंचायत में, हर क्षेत्र में जल स्वावलम्बन की योजना लाकर देश को एक नई दिशा दी है और जल स्वावलम्बन के मामले में राजस्थान हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर पर रहा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने, केन्द्रीय मंत्री ने हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की जल स्वावलम्बन के इस सराहनीय कदम की तारीफ ही नहीं की, बल्कि और स्टेट्स को कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन का जो राजस्थान में काम किया है उससे और प्रांतों को भी प्रेरणा लेकर उस काम को करना चाहिए। इस बजट में पुन: अगले फेज के लिए भी पैसे का प्रावधान किया है और इसमें शहरी क्षेत्र को भी जोड़ने का काम किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

यही नहीं, जल स्वावलम्बन के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनके लिए अलग-अलग योजना बनाई है। मैं माननीय डाक्टर रामप्रतापजी को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, आपके विभाग ने

(श्री रामहेत सिंह यादव)
जल संसाधन के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 52 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की क्लीयरेंस दी है इसमें ईआरसीपी योजना 37 हजार करोड़ रुपयों की है और 13 जिलों में अलवर जिले का भी नाम है। आने वाले समय में हमारे जिले और 12 अन्य जिलों को इस बात का फायदा मिलेगा और सिंचाई के लिए जो हमारी भूमि है, जो मरू प्रदेश है उसमें सिंचाई का भी दायरा बढ़ेगा। पीने के पानी का संकट है और अलवर जिला 80 प्रतिशत डार्क जोन है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, माननीय सदस्य चले गये पर उनको आइडिया भी नहीं है और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अन्य स्टेट से नदियों को जोड़कर राजस्थान की सरकार 37 हजार करोड़ रुपयों की बड़ी योजना लाकर राजस्थान को हरा-भरा बनाना चाहती है, राजस्थान के किसानों को नहरी पानी उपलब्ध कराना चाहती है, राजस्थान के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 37 हजार करोड़ रुपये की योजना केन्द्र सरकार को भेजी है जिसमें मैं मानता हूं कि एन.ओ.सी. आने के बाद डी.पी.आर. बनकर जल्दी ही आने वाले समय में इस योजना का कार्य शुरू होगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी के लिए जो दो हमारी नगरपालिका खैरथल और किशनगढ़बास हैं, उन दोनों के लिए पीएचईडी मंत्री महोदय ने मुझे 82 करोड़ रुपये दिए हैं उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और पीएचईडी मंत्री का हृदय से आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सपना था, हमारे नेताओं का सपना था चाहे पण्डित दीनदयाल उपाध्यायजी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी ने जो नीति और नियम बनाये, माननीय श्री भैंरोसिंहजी के प्रेरणास्रोत में, स्वर्गीय श्रीमान् सुन्दर सिंह भण्डारी से प्रेरणा लेकर हमारे राजस्थान के गांव के गरीब की चिंता की है। माननीय भैरोंसिंहजी ने जिस तरह से अन्त्योदय योजना का काम शुरू किया था इसी तरह से अन्त्योदय, गांव के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुविधा दिलाना, उसको शिक्षा देना, उसकी चिकित्सा व्यवस्था करना, उसकी पढ़ाई-लिखाई का काम करना, यह सारी बात करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारे पंचायत मुख्यालयों को आदर्श बनाया,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आदर्श स्कूल बनाये, वहां पर सीनियर स्कूल बनाये। कांग्रेस के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। इनके राज में तो एक-एक स्कूल खोलने के बाद इनके नेता जय-जयकार करते हुए दो-दो, तीन-तीन बार जीत जाते थे एक-एक दो-दो स्कूल के लिए और हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर एक साथ सबको सर्वमान्य, कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं, एक साथ सब जगह स्कूल खोलने की बात कही है...

(14.40 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

और जो बाकी पंचायत मुख्यालय हैं, जिनके लिए बजट में प्रबन्ध किया है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

और यही नहीं, पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल होगा और कौन क्या सब्जैक्ट पढ़ना चाहता है, उसकी व्यवस्था के लिए उपखण्ड कार्यालय पर, जैसे पिछले बजट में किया था कि वहां साइंस भी होगी, वहां आर्ट्स भी होगी, वहां कृषि सब्जैक्ट भी होगा और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तय किया कि सभी उपखण्ड कार्यालयों पर कालेज खुलेगा। मैं तहे दिल से आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी का, माननीया उच्च शिक्षा मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं कि मेरे किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में माननीय डाक्टर रामप्रतापजी की अनुशंसा पर, मेरे आग्रह पर एक राजकीय महाविद्‌यालय खोला। मैं डाक्टर रामप्रतापजी का, माननीया उच्च शिक्षा मंत्रीजी का, माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी हृदय से आभारी हूं।

यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सरकारी कालेज थे जिनमें वहां के भामाशाहों द्‌वारा स्ववित्त पोषित सब्जैक्ट खोले हुए थे, ऐसे सभी सब्जैक्ट्स को सरकारी बजट से व्यवस्था की है। मैं मानता हूं गरीब के बच्चे प्राइवेट कालेज में नहीं पढ़ सकते और जो संस्था, जो राजकीय कालेज हैं, भामाशाह के सहयोग से वहां पर जो बजट था, उसके माध्यम से जो स्ववित्त पोषित सब्जैक्ट चल रहे थे, उनको भी राज्य सरकार ने अपनी वित्त व्यवस्था से चलाने का काम किया है। यह सराहनीय कदम है और यह राजस्थान की शिक्षा को बढ़ाने का माननीया मुख्य मंत्रीजी का अनुकरणीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

वर्तमान में राज्य सरकार ने 24 आईटीआईज में अलग-अलग महिला विंग खोलकर और 4,000 महिलाओं को 12 तरह के व्यवसायों से तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम, 23 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया है। इसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

सबसे छोटी कर्मचारी जिसको हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका कहते हैं, आंगनबाड़ी सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी, उनका मानदेय जिस तरह से बढ़ाया है, वह भी काबिले तारीफ है कि हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, वह सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंट करती हैं। उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

एक बात और, कांग्रेस के मित्र हैं नहीं। ये गाय की बात बहुत करते थे। गाय दु:खी है, गाय परेशान है। गौशाला चल नहीं रही है। आपने जो अपने कार्यकाल में काम किया, अनुदान दिया, उसका तो माननीय गुलाबजी कटारिया ने पिछले दिनों आपका इतिहास बता दिया कि आप गाय के प्रति कितने समर्पित थे। लेकिन हमारी सरकार निश्चित रूप से गाय और उसके वंश के प्रति समर्पित है और उसी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो अनुदान तीन महीने का मिलता था, माननीया वसुन्धराजी ने गौमाता की सेवा के संकल्प के साथ उसको छह महीने करने का, जो अनुदान है, वह छह महीने का अनुदान मिलेगा, यह अनुकरणीय कदम है। इससे गौमाता की रक्षा हो पायेगी और हर जिले में एक नंदी गौशाला और 25 एकड़ भूमि जिसके पास है, गौशाला के पास है, उसको गैस प्लांट लगाने के लिए 40 लाख रुपये का अनुदान हो। इसमें और विकास की बात हो टीन शैड के लिए, जो इसमें एक संकल्प लिया है कि गौमाता का राजस्थान में सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय है। उस वंश को बढ़ाने के लिए, पोषित करने के लिए, उसको ठीक से चारा, पानी मिले, उस गौशाला में ठीक से टीन शैड हो, और अन्य सुविधाएं उसको मिले, इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

यही नहीं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के बारे में सोचा है,

(श्री रामहेत सिंह यादव)
राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद जो काम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया है, किसी भी मुख्य मंत्री ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। कांग्रेस के मित्र चिल्लाते हैं कि साहब, यह 50,000 रुपये नहीं, सम्पूर्ण कर्जा माफ करो। आपने 65 साल राज किया, आपने कितनी बार कितने हजार रुपये कर्जा माफ किया? (व्यवधान) आप 8 करोड़ रुपये का कर्जा माफ नहीं कर पाये और हमने 8,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है। आपको तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। आप जिस मिशन को लेकर लोगों को, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, वह आपका चलने वाला नहीं है फार्मूला। यह आपकी समझ में आ जाएगा।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, आपने वीसीआर भरने के लिए जो नियम बनाये थे, जो टैरिफ बनाई थी, उसको 15 परसेंट हमने किया। आपकी एक वीसीआर, जो डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये की होती थी, उसको हमने 15-17 हजार रुपये में निपटाया और बिजली देने का हमने काम किया है। आप हमारे यहां पर 6,000 से अधिक...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बैठे बैठे नहीं, प्लीज।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ... माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उसमें कोई व्यवधान नहीं आये, किसानों को जो कर्जा माफ किया है, जो ब्याज माफ किया है, जो पैनल्टी है, उसका व्यवस्थित रूप से निस्तारण हो, उसके लिए आयोग का गठन किया कि अगर मैंने कोई कर्जा लिया है और कहीं प्रशासनिक अधिकारी की चूक से या ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका समय पर निस्तारण हो। हमने इसको टालने के लिए नहीं किया है कि हमारा चुनाव आ जायेगा, तब तक यह अटका रहेगा। वह हमारी मंशा नहीं है। माननीया मुख्य मंत्रीजी की मंशा ठीक है कि किसानों का हमने 8,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है। वह सही समय पर उसका निस्तारण हो जाए, यह हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी की मंशा है। इसमें अगर कोई छोटी-मोटी गड़बड़ होगी, कोई निस्तारण में कानूनी अड़चन आएगी तो आयोग उसका निस्तारण करेगा।

यही नहीं, किसानों को कृषि कनेक्शन मिले, और कृषि कनेक्शन मिले, उसके लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि जनवरी, 2012 तक

(श्री रामहेत सिंह यादव)

की जितनी फाइलें हैं, आप पहले किसी को छह महीने का टाइम देते थे, आप कभी 40,000 कनेक्शन देते थे, कभी 30,000 देते थे, आपके कांग्रेस के राज में किसानों ने बहुत पीड़ा झेली हैं। उनके 8-8, 10-10 साल के कनेक्शन नहीं होते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तय किया कि किसानों को सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन होना आवश्यक है तो जनवरी, 2012 तक जितने भी कृषि कनेक्शन पैंडिंग हैं, उनमें दो लाख कृषि कनेक्शन नये जारी किये हैं। वह किसानों के हित की बात है। किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमारे नौजवान को काम देने का काम किया है। हमारी कल्याणकारी सरकार है जो नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का भी काम करती है और स्किल डवलपमेंट के माध्यम से उनको ट्रेंड भी करती है। अपना स्वरोजगार करे, प्राइवेट फैक्टरी में नौकरी करे। उसके लिए पूर्ण व्यवस्था की है। कांग्रेस के राज में तो उसकी कल्पना ही नहीं थी। वही श्रमिक विभाग, वही कल्याणकारी योजनाएं, वही धाराएं, वही नियम और वही कानून बस्ते में बंधे रखे रहे। नौजवान के कल्याण की योजना को आपने दबाकर रखा। जब से हमारी सरकार बनी, हमने तय किया कि हम नौजवान के लिए स्किल डवलपमेंट का काम करेंगे। वह रहेगा तो उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद जो नौजवान स्किल डवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग लेगा, उसको वहीं से भर्ती करेंगे। प्राइवेट सैक्टर में उसको नौकरी देंगे। वह प्राइवेट सैक्टर में नहीं जाना चाहता, अपना खुद का काम करना चाहता है तो जैसा काम करेगा, मैकेनिकल मिस्त्री है तो मैकेनिकल का टूल देंगे। इलेक्ट्रिक का काम जानता है तो इलेक्ट्रिक का काम देंगे और कोई कम्प्यूटर का काम जानता है तो उसके लिए उसको जो एप्रेंटिस चाहिए, उसको देने का काम करेंगे और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तो कहा है कि कोई अपना स्वरोजगार करेगा, माननीय भैरोंसिंह शेखावतजी के नाम से जो योजना चलाई है कि उसको 50,000 रुपये तक का ऋण स्वयं के काम के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर हम देंगे और उसके लिए कोई सिक्योरिटी, गारंटी नहीं। किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। वह कहे कि मैं यह काम करना चाहता हूं, 50,000

(श्री रामहेत सिंह यादव)
रुपये उसको उस योजना में ऋण मिलेगा चार परसेंट पर और उसको कोई गारंटी, सिक्योरिटी बैंक को देने की आवश्यकता नहीं है। यह कल्याणकारी योजना है और यह सबके लिए है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एससी एसटी कल्याण के लिए जो बोर्ड था, जो ऋण देता था। कोई गरीब, एससी एसटी के व्यक्ति ने, जो ऋण नहीं चुकाया, उसको भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दो लाख रुपये तक माफ किया है।

यही नहीं, भैरौसिंहजी की अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत, पचास हजार परिवारों को, 50 हजार रुपये का ऋण 4 प्रतिशत पर देने का काम किया है और सुन्दर सिंह भण्डारी ई.बी.सी. स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार व्यक्तियों को, 50 हजार रुपये, उनको अपना काम करने के लिए, इस तरह से 1 लाख लोग, 50 हजार रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत पर लेकर के बगैर सिक्योरिटी के अपना काम कर पाएंगे। यह नौजवानों, बेरोजगारों के लिए एक कल्याणकारी योजना सरकार ने बनाई है ताकि उनको ऋण मिल सकें और वे अपना काम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत सारे शिक्षा विभाग में, शिक्षक, लैब असिस्टेन्ट, प्रोफेसर, हैड मास्टर, प्रिंसिपल काम करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस साल में कि एक लाख नौ हजार शिक्षकों, कर्मियों को पदोन्नति दी गयी और कोई सोच भी नहीं सकता, थर्ड ग्रेड का टीचर, पहले थर्ड ग्रेड में ही रिटायर हो जाता था। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि जो काम कर रहा है, उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको प्रमोशन का अवसर मिलना चाहिए, उसको हैड मास्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए, उसको प्रिंसिपल बनने का अवसर मिलना चाहिए और ऐसा करके, राजस्थान में जो एक अनुकरणीय काम किया है किसी भी स्टेट ने, ऐसा कभी नहीं कर पाये कि एक लाख नौ हजार लोगों को चार साल में पदोन्नति देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है।

इसके अलावा भी अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 77 हजार सौ पद, जो विभिन्न ग्रेड के हैं, उनको भरने के लिए भी तुरन्त वैकेंसी निकालने के लिए बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा चाहे पुलिस का प्रमोशन हो,

(श्री रामहेत सिंह यादव)
चाहे फोरेस्ट विभाग के फोरेस्टर की आवश्यकता हो, चाहे गार्ड की हो, सभी विभागों को मिलायें तो लगभग 1 लाख 80 हजार से अधिक वैकेंसी, इनकी इस वित्तीय वर्ष में व्यवस्था करके, लगभग 1 लाख 80 हजार को राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से, इन पदों को भरने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है वह अनुकरणीय है, इनसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा अपना उद्योग डवलप करने के लिए और सारी योजनाओं के लिए, बहुत सारी योजनाओं को इसमें रखा है कि नौजवान को अपना रोजगार करने का अवसर मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं किशनगढ़बास से विधायक हूं और पिछले 4 साल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे जिले को दिया, उसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिया जो विकास के कार्य, योजनाएं और संस्थान दिये हैं। मैं इस अवसर पर उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे नगरपालिका किशनगढ़बास, ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया, मेरे उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम में मुन्सिफ कोर्ट दिया, मेरे कोटकासिम उपखण्ड कार्यालय पर आई.टी.आई. कॉलेज दिया, मेरे खैरथल नगरपालिका क्षेत्र में 61 लाख 50 हजार रुपये का बाईपास दिया, मेरे खैरथल में 132 के.वी. जी.एस.एस. दिया। एन.सी.आर.पी.बी. के माध्यम से 155 करोड़ रुपये की सड़कें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनेगी, उसके लिए राशि दी और वह काम प्रारम्भ हुए। मेरे दोनों नगरपालिकाओं में 82 करोड़ रुपये पानी के दिये और अभी इसी बजट में मुझे बासकृपाल नगर में, जो किशनगढ़बास में है, एक राजकीय कॉलेज दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

इसके अलावा हर नगरपालिका क्षेत्र में, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कभी बाबा साहब के नाम से कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भवन बनाने का काम किया हो तो अपने भाषण में जरूर चर्चा करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता है बाबा भीमराव अम्बेडकर से लोग प्रेरणा लें। उनका पुस्तकालय वहां बने। हर नगरपालिका क्षेत्र में, राजस्थान में जितने नगरपालिका क्षेत्र हैं, उनमें बाबा साहब के नाम से एक-एक अम्बेडकर भवन

(श्री रामहेत सिंह यादव)
बनाने का तय किया है और उसके लिए बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाबा साहब का साहित्य पढ़ने का, उनकी जीवनी पढ़ने का, उससे प्रेरणा लेना का अवसर सब लोगों को मिलेगा।

इसके साथ कुछ मांगें मेरी हैं। मैं उनको रखते हुए चूंकि मेरा क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ है और मेरे कोटकासिम के सारे किसान, हरियाणा में रेवाड़ी, रोहतक इधर फेरी फसल बेचने के लिए जाते हैं और वहां उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। हरियाणा सरकार कभी कहती है कि जमाबन्दी की नकल दीजिए, कभी कहती है कि पांच दिन बाद दस दिन बाद पेमेन्ट मिलेगा, कभी तुलाई नहीं होती। मेरे यहां के किसानों को परेशानी होती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करता हूं और कृषि मंत्रीजी से भी आग्रह करता हूं कि मेरे कोटकासिम में, वहां की जन भावनाओं को देखते हुए, वहां पर एक कृषि उपज मण्डी की, बजट के रिप्लाई के समय एक कृषि उपज मण्डी खोलने की घोषणा करें।

माननीय, मेरे खैरथल नगरपालिका में एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। 1980 के बाद वहां पर कम्पलीट रूप से कोई प्लाट बचा नहीं। 1980 में जो औद्योगिक क्षेत्र बना था, तब-तब प्लाट अलॉट हुए थे और 100 परसेन्ट पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है। अब मेरे यहां का व्यापारी, जो कृषि से संबंधित है, सरसों की मिल है, कपास की मिल है, उन लोगों को अलवर या बाहर जाकर नये उद्योग लगाने में परेशानी होती है। मेरे यहां पर खैरथल नगरपालिका से पांच किलोमीटर दूर सिवाणा है, वल्लभ ग्राम पंचायत है, उनमें राज्य सरकार की डेढ़ सौ बीघा जमीन है और वहां की ग्राम पंचायत ने एन.ओ.सी. भी दे दी कि हम नि:शुल्क उद्योग विभाग को देना चाहते हैं, रीको को देना चाहते हैं, वह सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और उद्योग मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि बजट के रिप्लाई के समय, चूंकि सरकारी जमीन है, उस पर कोई और कब्जा करेगा और अगर वो औद्योगिक क्षेत्र नया बनाया जाता है तो हमारे वहां के लोगों को, उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा में दो आई.टी.आई. हैं, किशनगढ़बास में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

एम.एस.डी.पी. में है और कोटकासिम में, माननीय श्रम मंत्रीजी ने, पिछले दिनों घोषणा करके उसके आदेश जारी कर दिये। वो आई.टी.आई. बनेगी और सारा मेरा क्षेत्र है तीनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे भिवाड़ी हो, खुशकेड़ा हो, नीमराणा हो, शाहजहांपुर हो वहां पर सरकारी स्तर पर कोई और, प्राइवेट सैक्टर में तो स्किल डवलपमेन्ट का काम हो रहा है, लेकिन आई.टी.आई. के साथ ही वहां पर कम से कम अलग से स्किल डवलपमेन्ट के दो-दो करोड़ रुपये, दोनों आई.टी.आई. में देकर सरकारी स्तर पर स्किल डवलपमेन्ट के सेन्टर खोले। बजट रिप्लाई में, मैं माननीय मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें सिफारिश करा करके सरकारी स्किल डवलपमेन्ट सेन्टर खोलने का काम करेंगे।

इसके अलावा राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई की बात की। माननीय रमेशजी कह रहे थे, उनके ध्यान में नहीं है, गरीब कैसे रोटी खाता है, नाश्ता कहां से आयेगा, वो मजदूरी पर जाता है, घर में कोई अनाज, आटा है या नहीं है या क्या व्यवस्था होगी, कौन दुकान से लायेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर जगह, हर शहर में यह व्यवस्था की है कि अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से पांच रुपये में नाश्ता और आठ रुपये में भोजन, कुल मिलाकर अगर मजदूर अपने घर से निकलता है और कहीं रास्ते में अन्नपूर्णा की गाड़ी खड़ी मिली, वहां पांच रुपये में नाश्ता करके चला जाएगा, दोपहर लन्च में आकर के, आधा घन्टे का लंच होता है, वहां आठ रुपये में खाना खा लेगा और घर जाने से पहले आठ रुपये में खाना खाकर चला जाएगा। कुल 21 रुपये के अन्दर वह दोनों समय का भोजन करके घर चला जाएगा, मजदूरी करके जाएगा, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब कल्याण की योजना है, अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई है, इससे सब लोगों को फायदा मिलेगा और इसके साथ हमारे बच्चे हृष्ट-पुष्ट हों, उनको भी पौष्टिक अल्पाहार मिले, इसलिए हर स्कूल में तीन दिन बच्चों को दूध देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए भी ह्दय से आभारी हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि राजस्थान माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में और ऊंचाइयां छुएगा और विकास के जो आयाम तय किये हैं

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उनको इन पंक्तियों में, शिव मंगल सुमन की पंक्तियों में:-

"सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है।
जब तक सांसों में स्वप्न है, उसका हाथ नहीं रुकता है,
इसके ही बल पर कर डालते हैं, सातों समन्दर पार कर जाता है।"

इसी विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ, माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री बनवारीलाल जी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपकी कृपा है।

सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी के द्वारा राजस्थान की 14वीं विधान सभा का यह पंचवर्षीय बजट 2018-19 के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापतिजी, जिस प्रकार का बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया गया है, अभी तक ये राजस्थान एनसीआर के पैसे की राह देखता था। हम लोग सुनते थे, हम लोग एनसीआर में हैं, लेकिन एनसीआर के पैसे का उपयोग कैसे होता है, एनसीआर के पैसे का उपयोग कहां होता है, यह हमारे लिए एक पहेली और हमारे लिए एक जैसे ऊपर लटके हुए अंगूर जैसा था। देश की वर्तमान सरकार और प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मिलकर एनसीआर के पैसे से एनसीआर क्षेत्र में विकास कराने का जो काम किया है, उसमें वर्तमान में 932 करोड़ रुपये की लागत से 600 किलोमीटर लंबाई की 38 सड़कों का निर्माण कार्य पूरे जिले में प्रगतिरत है, जो शानदार सड़कें बनकर पूरे जिले को एक नया जीवनदान दे रही है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का और देश के सड़क परिवहन मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के और देश के नगरीय विकास मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय सभापतिजी, चाहे विपक्ष की तरफ से यह बात कही जाती हो या सत्ता पक्ष के हम लोगों की तरफ से कही जाती हो, जब कोई भी व्यक्ति आरटीओ ऑफिस में अपने काम के लिए जाता था तो वहां बाहर जो टेबल लगी हुई होती है उनके माध्यम से काम कराने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सुविधा शुल्क देना पड़ता था। उस सुविधा शुल्क को समाप्त करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त आवेदन प्रक्रिया को, चूंकि आज का युवा ऑनलाइन अपने सारे काम करता है, ऑनलाइन खरीददारी करता है, ऑनलाइन भुगतान करता है, ऑनलाइन व्यापार करता है ऐसे समय में इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके निश्चित रूप से एक शानदार विजन का प्रमाण हमारे राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पूरे देश में जाती हैं। इन परिवहन निगम की बसों में ऐसे बुजुर्ग जो अस्सी वर्ष से अधिक की उम्र के हो गये, जिनके पास अपने आर्थिक संसाधन कम हैं, ऐसे बुजुर्गों को पूरे देश में राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने के लिए फ्री में सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक उनको अटेंडेंट, और जो व्यक्ति अगर बुजुर्ग व्यक्ति है और खुद चलने में सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर है तो एक अटेंडेंट साथ जाए तो उसके किराये में भी पचास प्रतिशत छूट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करने का काम किया है। यह एक शानदार विजन की बात है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी किसान की बहुत बात करते हैं, कृषक की, पशुपालन की, लेकिन इनसे किया कुछ नहीं गया। सत्ता में थे तो न किसान के लिए किया, न पशुपालक के लिए किया। लघु और सीमान्त कृषक समाज के सबसे वलनरेबल वर्ग से हैं। ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण जिसके कारण से किसान को नींद नहीं आती थी, उसकी माफी का महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया है। लघु और सीमान्त कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर, 2017 तक के जितने भी ओवरड्यू हैं, क्योंकि ओवरड्यू होते ही बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किसान के घर पर चक्कर लगा-लगा कर किसान को इतना परेशान करते थे कि किसान तनाव में रहता था, परिवार तनाव में रहता था। इन सारे ओवरड्यूज को आउटस्टेंडिंग में लाने के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारे ओवरड्यूज को समाप्त करने का जो निर्णय लिया है यह निश्चित रूप से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का किसानों के लिए एक तोहफा है। इसी कड़ी में इनको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु और सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के आउटस्टेंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से पचास हजार रुपये तक के कर्जे की एकबारीय माफी की है। निश्चित रूप से जिस किसान की तरफ पचास हजार रुपये तक का कर्ज है, वो तो कर्ज मुक्त होकर अपना नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर अपने-आपको बड़ा खुशकिस्मत महसूस करेगा। मुख्य मंत्रीजी को दुआ देगा, राजस्थान की सरकार को दुआ देगा और जिस व्यक्ति के ऊपर पचास हजार रुपये से ज्यादा का कर्ज है उसको भी पचास हजार की अगर राहत मिलेगी तो उसके बाद के छोटे-मोटे कर्ज को चुकाकर वो निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने की स्थिति में आएगा। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लगभग आठ हजार करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है यह एक अद्‌वितीय कदम है, जिसकी मैं समझता हूं राजस्थान की पिछली सरकार जो हमेशा खजाने खाली, जेब फटी, ये ही रोना रोते-रोते पांच साल में चली गई और आज ये लोग जिस तरह की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों को किसान के हित की बात करने का कोई अधिकार आज राजस्थान की मुख्य मंत्री ने किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा है।

इसके अतिरिक्त इससे भी अधिक उदारता दिखाते हुए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा और की है। ऐसे किसान जिनको ऐसा लगता है कि इस छूट के बाद भी मुझे और भी न्याय प्राप्त करने के लिए किसी ऐसी संस्था के सामने जाने की आवश्यकता है जो संस्था मेरी वाजिब बात को सुने, मैं समझता हूं कि इसमें हालांकि खोला नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति कैंसर पीड़ित हो, कोई व्यक्ति किडनी और हार्ट का पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति के कर्ज को और अधिक उदारता से माफ करने की योजना माननीय मुख्य

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
मंत्रीजी की भी हो सकती है, जिसके लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में एक आयोग का गठन कर दिया है जो आयोग मैरिट के आधार पर इन किसानों की गुणावगुण के आधार पर बात को सुनकर उनको और अधिक राहत प्रदान करने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का विजन हमारे राज्य की मुख्य मंत्रीजी का है, नर गौवंश, अब तक सदन में गाय की बात होती थी। हम लोग भी जब गाय के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हैं, मुझे स्वयं को गौरक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। आज भी इस क्षेत्र में जब कोई काम करने का अवसर मिलता है तो हम समझते हैं कि इस राजनीति के क्षेत्र से गौरक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर बड़ा है। अक्सर हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय यह स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जब लोग हमसे शिकायत करते हैं। ये नर गौवंश जिसको हमारे क्षेत्र में तो बिन्जार कहा जाता है, बैल कहा जाता है। आज यह स्थिति है कि आज इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। पहले लोग इनसे खेती-किसानी करते थे लेकिन आज एक बीघा या पौन बीघा का किसान भी ट्रैक्टर से अपनी जुताई करवाता है, ट्रैक्टर से बिजाई करवाता है, मजदूरी पर कटाई करवाता है। इस नर गौवंश की बिलकुल उपयोगिता समाप्त होने के कारण से इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जिसके घर में भी गाय ने बछड़ा दे दिया, वो उसी दिन से चिन्ता करता था और थोड़ा-सा बड़ा होते ही जब गाय का दूध उसने पीना बंद किया तो उसको बाजार में पिटने के लिए, मरने के लिए, चरने के लिए छोड़ता था। वो बड़ा होकर भूख के कारण से, प्रताड़ना के कारण से लोगों को मारने का केन्द्र भी बनता था, लोगों के साथ किसी भी प्रकार के जख्मी करने का केन्द्र भी बनता था। गौशालाओं से जब हम बात करते थे कि आप इस नर गौवंश को लें तो कोई भी गौशाला देश की प्रदेश की नर गौवंश को लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नर गौवंश के लिए भी, नर गौवंश जो निराश्रित है जिसका कोई पालने वाला नहीं है, जो बाजारों में भटक-भटक कर लाठियां खाने को मजबूर है। हम देखते हैं लोग उन पर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
कहीं तेजाब फेंक देते हैं, कहीं कोई उन पर किसी भी धारदार हथियार से हमला करके उनको घायल करता है, उस नर गौवंश के लिए भी प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को संरक्षण और संवर्धन निधि से पचास लाख रुपये तक की जैसी भारी-भरकम राशि देकर नंदी शालाएं डवलप कराने का जो अपना संकल्प माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है, मैं कहता हूं यह पुण्य का काम है और इस पुण्य की प्राप्ति निश्चित रूप से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री राजस्थान की धर्मात्मा मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी को मिलने वाली है।

गौसंरक्षण और गौसंवर्धन हेतु संचालित गौशालाओं को चारा पशु आहार के लिए जो अभी तक तीन माह की सहायता मिलती थी, उसको बढ़ा कर 6 माह सीधे-सीधे किया है यानी सौ प्रतिशत को दो सौ प्रतिशत करने का काम किया है। पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास के लिए गौसंरक्षण और गौसंवर्धन निधि से आगामी वर्ष में पचास करोड़ रुपये खर्च करके, पचास करोड़, कांग्रेस तो सुनने के लिए भी नहीं है आज, क्योंकि इनके पास तो सुनने के लिए भी, कुछ करने के लिए नहीं तो सुनने के लिए भी समय नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सुनने के लिए तैयार हैं। कुछ करने को तो है नहीं इनके पास सिर्फ सुना ही सकते हैं, कर नहीं सकते।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ये तो आज शकुंतलाजी को पता था कि हमारे अलवर के सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए शकुंतलाजी ने तो कम से कम बैठने का कष्ट किया है, आपका धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं तो रोज ही बैठती हूं, साहब।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पचास करोड़ रुपये जैसी बड़ी लागत से गौआवास, शैड, पानी का टांका, चारा भंडारगृह आदि की व्यवस्था की जाएगी। आप लोग ही कहते हो रोजाना, इन आवारा पशुओं का कुछ करो। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी तक यह आवाज पहुंची है चाहे आपकी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
पहुंची हो चाहे हमारी पहुंची हो, क्योंकि उनकी निगाह में कोई अन्तर नहीं है, वो पक्ष और विपक्ष को समान रूप से देखती हैं, इसीलिए उन्होंने पूरे राजस्थान के एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर सड़क दो सौ की दो सौ विधान सभाओं में देने का समान रूप से काम किया है। आपको भी धन्यवाद करना चाहिए। सौ-सौ हैंडपंप दो सौ की दो सौ विधान सभाओं में देने का काम किया है। आप कांग्रेस के लोग अब तक बहुत आरोप लगाते थे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक भी सड़क नहीं दी तो धन्यवाद किस बात का करेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपको मिल रही है 15 किलोमीटर। लिस्ट बना लीजिये। आपके अलवर के अधिकारी आपसे पूछेंगे शकुंतलाजी।

सब लोगों को समान रूप से जैसे मुख्य मंत्रीजी ने सड़क दी है, आपने तो उस दिन भी टेबल नहीं बजाई। मैं खास तौर से यही देख रहा था कि 15 किलोमीटर सड़क और 100 हैंडपम्प आपके क्षेत्र में भी लगेंगे, कम से कम अब तो मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद कर दो।

माननीय सभापतिजी, इसके अतिरिक्त स्वयं की 25 बीघा या उससे अधिक भूमि पर संचालित की जाने वाली 25 गौशालाओं में 100 घन मीटर या अधिक क्षमता के बायो गैस प्लांट लगाने के लिये गौ-पालन विभाग द्वारा प्रति गौशाला लागत का 50 परसेंट या अधिकतम 40 लाख रुपये जैसा बड़ा अनुदान देने की घोषणा हमारे राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। इसके पीछे जो विजन है, गाय को केवल दुधारू पशु माना जाता है। दूध देगी तो गाय की वैल्यू है। गाय के गोबर की, गौमूत्र की सबकी उपयोगिता साबित कराने के लिये, उसका उपयोग करके बिना दूध देने वाली गाय को भी उपयोगी बनाने के लिये राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जिस दूरगामी सोच के साथ यह घोषणा की है, मैं समझता हूं कांग्रेस के साथियों में इस प्रकार की सोच दूर-दूर तक आने की स्थिति नहीं हो सकती।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

महिला मानदेयकर्मी, अभी हमारे साथी रामहेत जी यादव साहब ने कहा, पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने उकसा कर महिला मानदेयकर्मियों से आंदोलन करवाये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जिला केन्द्रों पर इन महिला मानदेयकर्मियों ने हम सब विधायकों से संपर्क किया। मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कहा कि आपको बजट तक का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे जिले में भी हमारे विपक्षी दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जाकर उनको उकसाने का काम किया और मैंने उनके बीच में जाकर कहा कि आप राज्य की मुख्य मंत्री पर विश्वास रखिए, राजस्थान की मुख्य मंत्री स्वयं महिला हैं और एक-एक महिला के दर्द को जानती हैं। आपको निश्चित तौर पर राजस्थान की मुख्य मंत्री इस बजट के माध्यम से ऐसा तोहफा देने वाली हैं जिसका आपने अपने मन में विचार भी नहीं किया होगा। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, जैसे ही यह बजट घोषणा हुई, हम लोग यहां से निकले, वह पता नहीं टीवी के सामने बैठकर कितनी देर से फोन लगा रही होंगी, हम लोग नोट रीचेबल थे, जैसे ही हम लोग टेलीफोन की रीच में आये, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन बहनों का फोन आया, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अग्रिम रूप से बताया था कि मुख्य मंत्री सबका ध्यान रखती हैं, तो मुख्य मंत्रीजी ने जितना मानदेय बढाया है, हमारी ओर से आप अपनी मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद कर देना। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिये बहुत धन्यवाद करता हूं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मियों के बीमा की राशि, कितनी छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन असर कितना बड़ा है। यह चीजें छोटी हो सकती हैं लेकिन जब दुर्भाग्य से किसी को इस बीमा की राशि की आवश्यकता पड़ती है, तब उसको इसके असर का पता लगता है। इसको भी शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन करने की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

आगामी वर्ष में 1 लाख 8 हजार नई नौकरी लगाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। 7 करोड़ जनता में अभी तक कुल 7 लाख कर्मचारी

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

हैं। हमारे आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, आपका धन्यवाद तो अपने आप होगा, कर्मचारियों की सबसे बड़ी संख्या आज भी आपकी है, कल भी सबसे बड़ी भर्ती आप करने वाले हैं। हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां हैं नहीं, उनको भी धन्यवाद होगा। हमारे गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, आपका भी धन्यवाद होगा क्योंकि आपके तीनों विभागों के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां होने वाली हैं कि राजस्थान का युवा और युवाओं का परिवार इतना धन्यवाद देगा कि निश्चित तौर पर इस कल्याणकारी सरकार को आने वाले समय में जिस प्रकार से इन युवाओं के और इनके परिवार के लोगों का धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम लोग पुन: प्रचण्ड बहुमत के साथ फिर इसी सत्ता पक्ष में आकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर राजस्थान की जनता का फिर भला करने की स्थिति में होंगे। मैं इस घोषणा के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापतिजी, किसान की बात तो हम सब लोग करते हैं लेकिन किसान के पुत्र की बात कोई नहीं करता था। बहुत सारे लोग कहते थे मैं किसान पुत्र तो हूं लेकिन खेती नहीं करना चाहता क्योंकि मुझको तो पता ही नहीं है कि खेती कैसे होती है। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी से पिछले दिनों हम लोगों ने मिलकर बात की थी। मैंने भी की थी, हमारे रामगढ़ से आने वाले विधायकजी ने भी की थी, डाक्टर जसवंतजी ने भी की थी, अलवर के हम सभी विधायकों ने यह मांग की थी कि नौगांवा में जो केन्द्र सरकार का कृषि अनुसंधान केन्द्र बना हुआ है, वह बहुत बड़ा है, 400 बीघा से ज्यादा उसमें जमीन है, सारे संसाधन हैं, सारी फैकल्टीज हैं, क्यों नहीं उसमें कृषि महाविद्यालय खोल दिया जाए। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब अलवर में जन संवाद किया था, यह मांग उनके सामने आई थी और मैं उनकी याददाश्त की, उनके विजन की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने उस मांग को याद रखते हुए, उस विजन को ध्यान में रखते हुए कि जो उन्होंने सोचा है, जो लोगों को कहा है, उन्होंने नौगांवा में कृषि अनुसंधान केन्द्र में एक कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इससे हमारा किसान पुत्र, जो युवा आज पढ़-लिखकर अपनी उन्नत तकनीक

(श्री बनवारी लाल सिंघल)
के साथ खेती करना चाहता है, उसको उन्नत तकनीक से खेती करने का अवसर मिलेगा और जिस तरह से हमारी केन्द्र सरकार और हमारी राज्य सरकार 2022 तक किसान की आय को दोगुनी करने की बात करती है, मैं कहता हूं दोगुनी नहीं, किसान का पुत्र अगर कृषि महाविद्यालय में पढ़कर तकनीक से खेती करना सीख कर उन्नत तकनीक से खेती करेगा, निश्चित तौर पर दोगुनी क्या, वह अपनी आय को चार गुनी भी कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूं कि इनती छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने का काम किया है। केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला, प्लम्बर इनके कौशल उन्नयन और क्षमता वर्धन के लिये राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण दिये जाने की घोषणा की है। कौन चिंता करता है माननीय सभापतिजी, मैं उन दिनों को याद करता हूं, पिछले दिनों में एक सैन समाज के कार्यक्रम में गया था तो उन लोगों ने कहा कि साहब जो हमारा रोजगार है इसको आजकल ब्यूटी पार्लर और सैलून के नाम पर दूसरी जातियों के लोग हमारे व्यापार को, हमारे धंधे को, हमारी रोजी को ले जा रहे हैं, हम लोग मजदूर बनकर रह गये हैं। आप अपनी मुख्य मंत्रीजी से बात कीजिए, हम लोगों की भी चिंता करें। हमको भी अगर कोई प्रशिक्षण देना है तो वह प्रशिक्षण दे और प्रशिक्षण देकर हमको थोड़ा-बहुत लोन दिलवायें क्योंकि हम गरीब लोग हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन सबकी भी चिंता करके, इन लोगों को भी दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की जो घोषणा की है और इसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे, इतनी गहरे, गंभीर विषय पर अगर किसी मुख्य मंत्री का ध्यान गया है तो अब तक के इतिहास में राजस्थान की वर्तमान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुंधराजी का इस विषय पर ध्यान गया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

राजस्थान की राजकीय भर्तियों में रुकावटों को दूर करके समयबद्ध तरीके से भर्तियों को करने का अपना कमिटमेंट भी उन्होंने दोहराया है। जैसा मैंने कहा कि अभी 1 लाख 8 हजार भर्तियों को करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

सदन को बताना चाहता हूं राजस्थान की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। समय-समय पर भर्तियां करके युवाओं को और जिनको आवश्यकता है, उनको लाभ पहुंचाने का काम करने का प्रयास करती है।

पिछले दिनों 2013 में जब राजस्थान में यह सरकार आई थी तो हमने अलवर में 32 साल जैसे लंबे अंतराल के बाद वाल्मीकि समाज के 329 लोगों को सफाईकर्मी के रूप में भर्ती करके उनको नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया था। किन्तु जैसी हमारे विपक्षी दल की आदत है, कोर्ट में गये और उन्हीं के समाज के लोग गये, केवल राजनीतिक द्वेष से गये। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ 32 साल के बाद नहीं मिले, इस सोच के साथ गये और उस भर्ती को कोर्ट में ले जाकर, अटका कर उसको निरस्त कराने का काम किया। मैं तो यह कहना चाहता हूं आने वाले समय में इन भर्तियों को करवा कर निश्चित रूप से इस वर्ग को भी हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।

माननीय सभापतिजी, जिस तरह की सोच के साथ हमारी मुख्य मंत्री चल रही हैं, फोरेस्ट गार्ड के 2000 पदों के विरुद्ध भर्ती करने की अपनी प्रतिबद्धता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दोहरायी है। माननीय सभापतिजी, किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, कर्मचारी की बात होती है, क्योंकि किसान, मजदूर, कर्मचारी सब अपनी-अपनी मांगों के लिये देश और प्रदेश में हड़ताल कर लेते हैं। अगर कोई वर्ग ऐसा है जो हड़ताल नहीं करता, सब कुछ आराम से देखता है और टैक्स देता है, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, वह वर्ग है व्यापारी वर्ग। इस 70 साल के राजस्थान के इतिहास में अब तक व्यापारी की चिंता करने का काम, व्यापारी को सुदृढ़ करने का काम, व्यापारी के घावों पर मरहम लगाने का काम अगर किसी मुख्य मंत्री ने किया है तो वह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी ने किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके किया है। केवल व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन ही नहीं किया है, व्यापारी कल्याण निधि के लिये भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान हाथों-हाथ किया है ताकि खाली खजाना, फटी जेब का रोना पिछली सरकार की तरह हमारी सरकार भी नहीं रोये। आते ही व्यापारियों के छोटे-मोटे कल्याण के

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

काम को तुरंत प्रभाव से करे और जिस तरह से व्यापारी आज पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, उस मत को और मजबूत करने का काम हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। सभापतिजी, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी घोषणाएँ जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं, लीज डीड में छूट, एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी के हस्तांतरण पर छूट, बहुत सारी स्टाम्प ड्यूटीज पर छूट, इसके अलावा मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत EWS एवं LIG के व्यक्तियों के पक्ष में आबंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में छूट। मुद्रा योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट। कितनी छूट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं, यह उन लोगों की सोचकर दी हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, जिनके लिये राज्य की सरकार मकान बनाकर देने का विचार रखती है। इसके अलावा सामान्य वर्ग, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसकी भी चिंता की है। agriculture, residential एवं commercial सभी प्रकार की..

पूरे देश और प्रदेश का आर्थिक ढांचा रियल एस्टेट के चारों तरफ चलता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से चलता है। चूंकि आज पूरे देश में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही खराब अवस्था में है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से सारे व्यापार और उद्योग चलते हैं, सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति होती है। इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वापस जीवित करने की दृष्टि से agriculture, residential एवं commercial सभी प्रकार की भूमि की डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से..

अभी पिछले दिनों हमारे एक साथी कह रहे थे, ऐसे लोग काम पर लग गये जो पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। जो अचानक इस काम में आये थे, उनको अचानक पैसा प्राप्त हुआ। अब वे ऐसे काम में लग गये कि उन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे लोगों का भी ध्यान किया है और ध्यान करके उन लोगों को भी

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

पुन: मुख्य धारा में लाने का काम करने की सोच के साथ पूरे राजस्थान में एक साथ डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की कटौती करने के साथ-साथ आगामी 31 मार्च तक किसी भी प्रकार की वृद्धि भी नहीं की जाएगी, इस संकल्प को भी हमारे राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दोहराने का काम किया है।

मैं यह बात और कहना चाहता हूं, जो कि बहुत विशेष बात है। किसी भी दस्तावेज के पंजीयन के समय, उसका म्यूटेशन कैसे होना चाहिए, यह नियम राजस्थान की सरकार में बहुत लंबे समय से विद्यमान है, लेकिन एक परम्परा हो गयी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जमीन-जायदाद को खरीदता है तो संबंधित पटवारी, तहसीलदार के यहां धक्के खायेगा और वहां कुछ न कुछ जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में जायेगा तब उसका म्यूटेशन दर्ज होगा। अब राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ई-धरती सोफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कर दिया है। ई-पंजीयन सोफ्टवेयर को लागू कर दिया है। 16 तहसीलों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के द्वारा ई-म्यूटेशन चालू हो गया है। इसके बाद 100 तहसीलों में ई-पंजीयन की व्यवस्था तथा ई-धरती का इंटीग्रेशन किया जाना प्रस्तावित है।

पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में और दूसरे आरोपों में राजस्थान की सरकार के मंत्री लंबे टाइम से जेलों में गये, देश की सरकार के मंत्री जेलों में गये, राजस्थान की वर्तमान सरकार जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप लगाने की स्थिति किसी की नहीं है। इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह व्यवस्था की है, माननीय सभापतिजी इसके लिये मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कल-परसों जो बजट पेश हुआ तो मुझे अलवर से सूचना आयी कि हमारे विपक्षी दलों के कुछ लोग वहां इकट्ठा होकर यह कह रहे हैं कि अलवर को बजट में कुछ नहीं मिला है। माननीय सभापति जी, मैं सबका ही ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह पांचवां बजट है। पिछले चार बजट में, अगर हम बजट के माध्यम से देखें तो अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में मात्र सड़कों के लिये 35 करोड़ रुपये की घोषणा बजट के माध्यम से हुई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस 35 करोड़ रुपये की

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

घोषणा के अतिरिक्त 1102 करोड़ रुपये के काम पिछले चार साल में लगातार, पानी के, बिजली के, सड़क के हुए हैं।

राजस्थान में सबसे पहले एल.ई.डी. लाइट लगाने का काम, एन.सी.आर. के माध्यम से सड़क बनाने का काम, मिशन अमृत के माध्यम से सड़क बनाने का काम, मिशन अमृत के माध्यम से सीवरेज का काम, मिशन अमृत के माध्यम से पानी का काम। पूरे अलवर शहर में 30 हजार एल.ई.डी. लाइट लगाने का काम, कानून व्यवस्था का काम... इतना काम इस राजस्थान सरकार की वर्तमान मुख्य मंत्री ने करके दिया है। सभापति जी, मैं इस बात को पुष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि केवल बजट घोषणा हो तो कुछ मिले। मैं कहता हूं कि हमने बजट घोषणाओं के बाद भी एक हजार करोड़ रुपये से अधिक इन चार वर्षों में प्राप्त किये हैं और अलवर को आगे ले जाने का काम किया है।

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए दो-तीन चीजों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो मेरा यह कहना है कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले टेन्योर में एक विशेष व्यवस्था कर रखी थी। सभापतिजी, किसी भी महिला पर अगर ऐसा दु:ख का पहाड़ आ जाता था। किसी महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु हो गयी, विधवा हो गयी या किसी महिला का तलाक हो गया, परित्यक्ता हो गयी तो ऐसी महिला को उसकी योग्यता के आधार पर तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार की मुखिया के द्वारा जो भी उनकी योग्यता है, उसके अनुसार नौकरी देने का प्रावधान था। मैं राजस्थान की माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं, जो एक-एक महिला के दिल के दर्द को जानती हैं। अगर किसी महिला पर ऐसा दु:ख का पहाड़ टूटता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी योग्यता के आधार पर बिना किसी परीक्षा के, परीक्षा भी बाद में लेते रहे, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से जिस तरह से नियुक्ति दी जा सके, राज्य सरकार की छोटी-मोटी नौकरी जरूर दी जानी चाहिए ताकि वह महिला अपने बच्चों का पेट पालन कर सके।

माननीय सभापतिजी, मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो बहुत भावुक भी हैं और वास्तव में

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

सहृदयी भी हैं। आप सबके दिल की बात को छूते हैं, समझते हैं और अपने दिल से कहते भी हैं, जुबान से कहते भी हैं। अभी आपने राजस्थान में जो पुलिस विभाग की 5550 रिक्तियां निकाली हैं। मैं इस चुनाव के दौरान युवाओं के बीच में गया हूं और बड़े-बड़े बल्क में युवाओं के बीच में गया हूं। युवाओं ने अपना एक दर्द बताया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन 5500 रिक्तियों के बदले में आपके पास 17 लाख फार्म आये हैं। इन 17 लाख फार्म में हर युवा अपनी नौकरी ढूंढ़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस 5500 को बढ़ाकर और ले जाए। आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप ई-पुलिस का गठन करें, साइबर क्राइम को रोकने के लिये साइबर पुलिस का गठन आप करें, आप कम्प्यूटर पुलिस का गठन करें तो आपके पास पुलिस की भर्ती खोलने के अवसर निकल जाएंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का युवा आपकी तरफ देखता है और उम्मीद करता है। राजस्थान का सारा युवा आज भी नरेंद्रजी मोदी और वसुंधरा राजेजी और गुलाबजी कटारिया, आप सब पर विश्वास करता है। आप इन रिक्तियों को बढ़ाने का काम करें।

साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आवेदन-पत्र राजस्थान की सरकार के द्वारा युवाओं से किसी भी नौकरी के लिये जाए। आज राजस्थान का बेरोजगार युवा जब अपने माता-पिता से हजार-पांच सौ रुपये एक फार्म भरने के लिये मांगता है तो माता-पिता उसको कोसने का काम भी करते हैं। उसको कुपुत्र भी मानते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे ऑनलाइन करिये या उसको नि:शुल्क करने की घोषणा करिये। राजस्थान के युवाओं से फार्म भरवाते समय, दस-बीस रुपये का फार्म भी नहीं हो, वह फार्म भी ऑनलाइन निकाले और ऑनलाइन निकाल कर उसको फ्री में भरकर उस फार्म को जमा करने की व्यवस्था हो। किसी भी प्रकार का पोस्टल ऑर्डर या कोई फीस उसके ऊपर नहीं लगे। राजस्थान के गृह मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान के गृह विभाग के मुखिया हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों में ऐसी व्यवस्था की जाये।

एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

सभापतिजी, राजस्थान में भूमि अवाप्ति कानून 2013 लागू है। पिछले दिनों हमारे अनेक वक्ताओं ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी यह बात कही थी। कानून तो लागू है, लेकिन उस कानून को अधिकारी लोग प्रचलन में नहीं आने दे रहे हैं। इससे राजस्थान का वह किसान परेशान है जो अपनी भूमि जो कि अवाप्ति की श्रेणी में तो आ गयी, लेकिन सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने कब्जा नहीं लिया, सरकार ने रेफरेंस नहीं किया। दिसम्बर, 2013 का जो भूमि अवाप्ति कानून है, उसके तहत ऐसी भूमि को अवाप्ति शून्य घोषित करने का काम करें ताकि यदि किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो अपनी जमीन बेचकर करे, लोन लेकर करे। उसमें यदि किसी भी प्रकार का विकास करना है तो करे, जमीन को बेचकर अगर कहीं पुनर्वास करना है तो करे। इस राजस्थान में भूमि अवाप्ति कानून को भी लागू करवाने का काम इस सदन के माध्यम से हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भंवरसिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018-19 के बजट भाषण के वाद-विवाद के क्रम में मैं कहना चाहूंगा, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2014 में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया था तो उस बजट भाषण में राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर सड़कें पीपीपी के माध्यम से बनाने की बात की गयी थी और राजस्थान प्रदेश की जो टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों को तत्काल ठीक करने के लिये ओपीआरसी योजना के माध्यम से रोड एम्बुलैंस बनाकर हर संभाग मुख्यालय पर पूरे संभाग का एक ठेका देकर पूरे संभाग की सड़कें तत्काल ठीक करने की बात की गयी थी।

सभापति महोदय, आज पांचवां बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। इन चार सालों में वह रोड एम्बुलेंस कहीं भी, किसी भी संभाग मुख्यालय पर देखने को नजर नहीं आई। प्रदेश की जो सड़कें हैं, वह लगातार टूटती चली गईं और आज स्थिति यह है कि बीकानेर सहित पूरे

(श्री भंवरसिंह)

प्रदेश में लगभग बीस हजार से भी ज्यादा किलोमीटर लंबाई की सड़कें नोन-पेचेबल श्रेणी में आ गई है। सभापति महोदय, बीस हजार किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों की लंबाई कोई कम नहीं होती है और लंबे समय से विभाग की अनदेखी की वजह से आज प्रदेश की सड़कों की यह स्थिति बनी है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में इन नोन-पेचेबल श्रेणी की सड़कों को ठीक करने के लिए, पिछले दिनों 14 हजार किलोमीटर सड़कों की, नोन-पेचेबल श्रेणी की सड़कों को इसी वित्तीय वर्ष में ठीक करने की बात की गई थी। लेकिन इस बजट घोषणा में स्पष्ट रूप से इन नोन-पेचेबल श्रेणी की तमाम सड़कों को ठीक करने की बात पर ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रदेश में लोक परिवहन की जो बसें चलाई गई और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, उनको डी-नेशनलाइज किया गया। डी-नेशनलाइज करने के बाद में लोक परिवहन सेवा पूरे प्रदेश में शुरू की गई। सभापति महोदय, लोक परिवहन सेवा में प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्होंने इसमें आवेदन किए और लोगों को इस सेवा के परमिट भी दिए गए। लेकिन इस लोक परिवहन सेवा की स्थिति आज के समय में इतनी खराब है कि रोडवेज और लोक परिवहन सेवा की बसों को परमिट एक-दूसरे के आगे दे दिए गए और जिसकी वजह से ये दोनों सेवाएं आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझकर रह गई है। इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से इन लोक परिवहन सेवा की बसों में, जब से ये सेवा चालू हुई है, लगातार गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं।

सभापति महोदय, जहां तक मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात है, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो निर्बन्ध योजना चालू की गई थी। उस निर्बन्ध योजना का पैसा प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में जाता था। उस निर्बन्ध योजना के पूरे पैसों को इकट्‌ठा करके हर पंचायत समिति में दो-दो पंचायतों को दे दिया गया। बाकी पंचायतों में इस योजना के माध्यम से जो काम होने थे, वह बंद कर दिए गए। इसके साथ-साथ जो जल ग्रहण योजनाएं चल रही थी, जिले में पचास-पचास जल ग्रहण योजनाएं चल रही थीं जिनके माध्यम से जल संग्रहण का काम किया जाता था। उन तमाम जल ग्रहण योजनाओं को बंद करके मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नाम देकर सरकार झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, पेयजल की यदि हम बात करें तो बीकानेर जिले के नोखा विधान सभा क्षेत्र और कोलायत विधान सभा क्षेत्र के गांवों को जोड़ने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा साढ़े चार सौ करोड़ रुपयों की एक योजना लागू की गई थी। लेकिन इस सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए, लगातार क्षेत्र की जनता की मांग होने के बावजूद, लगातार क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा में मांग किए जाने के बावजूद इस योजना को आज तक लागू नहीं किया है। सभापति महोदय, जहां सरकार और मुख्य मंत्रीजी पूरे सदन को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो इस प्रकार से विधान सभा क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, उन योजनाओं को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है?

सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 24 घंटे घरेलू बिजली और 8 घंटे किसानों को बिजली देने की बात की गई थी। लेकिन आज गांवों में स्थिति यह है कि शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे और 2 घंटे सुबह, 6 घंटे घरेलू बिजली दी जा रही है और जो किसानों को बिजली 8 घंटे देने की बात की गई थी, वह भी मात्र 4 घंटे दी जा रही है। सभापति महोदय, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई। जनता का भयंकर विरोध था, उस विरोध की वजह से आपकी सरकार को वह बढ़ी हुई रेट्स वापस लेनी पड़ी। सभापति महोदय, चाहे घरेलू बिजली महंगी करने की बात हो, चाहे नये जीएसएस बनाने पर आपके द्वारा जो अघोषित रूप से रोक लगाई गई है....

श्री सभापति: एक मिनट। भंवरसिंह जी, एक मिनट। वो आपके द्वारा किया हुआ नहीं, सरकार के द्वारा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बीठनोख और बरसिंहसर में जो एनएलसी का ढाई सौ गुना यानी 500 मेगावाट का लिग्नाइट थर्मल प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है, उस पर भी सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है जिससे हमारे बीकानेर जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों से बकाया वसूली की जा रही है। किसानों की फसल के पकाव के समय ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे

(श्री भंवरसिंह)

हैं, जिनकी वजह से किसानों पर आर्थिक व मानसिक दोहरा दबाव पड़ रहा है। किसानों को जो ब्याज और पेनल्टी पर छूट हर साल फरवरी-मार्च के महीने में दी जाती है इस बार वह छूट सरकार के द्वारा नहीं दी गयी है।

श्री सभापति: अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया मर्यादाओं का ध्यान रखें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों को फरवरी-मार्च में ब्याज और पैनल्टी पर छूट दिए जाने की मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा। हमारे अनुसूचित जाति के जो कृषि कनेक्शन हैं, 2016 के बाद जिनके डिमांड नोटिस नहीं निकाले गए, करीब एक-डेढ़ साल की उनकी प्रतीक्षा सूची बन गई है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के जितने भी आवेदन अभी तक लंबित हैं, उन सभी आवेदनों पर, चूंकि एक तरफ सरकार ने 2012 तक के जो कृषि कनेक्शन हैं, उनकी डिमांड निकालने की बात कही है तो अनुसूचित जाति के जितने भी बकाया डिमांड नोटिस हैं, उनको निकाला जाए। बीकानेर, कोटा और अजमेर को पीपीपी मोड पर दिया गया है जिससे वहां के स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने की बात की गई थी। लेकिन सभापति महोदय आज स्थिति यह है कि किसानों को जो उनकी लागत है, जो उनका समर्थन मूल्य है, उसका भी आधा भाव आज बाजार में मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीद की यदि हम बात करें तो बीकानेर संभाग की बात करना चाहूंगा। मूंगफली पर जो समर्थन मूल्य है 4225 रुपए, उसमें एक भारी राइडर लगा दिया गया। हालांकि सरकार द्वारा खरीद जरूर की गई लेकिन उसमें 25 क्विंटल की लिमिट लगा दी गयी जबकि एक किसान के एक ट्यूबवैल में 150 से 200 क्विंटल तक मूंगफली का उत्पादन होता है। किसानों के साथ एक तरह से छलावा किया गया है।

सभापति महोदय, डिग्गियों और सोलर पर अनुदान, जो पहले कांग्रेस की सरकार के समय दिया जाता था, वह अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कम कर दिया गया और आज चार साल बाद में उस

(श्री भंवरसिंह)

अनुदान को फिर से माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य उस बात की प्रशंसा कर रहे हैं, वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, डिग्गी पर अनुदान जो तीन लाख रुपये सरकार ने बजट घोषणा में किया है, वह आज से चार साल पहले, पांच साल पहले तीन लाख रुपए अनुदान होता था। यदि आप किसानों का भला चाहते हैं और डिग्गियों पर अनुदान बढ़ाना ही चाहते थे तो आज के बाजार मूल्य के अनुसार कम से कम डिग्गियों पर पांच लाख रुपये अनुदान होना चाहिए था और सोलर पर 86 परसेंट अनुदान पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा दिया जाता था, उसको यथावत किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कर्ज माफी की बात सरकार कर रही है। पूरे प्रदेश में किसानों के द्वारा कर्ज माफी के लिए आंदोलन किया गया। आज इस बजट घोषणा में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर्ज माफी की जो बात कही तो लोगों को अच्छा लगा लेकिन जब गौर से पढ़ा गया तो उसमें यह कहा गया कि जो लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं, जिनकी जमीन चार व आठ बीघा तक है उनको ही, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, को-आपरेटिव के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिन किसानों ने 50 हजार रुपये या उससे अधिक का ऋण लिया है उसको माफ किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह ऋण राजस्थान के किसानों पर जो ऋण है उसका दस परसेंट भी नहीं है। जहां तक लघु और सीमांत श्रेणी की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में इस योजना का लाभ बिलकुल नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि सीकर, झुन्झुनूं, जयपुर के आस पास के जिले हैं, यहां लोगों के पास जमीन कम है, उत्पादन यहां ज्यादा होता है। हमारे जिलों में जमीन ज्यादा है और उत्पादन कम होता है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार वास्तव में अगर किसानों का भला करना चाहती है, मुख्य मंत्रीजी अगर किसानों के प्रति संवेदनशील हैं तो किसानों का पूरा का पूरा कर्जा माफ किया जाए जिससे किसानों को कर्जा माफी का लाभ मिल सके अन्यथा किसानों के साथ सिर्फ छलावे के अलावा कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, किसान गेहूं की फसल बोता है। गेहूं पर समर्थन मूल्य

(श्री भंवरसिंह)

के अलावा 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी कांग्रेस सरकार के समय बोनस दिया जाता था। उस बोनस को भाजपा की सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया है। दूध पर किसानों को दो रुपये लीटर से बोनस दिया जाता था, उस दूध को भी बंद कर दिया गया है, उसको चालू करने की या बोनस को बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

गाय के नाम पर बड़ी वाह-वाही की जा रही है। सरकार सत्ता में आई और चार साल बीत जाने के बाद अब पांचवां साल आ रहा है। राजस्थान की जनता ने, अजमेर, अलवर, मांडलगढ़ की जनता ने सरकार के चार साल के कार्यकाल का आईना दिखा दिया तब आपको गाय की याद आई। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गाय के नाम पर, गौ-संरक्षण के नाम पर सेस स्टाम्प डयूटी पर लगाया गया है उससे अरबों रुपये सरकार के खजाने में जमा हो गए लेकिन उस रुपये का उपयोग जिस प्रकार से गायों के लिए होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। हालांकि इस बजट में आपने घोषणा की है लेकिन जितना बजटीय प्रावधान होना चाहिए उतना प्रावधान नहीं किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले चार सालों में गायों की भयंकर दुर्गति हुई है चाहे हिंगोनिया गौ-शाला की बात करें या प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा, 108 एम्बुलेंस की सेवा है उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अधिकांश गाड़ियां, वाहन हैं वह चलने की स्थिति में नहीं हैं। जगह-जगह उनका ब्रेक डाउन होता है। लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो यह समय पर नहीं पहुंच पाती है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, मांग भी करना चाहूंगा कि इस 108 योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। प्रत्येक सीएचसी पर 108 योजना के तहत जहां पर आवश्यकता हो, वहां पर नई बसें भी लगाई जाए।

सभापति महोदय, 01 लाख 08 हजार पद भरने की वाह-वाही लूटी जा रही है। सरकार 15 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी। आज चार साल बीत गए लेकिन अब यह 1 लाख 8 हजार भर्तियां करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि युवाओं के साथ इससे बड़ा कोई छलावा नहीं हो सकता। पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर, राजस्थान के 50

(श्री भंवरसिंह)

परसेंट उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां गांवों में प्राइमरी इलाज होता है वह आज एएनएम, जीएनएम के अभाव में बंद पड़े हैं। 40 हजार से भी ज्यादा एएनएम, जीएनएम के पद रिक्त हैं लेकिन 5-6 हजार पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ, राजस्थान के आमजन के साथ इससे बड़ा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 800 से भी ज्यादा नई पीएचसी खोली गई थी। हज़ारों की संख्या में सब सेंटर खोले गए थे। लेकिन अब पिछले पांच सालों में जो घोषणाएँ की गई, कभी 15, कभी 20 पीएचसी खोली जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय, स्वाइन फ्लू से बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से सदन की माननीया सदस्या की, सरकार की लापरवाही की वजह से, एस एम एस का जो मैनेजमेंट है, हमारी माननीया विधायक को सही मार्गदर्शन, सही चिकित्सकीय परामर्श नहीं देने की वजह से, संसाधनों के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। अगर हम चिकित्सों की हड़ताल की बात करें, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी वह इतने संवेदनहीन हैं कि दो-दो बार हड़ताल हो गई लेकिन चिकित्सक प्रतिनिधि मण्डल और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के बीच जिस प्रकार वार्ता होनी चाहिए थी, जिस प्रकार के वातावरण में चिकित्सकों को बुलाकर बात की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई। चिकित्सा मंत्रीजी की जिद की वजह से, उनके रूखे व्यवहार की वजह से राजस्थान में दो-दो बार हड़ताल हुई। चिकित्सकों की हड़ताल से पूरे राजस्थान में हजारों मौतें हुईं। मैं कहना चाहूंगा कि इतने लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार जो चिकित्सा मंत्री हैं, उनको राजस्थान के इस गरिमामय सदन में, चिकित्सा मंत्री के पद पर बैठने का कहीं भी कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा में पात्र लोग थे, उनकी सूची 69 परसेंट की बनाई गई थी उसमें लगातार कटौती की गई। आज गांवों में लोगों को 50 परसेंट भी अनाज, जो अनाज पूर्ववर्ती कांग्रेस की

(श्री भंवरसिंह)
सरकार के समय दिया जाता था वह नहीं दिया जा रहा है। राशन वितरण में बड़े घोटाले हुए हैं वह राजस्थान की जनता के सामने है।

सभापति महोदय, 17 हजार से अधिक विद्यालय एकीकरण के नाम पर बंद किए गए। पिछले पांच सालों में नाम मात्र के भी प्राइमरी स्कूल प्रदेश में नहीं खोले गए। लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से राजस्थान की प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह ठप पड़ी है। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। कांग्रेस की सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय खोला, उसको बंद कर दिया। आपने भी खोलने की घोषणा कर दी लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीकानेर संभाग के साथ भारी कुठाराघात किया जा रहा है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है उसमें सुराज संकल्प पत्र है। उसमे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय में एक राजकीय बालिका और बालकों के लिए राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजी हुई हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, 42 राजकीय महाविद्यालय खोले, उनमें से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां इस सदन में मौजूद हैं, उन सबके विधान सभा क्षेत्रों में, उस सूची में से राजकीय महाविद्यालय खोल दिए गए लेकिन कोलायत की बात करो, चाहे जहाजपुर की बात करो या कांग्रेस के दो-तीन विधायक हैं, उनके क्षेत्रों की बात करे, सिर्फ और सिर्फ तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में आपने राजकीय महाविद्यालय खोल दिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर से जैसलमेर तक 300 किलोमीटर के दायरे में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तीन ज़िले इसमें लगते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कोलायत मरूस्थलीय क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र भी है। यहां राजकीय महाविद्यालय खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। जब भी मुख्य मंत्रीजी आगामी बजट भाषण दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह बड़ा दिल रखकर कोलायत में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और बात कहूंगा। मॉडल विद्यालय हमारी सरकार ने खोले थे लेकिन आपने उन पर ताला लगा दिया। हमारे कोलायत में भी मॉडल विद्यालय खोला जाना था लेकिन आज तक नहीं खोला गया है। प्रदेश में जो भी उपखण्ड हैं, जहां मॉडल विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर मॉडल विद्यालय खोले जाएं। सरकारी विद्यालयों को पीपीपी पर देने जा रहे हो। चाहे ट्यूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, अब शिक्षा के क्षेत्र को भी पीपीपी पर देने जा रहे हैं। जिन विद्यालयों में एक हजार से भी ज्यादा छात्र-छात्राओं की संख्या है, जो वैल एस्टेब्लिश विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालयों को सरकार पीपीपी मॉडल पर देने जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि पीपीपी मॉडल पर देना बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा, बहुत ही निराशाजनक रहेगा।

सभापति महोदय, मैं रोजगार की बात करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी। अभी तक चार सालों में सरकार ने, जो 2013 की भर्तियां थीं उनको ही ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। 27 हजार विद्यार्थी मित्रों को घर भेजने का काम इस सरकार ने किया है। उसके बदले इन विद्यार्थी मित्रों को गुमराह करने के लिये विद्यालय सहायक नाम की जो भर्ती निकाली गई, उस भर्ती में न तो कोई नियम हैं, न कानून है, न कोई कायदे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। संविदा पर लगे हुए चाहे हमारे कर्मचारी हैं, चाहे प्रेरक हैं, चाहे शिक्षाकर्मी हैं, तमाम ये जो युवा हैं, जो लम्बे समय से सरकार से उम्मीद लगाये बैठे थे और सरकार के घोषणा-पत्र में भी था कि विद्यार्थी मित्रों को, प्रेरकों को हम नियमित करेंगे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। चाहे कर्मचारियों की बात करें, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी आपके खिलाफ हैं।

सभापति महोदय, रिसर्जेण्ट राजस्थान, जो नवम्बर, 2015 में किया गया था, उसमें 295 एम.ओ.यू. किये गये थे। 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की बात की गई थी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 295 में से 5 एम.ओ.यू. भी आज यहां धरातल पर लागू नहीं हुए हैं। उद्योगों और

(श्री भंवरसिंह)

निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकार उस रिसर्जेण्ट राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकी। उसमें सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है।

सभापति महोदय, लास्ट में, बजरी के भाव आसमान को छू रहे हैं। सरकार का इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा। बजरी माफिया ने आमजन के लिये, जो घर को बनाना चाह रहा था, उसमें बजरी माफिया ने एक तरह से अवरोध पैदा कर दिया है। जिस प्रकार से सरकार ने खनन के लिये 645 खानें आबंटित करके करीब 45 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया और पूरे प्रदेश और सदन में उसका विरोध हुआ तो उन 645 में से 600 खानों के आबंटन को रद्द करने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में पटवारी हड़ताल पर हैं। उस हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश का किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद, राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। किसान को जमाबंदी लेने के लिये, किसान को खेत का नक्शा लाने के लिये, के.सी.सी. बनाने के लिये, चाहे किसी भी तरह का काम हो, आज पटवारी नहीं है। पटवारियों के रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं। पटवारियों की समस्याओं का समाधान भी नहीं किया जा रहा है। सभापति महोदय, सरकार को जनहित में और किसानों के हित में तत्काल पटवार मण्डल के जो लोग हैं उनसे वार्ता करके हड़ताल को भी खतम करवाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि चाहे पी.एच.ई.डी. का घोटाला हो, चाहे एन.आर.एच.एम. का घोटाला हो, चाहे हमारे अन्य घोटाले हों, इस सरकार के चार साल का काम जनहित के बजाय भ्रष्टाचार पर ज्यादा रहा। जिसकी वजह से आज राजस्थान की जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने के लिये मजबूर कर दिया कि हमारी यह स्थिति है कि 17 विधान सभा क्षेत्रों में से 17 के 17 में ही हारे हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो बजट पेश किया गया, वह अत्यंत ही निराशाजनक है, घोर निराशाजनक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सदन में जो बजट पेश किया, मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूं।

विकास और सुशासन मंजिल नहीं है बल्कि निरन्तर चलने वाली यात्रा है। हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में कई अहम पड़ाव हासिल किये हैं। किसानों की आय को बढ़ाने, कमजोर तबकों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो, महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित हों, नौजवानों को काम मिले। ऐसा सुशासन, राजस्थान का सपना साकार होने तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे। बिलकुल, थकने का नाम ही नहीं है, जब तक हमारी सरकार की कल्पना है, उस सपने को हम साकार नहीं कर सकें, तब तक हमारा पड़ाव, मंजिल नजदीक नहीं है।

आज सबसे पहली बात यह है कि जो मुख्य मंत्री ने बजट रखा है, उस बजट में जिस तरह की घोषणाएं की हैं, निश्चित रूप से सड़कों के लिये राजस्थान गुणवत्तापूर्ण सड़कों के लिये जाना जाता था। विगत 2003-08 के शासनकाल में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ था, उतनी आज दिन तक, ये पांच साल बीच में जो निकले, उसकी वजह से आज राजस्थान खस्ता हाल सड़कों में पहुंच गया है। मगर हमारी मुख्य मंत्री की सोच की वजह से राजस्थान में जितनी सड़कें बन रही हैं, अभी इस समय सड़कें दी हैं उससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान का विकास सड़कों के ऊपर निर्भर है। जो सड़कें दी हैं, जिनसे मुख्य मंत्री की सोच स्पष्ट होती है कि राजस्थान को गुणवत्तापूर्ण सड़कों में लाकर, एक अच्छी सड़कों वाला राज्य कहलाता था, उसको आज जिस तरह से सड़कों की मांग हो रही है, उसके लिये बजट में जो प्रावधान किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 2003 से 2008 तक जो शासन चला, उस शासन में मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आज वह स्थिति हो गई कि पांच साल उनके और चार साल हमें हो गये, हमारी सरकार ने जितनी सड़कें बनाई हैं, मगर उसके बावजूद भी काफी सड़कें ऐसी हैं, जो खराब हैं, जिनसे उन सड़कों की हालत पैदल चलने योग्य नहीं रही,

(श्री केसाराम चौधरी)

मगर हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि आने वाले समय में इन सड़कों को निश्चित रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, और सुदृढ़ीकरण किया। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने 49878 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, अपग्रेडेशन, रिन्युअल के महत्वाकांक्षी कार्य पूर्ण किये हैं। फिर भी इतनी कमियों को देखते हुए जो सरकार का लक्ष्य है, उसमें कहीं ठहराव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 21614 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया, वहीं 28264 किलोमीटर नेशनल एवं स्टेट हाई-वे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया है। ग्रामीण गौरव पथ राजस्थान में एक मिसाल के रूप में बने। अगर कहीं गांव में कादा-कीचड़ की सड़कें थीं, उनमें ग्रामीण गौरव पथ बना करके वसुंधराजी ने एक बहुत ही सुंदर निर्णय लिया, जिससे गांव में कीचड़ भरी सड़कें आज गांव का गौरव बनकर, निखर कर आई हैं। शेष रही चौथे फेज में भी इन सड़कों के लिए इस बजट में करने का जो प्रावधान किया है, उसके लिये हम सरकार के बहुत-बहुत आभारी हैं।

राज्य के सभी 200 विधान सभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर नवीन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव अत्यंत स्वागत योग्य है। हर विधायक को 15 किलोमीटर सड़कें देंगे, जिनमें मिसिंग लिंक या कोई ऐसी सड़कें जो अत्यंत आवश्यक हैं, उन सड़कों का भी निर्माण हो सकेगा। नाबार्ड योजना के तहत इस वर्ष 800 करोड़ रुपयों की लागत से 5336 किलोमीटर के 1614 कार्य चालू किये गये हैं। अगले वर्ष में आर.आई.डी.एफ.-24 के तहत 800 करोड़ रुपयों की लागत से 5000 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन और रिन्युअल के नये कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं, जिनसे गांवों की जो सड़कें टूटी-फूटी हैं उन सबका निर्माण हो सकेगा। ए.डी.बी. ट्रेंच-1 में 2452 करोड़ रुपयों की लागत से 980 किलोमीटर निर्माण कर चालू कर प्रदेश में 15 जिलों को सम्मिलित किया गया है।

इसी तरह से मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जोधपुर, नागौर और पाली जिले में सड़कों के लिये स्पेशल पैकेज दिया, इसके लिये पाली जिले की जनता की तरफ से मैं मुख्य मंत्रीजी एवं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में

(श्री केसाराम चौधरी)
1393 बसावटों को अब तक नवीन सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के द्वितीय चरण में 3464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के अपग्रेडेशन और मेंटिनेंस के कार्य 1622 करोड़ रुपयो की लागत से किये जा रहे हैं, जिनके कारण से जो सड़कें अत्यंत खराब हैं उनका कार्य सुदृढ़ हो जायेगा और राजस्थान की सड़कें, जो इस पांच साल में कांग्रेस राज ने खराब कीं, वे वापस अपना गौरव प्राप्त करेंगी। ऐसी हमारी सरकार की भावना है। मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिये 2 हैक्टेयर, मतलब साढ़े 12 बीघा नये, भाई लोग बता रहे हैं 4 बीघा और 5 बीघा, नये साढ़े 12 बीघा, मतलब 2 हैक्टेयर जिसकी जमीन है, हमारी सरकार ने उनके ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण की माफी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

(16.00 बजे)

जिससे लघु एवं सीमांत कृषकों को सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर, 2017 को ओवर-ड्यू ऋण में समस्त शास्तियां एवं ब्याज माफी की घोषणा करने जो आउटस्टेंडिंग थी जिससे कृषक ओवर-डयू से अंडर आउटस्टेंडिंग की श्रेणी में आ जाएंगे और सहकारी बैंकों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टेंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफी की जो घोषणा की है, मैं उनकी पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं कि किसानों को राहत देने के लिये आपने 50 हजार रुपये के ऋण माफ करने की जो घोषणा की है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। इससे सरकार पर 8 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान राज्य कृषि ऋण आयोग, एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके किसानों की जो ऋण संबंधी समस्या होगी, वह स्वतंत्र आयोग उन किसानों की जो भी ऋण के संबंध में समस्या होगी, वह सुनेगा और किसानों को सरलता से, उसमें जो किसान तकलीफ में हैं उनकी सहायता करने में आयोग मदद करेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजफैड द्वारा कृषि उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण सरकार ने

(श्री केसाराम चौधरी)

उपलब्ध करवाया है। राजफैड की खरीद अवधि के दौरान देय मंडी शुल्क में छूट उपलब्ध करवायी गयी है किंतु मेरा यह निवेदन है कि मंडी शुल्क की छूट तो दी है मगर मंडी के पास यह भी रिकार्ड होना चाहिए कि इतना शुल्क बनता था, जिससे यह पता लग सके कि राजफैड ने वास्तव में कितना माल खरीदा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी रह सके, उसके लिए भी यह कृषि मंडी में मंडी शुल्क माफी तो दी है मगर यह सुविधा भी करनी चाहिए ताकि किसान का भला हो सके और किसान उसमें अपना माल वाजिब दाम पर बेच सकें।

इसके अलावा, वर्तमान में किसान के लिए जल संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिए फार्म पौन्ड निर्माण के लिए अनुदान 50 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट किया है और बजट में 14 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि किसान वर्षा जल को इन पौन्डों में वर्षा के समय संरक्षण करके उस जल का सदुपयोग करेगा और अपनी पैदावार को बढ़ाएगा और जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी।

हौज निर्माण पर 50 परसेंट अनुदान पर 10 परसेंट टॉप-अप अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये किये जाने की घोषणा की है। राज्य मद में 5 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया है, जिससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि किसानों को हौज निर्माण और पानी का सदुपयोग हो। जब पानी है तो सब कुछ है और पानी के लिए यह जो व्यवस्था की है हौज निर्माण की, डिग्गी निर्माण के लिए भी 50 परसेंट या 2 लाख रुपये का अनुदान देय है। डिग्गी निर्माण पर 25 परसेंट टॉप-अप अनुदान देते हुए अधिकतम तीन लाख रुपये का अनुदान दिये जाने की घोषणा की है और इसके लिए राज्य मद में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं सरकार की इसमें प्रशंसा करता हूं कि किसानों को पानी के लिए, जिस पानी का किस तरह से सदुपयोग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करके किसान खेती में बढ़ावा करें, अपनी पैदावार का बढ़ावा करें और उसकी माली हालत में सुधार हो सके, इसके लिए सरकार ने जो पानी के लिए सोचा है, वह वास्तव में सराहनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, ग्रीन हाउस और शेडनैट की स्थापना हेतु लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत टॉप-अप सब्सिडी दी जाकर 70 परसेंट अनुदान देय है। उसको 200 वर्ग मीटर तक के लिए 50 परसेंट या अधिकतम 10 लाख रुपये तक जो किया है, जिससे शेडनैट में जो भी सब्जियां या नई तकनीकी से खेती करने का लघु और सीमांत काश्तकारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में इसका बहुत ही फायदा होगा और वे लोग इस योजना से लाभ लेकर अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यह सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, 3 एच.पी. और 5 एच.पी. में 25 परसेंट और 20 परसेंट अनुदान दिया जा रहा था, उसको सरकार ने कृषि कनेक्शन विहीन किसानों का 30 परसेंट और कृषि कनेक्शन समर्पित करने वालों को 45 परसेंट का अनुदान देने का जो काम किया है, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर दुगुना किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मगर, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से यह जो अनुदान दिया जाता है, काश्तकार को बाजार भाव से जिस रेट पर चीज मिलती है, वह अनुदान की राशि, वह व्यापारी वर्ग उसका शोषण करता है इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था सोचनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान का पूरा का पूरा फायदा किसान को मिलें इसके लिए मैं यह निवेदन करता हूं कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उसमें किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा है, बाजार रेट से उससे उतने रुपये कम में मिलनी चाहिए न कि बाजार रेट में मिल रहे भाव से ऊपर अनुदान का बताकर किसान को ठगा जाता है। बाजार में जो ठगी हो रही है, उससे किसान को रोकना अति आवश्यक है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो कार्य किया है, मैं राजस्थान सरकार का, शिक्षा मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे सिंधिया की सोच के लिए बहुत-बहुत

(श्री केसाराम चौधरी)

आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गार्गी पुरस्कार स्टार्ट किया और गार्गी पुरस्कार में दसवीं में 75 परसेंट नम्बर लाने वाली बच्ची को तीन हजार रुपये और ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन लेने वाली को तीन हजार रुपये और बारहवीं कक्षा पास करने वाली को 75 हजार रुपये गार्गी पुरस्कार और सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। इस पुरस्कार के अलावा भी हमारी सरकार ने गार्गी पुरस्कार में 2015-16 में 91 हजार गार्गी पुरस्कार राजस्थान की बच्चियों को दिये गये थे मगर हमारी सरकार की सोच के कारण से इस वर्ष जो गार्गी पुरस्कार दिये गये, वह 1 लाख 26 हजार 411 बच्चियों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है, इससे यह साफ लगता है कि इन बच्चियों का शिक्षा स्तर, जो सरकार के प्रयास हैं, उनसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है।

बालिका छात्रावास- मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बालिका छात्रावास, शारदा छात्रावास बनाकर दिया है, जिसमें आज बच्चियां, मैंने जाकर वहां बच्चियों को पूछा कि आप यहां पर रहना पसंद कर रही हैं या छुट्टियों में घर जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, छुट्टियों में भी हम तो यहां पर ही रहेंगी। इतनी बढ़िया और सुंदर व्यवस्था की है, इसके लिए भी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

पूर्ववर्ती सरकार पहले पांच किलोमीटर या चार किलोमीटर दूर से आने वाली बच्ची को यह साइकिल देती थी, मगर अब हमारी सरकार ने 9 क्लास में कोई भी बच्ची एडमिशन लेगी, उसको भगवा कलर की साइकिल देना शुरू कर दिया है जिससे रोड पर चलती हुई बच्चियां स्वाभिमान से सिर ऊंचा उठाकर साइकिल पर स्कूल जाती हैं, यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की हुई है। इसके लिए साइकिल वितरण करके एक बहुत ही बड़ा, मतलब, 9 क्लास की सभी बच्चियों को साइकिल देकर बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है।

बालिका प्रोत्साहन हेतु पद्माक्षी पुरस्कार, इस योजना वर्ष में 2017-18 से लागू की गयी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10 एवं 12 परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक जिले में हर वर्ग की छात्रा जो सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. वर्ग, निःशक्त

(श्री केसाराम चौधरी)

वर्ग, 8वीं पास, हर वर्ग में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी, उनको 40 हजार रुपये, 10वीं पास करेंगे हर वर्ग में उसको 75 हजार रुपये, 12वीं पास के लिए 1 लाख रुपये, 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार हेतु पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त बसंत पंचमी को स्कूटी देकर भी हमारी सरकार नवाजेंगी। निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय स्कीम है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

राजश्री योजना, मुख्य मंत्रीजी ने एक राजश्री योजना चलाकर बच्चियों को किस तरह से राजस्थान में शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए और उनको अभिभावक अपने ऊपर बोझ न समझें, उसके लिए उन्होंने बच्ची के जन्म लेते ही 2500 रुपये, बच्ची के एक साल के बाद में 2500 रुपये और जब बच्ची पढ़ती है तो 4000 रुपये पांचवीं तक, छठी में प्रवेश पर 5000, दसवीं में प्रवेश पर 11 हजार, कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25 हजार, कुल 50 हजार रुपये देकर बच्चियों को जिस तरह से अभिभावक के ऊपर बोझ न बने और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इस बात को भी ताईद की है तथा मुख्य मंत्रीजी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का जो नारा दिया है, उसकी सार्थकता के लिए जो प्रयास किये हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं।

इसके साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आज 125 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन फैला हुआ है और उस विधान सभा क्षेत्र में 74 ग्राम पंचायतें हैं और उस क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, जिससे हमारी बालिकाओं का ड्रोप आउट हो रहा है और बच्चियों को प्राइवेट कालेजों में जाकर अधिक फीस भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मगरा विकास की 10 पंचायतें आती हैं, ऐसे क्षेत्र के लिए एक सरकारी महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन पर खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अन्नपूर्णा रसोई एक अच्छी योजना है, इससे गरीब लोगों को राहत मिलती रहे इसलिए मेरे मारवाड़ जंक्शन पर एक अन्नपूर्णा रसोई खोलने के लिए मांग करता हूं। ....(व्यवधान).... आपके टिफिन तो, भूखा कोई नहीं रहता है। भगवान भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं है। गरीब को खाना देने वाला ईश्वर है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: केसारामजी, इधर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो नोन-पेचेवल सड़कें हैं वह सड़कें पूरी की पूरी स्वीकृत कराएं ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकें। इसके साथ ही, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती द्रोपतीजी।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2018-19 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजस्थान प्रदेश के गत चार वर्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश को एक नई दिशा मिली है, यह बात कांग्रेस के माननीय सदस्यों को गले नहीं उतर रही है क्योंकि इन्होंने विकास करने में कम और देश-प्रदेश को लूटने में ज्यादा विश्वास रखा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी के नेतृत्व में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जैसे-सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्रॉफी, ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार इत्यादि।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 'सबका साथ, सबका विकास', यह बात विपक्ष के माननीय सदस्यों को गले नहीं उतर रही है।

सभापति महोदय-

"मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित
चाहती हूं मातृभूमि तुझको कुछ और भी दूं।"

यह हमारे देश के माननीय फौजी भाइयों के लिये, मैं देश के लिये शहीद होने वाले फौजी भाइयों के चरणों में वंदन करती हूं, नमन करती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देना

(श्रीमती द्रोपती)

चाहूंगी कि उन्होंने अपने बजट भाषण में शहीद सैनिकों के लिये आश्रितों को नकद राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक की है। शहीदों से युवा शक्ति को प्रेरणा मिले, इसलिये जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है। यह भी हमारे लिये गौरव का विषय है।

सभापति महोदय, जब देश का फौजी देश के लिये लड़ता-लड़ता शहीद होता है, उस समय उसके मन में एक ही विचार आता है "भारत माता की जय, भारत माता की जय।" सभापति महोदय, जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भारत को सम्पूर्ण विश्व में नमन किया था। परन्तु कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिये सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिये जिस देश की सेना पर हम सभी को गर्व है, हम सभी गर्व करते हैं, उस सेना के आप प्रमाण मांग रहे हैं।

सभापति महोदय, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने संसद में कहा था-

'भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है,
एक जीता-जागता राष्ट्र पौरूष है।
यह वंदन की धरती है, यह अभिनन्दन की धरती है,
यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है,
इसकी नदी-नदी हमारे लिये गंगा है,
इसका कंकर-कंकर हमारे लिये शंकर है।
हम जीयेंगे तो देश के लिये,
और हम मरेंगे तो भारत देश के लिये
और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हुई
हमारी अस्थियों के कोई कान लगाकर सुनेगा
तो उसमें भी एक ही आवाज आयेगी
वो भारत माता की जय, भारत माता की जय।'

सभापति महोदय, कुछ ऐसी विचारधारा वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। सभापति महोदय, जब देश का गौरवशाली प्रधान मंत्री दीपावली

(श्रीमती द्रोपती)

मनाने के लिये देश की सीमा पर फौजी भाइयों के बीच में जाता है, तब कितना अच्छा लगता होगा उन फौजी भाइयों के परिवार वालों को और हमारे देशवासियों को। सभापति महोदय, सेना के मान-सम्मान की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होती है। कारगिल युद्ध के समय देश के लिये शहीद हुए फौजी भाइयों को जो मान-सम्मान मिला था, वह हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की वजह से मिला था।

सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के समय तो सेना के हाथ बंध हुए थे। जब से नरेन्द्र मोदीजी की सरकार बनी है, हमारे मोदीजी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से सेना को आतंकवादियों का सफाया करने की खुली छूट प्रदान हुई है।

सभापति महोदय, यह कांग्रेस के माननीय सदस्य कुंठित तो बहुत होते होंगे, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी में है। परन्तु इनकी एक मजबूरी है जब जे.एन.यू. में देश विरोधी नारे लगाये जाते हैं, तब कांग्रेस के +++ देश विरोधी लोगों का सपोर्ट करने पहुंचते हैं, शर्म आनी चाहिये।

सभापति महोदय, मुझे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मिला। उसने कहा विधायक जी, आज के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो यहां सदस्य नहीं है, क्या उनका नाम लेना उचित बात है?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कहना चाह रही हूं। आप बात सुनो। मैं कांग्रेस के सदस्यों को ही सुनाना चाहती हूं।

श्री सभापति: माइक नजदीक रखो, द्रोपती जी।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मुझे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि विधायकजी, आज के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। उसने जवाब दिया कि पहले तो जे.एन.यू. में देश विरोधी नारे लगाने वालों की सपोर्ट में +++ आते हैं और अब यू.पी. में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं। ऐसे विचार इन कांग्रेसियों के हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्या से मैं पूछना चाहती हूं कि उनका नाम लेना उचित है क्या?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आप किस मुंह से बोल रहे हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो सदन का सदस्य नहीं है, माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहती हूं, सभापति महोदय। संसदीय सचिव महोदय ने लिखकर दिया है इनको।

श्री सभापति: वह नहीं लिखेंगे।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): यह किस मुंह से कह सकते हैं? जो कार्यकर्ता ने मेरे से बात की, वह मैं आपके सामने रख रही हूं। सभापति महोदय, ऐसी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार विशेष की पार्टी है, बाकी सारे नेता जितने भी हैं, वह तो गाने-बजाने वाले हैं। सभापति महोदय, मां राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस की पार्टी में देखो। +++ शायद +++ बच्चे होते तो वो सचिव होते। ....(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, +++ की पांच हजार से पचास हजार करोड़ की प्रोपर्टी कैसे बढ़ी, वह भी बता दें माननीय सदस्य।

श्री सभापति: आप बैठें। आप बिना परमिशन नहीं बोलें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, इस तरह से जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में अनर्गल आरोप लगाना, यह ठीक नहीं है। यह माननीय सदस्या लगातार बोलती जा रही हैं।

श्री सभापति: पहले आप बिराजें। उन्होंने पार्टी की एक व्यवस्था बतायी है, कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): यह कैसी बात करते हैं, यह मैं सभापति महोदय, बताना चाहूंगी। किसान सम्पूर्ण मानव जाति के लिये दिन-रात मेहनत करके अनाज उत्पन्न करता है। किसान हितैषी राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों में लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपये के कर्ज को माफ किया है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

सभापति महोदय, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन करने पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहती हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब बजट पेश कर रही थीं तब ये कांग्रेस के माननीय सदस्य चिल्ला रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिये कि ये किसान के नाम पर छल-कपट करके राजनीति कर रहे हैं। जब प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब यही किसान यूरिया खाद के लिये सर्दियों में 13-13 घंटे तक लाइनों में लगे रहते थे। तब यह कांग्रेसी कहां गये थे? मैं इन माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं। यहां पर थोड़े-से सदस्य बैठे हैं। जो किसान के बारे में चिन्ता कर रहे थे, अब वह कहां हैं? जब उस वक्त आपकी सरकार थी। जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सभापति महोदय, तब-तब किसान हित में कार्य हुए हैं। किसानों के बारे में चिन्तन हुआ है।

सभापति महोदय, जब देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब किसान हित में के.सी.सी. लोन देने का कार्य शुरू किया था। जब से प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी बने हैं, तब से किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर अच्छी फसल ले रहा है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इसका एक उदाहरण है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की किसानों की 40 वर्ष पुरानी सेम समस्या के समाधान के लिये बजट स्वीकृत किया। बड़ोपल क्षेत्र का पानी उठाने का कार्य आज भी प्रगति पर है। चाहे तो आप कांग्रेस के माननीय सदस्य जाकर देख सकते हैं। लेकिन गत सरकार कांग्रेस की थी, उसमें किसान के नाम पर आज यह जो छल कर रहे हैं, गत कांग्रेस सरकार के समय में, अभी तो यह सदन को चलने नहीं दे रहे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने अभयारण्य बनाने का वहां प्लान कर लिया था। जहां सेम का पानी पड़ा है, वहां पर अभयारण्य बनाने का काम कर रहे थे ताकि जो बची हुई जमीन है किसानों की, वह भी हम हड़प लें। ऐसी यह कांग्रेस सरकार की योजना थी और यह बात करते हैं किसान हितैषी की। सभापति महोदय, इनको शर्म आनी चाहिये और सदन में आकर किस तरह से यह बोल रहे हैं।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश में किसानों को फसल के अच्छे भाव मिले, इसके लिये किसान हित में सरसों और चने की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बजट घोषणा की है। इसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री महोदया का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किसान हित में हौज बनाने के लिये पूर्व में हुई घोषणा लागत के 50 प्रतिशत को बढ़ाकर किया, यानी 75 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने के लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद। किसान हित में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने डिग्गी निर्माण पर 3 लाख रुपये का अनुदान दिया, इसके लिये भी बहुत-बहुत किसान भाइयों की तरफ से मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, प्रदेश के किसान हित में जनवरी, 2012 तक के लम्बित रहे 2 लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने की है। इतना अच्छा बजट किसान हित में आज तक तो आया नहीं है। इस बात की चिन्ता हमारे कांग्रेसी सदस्य भी करते हैं कि वास्तव में इस बार का जो बजट है, वह काबिले-तारीफ है।

सभापति महोदय-

"शील, विनय, आदर्श, संस्कार तार बिना झंकार नहीं,

शिक्षा क्या संवर साध सकेगी यदि नैतिकता का आधार नहीं।"

शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ा गया है। गत चार वर्षो में माननीय मुख्य मंत्री महोदया के नेतृत्व में सरकार बनी प्रदेश में, तब से शिक्षा का स्तर बढ़ा है। कांग्रेस के समय तो बच्चों को फेल नहीं करेंगे एक से आठवीं तक, यह निर्णय लिया गया था। कांग्रेस सरकार के समय लार्ड मैकाले की शिक्षा दी जाती थी, परन्तु जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से देश के महापुरूषों का जीवन परिचय पढ़ाया जाने लगा है।

सभापति महोदय, जिस देश का गौरवशाली इतिहास हो और उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाना कौनसा अपराध है, यह मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

सभापति महोदय, जब मेवाड़ के गौरवशाली महाराणा प्रताप को महान् बताया जाता है, तब कांग्रेस के यह बात रास नहीं आती। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट द्रोपतीजी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सारे सदस्य नहीं हैं। केवल मात्र एक महिला सदस्य को छोड़कर सब चले गये हैं। कैसा अन्याय हो गया है यह? ..(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इनको यह पता नहीं है, पहले भी मैं कह चुकी हूं उस दिन कह रहे थे हमको गीदड़ क्यों बनाया? आज कुछ और बना दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक ही बहुत हूं। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह भी इसलिये हैं कि इनको बोलना है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं डेली उपस्थित रहती हूं। आपकी तरह नहीं हूं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): जब मेवाड़ के गौरवशाली महाराणा प्रताप को महान् बताया जाता है तो कांग्रेस को यह बात रास नहीं आती है, क्योंकि जब हमारी पार्टी हिन्दुत्व की बात करती है, तो यह चिल्लाने लगते हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि आप सभी देश के महापुरूषों की जीवनी पढ़ो। जैसे वीर सावरकर, श्रीगुरूजी स्वामी विवेकानन्द जी, बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि इन लोगों की आप जीवनी पढ़ो, आपको अपने आप अपने देश के इतिहास का अनुभव हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम किस देश में रह रहे हैं।

सभापति महोदय, गत चार वर्षों में 5,863 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में घोषणा की है कि 1,832 विद्यालयों को और क्रमोन्नत किया जाएगा। इससे शिक्षा क्षेत्र में और कितनी खुशी हो सकती है, यह आप राजस्थान के विद्यार्थियों से पूछ सकते हो।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा देश के उज्ज्वल भविष्य नन्हे-मुन्ने बच्चों की सेहत के लिये सप्ताह में तीन बार दुग्ध पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की घोषणा करने पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

शिक्षा विभाग में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये 77,100 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं में खुशी की लहर झलक रही है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार वीणा के लिये तार जरूरी है, दूरी के लिये पहिया जरूरी है, वैसे ही समाज को सही दिशा देने के लिये जागरूक महिला भी जरूरी है।

सभापति महोदय, प्राचीन समय में भारत देश में नारी शक्ति को गौरवशाली स्थान प्राप्त होता रहा है। देश की गौरवशाली परम्परा को बढ़ाने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को पूरे देश में, समाज में नई दिशा देने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं महिला होने के नाते यह बात बहुत ही गर्व से कह सकती हूं कि अगर महिला शक्ति को सम्मान मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिला है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार में नहीं मिला, क्योंकि जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, +++ उनको भारत देश के तीज-त्योहार का भी नहीं पता, उनको भारत देश की परम्पराओं का भी नहीं पता, यहां के सामाजिक वातावरण का भी नहीं पता। उस कांग्रेस पार्टी को क्या पता, महिलाओं का मान-सम्मान क्या होता है। पिछले 50 वर्षों से नारी शक्ति का अपमान ही होता आ रहा है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रही है महिला शक्ति। कांग्रेस के माननीय सदस्य, आप भी सुनो, आप माननीय सदस्य हो, प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में जिसने खड़ा किया है, वह भी एक महिला हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी हैं। विदेशों में भारत की तरफ से मार्गदर्शन करने वाली, वो भी एक महिला हैं माननीय सुषमा स्वराज। महाभारत काल के समय भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं जिसकी रक्षा करना पुत्र-पुत्री का प्रथम कर्तव्य होता है। आज भी देश की रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं वो भी एक महिला हैं, माननीय निर्मलाजी सीतारमण।

सभापति महोदय, इस देश में महिला शक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी कांग्रेस पार्टी में मुसीबत बन कर खड़ी है ये महिला

(श्रीमती द्रोपती)
शक्ति के रूप में, जैसे स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, उमा भारती, हमारे राजस्थान की किरण माहेश्वरी आदि महिलाएं। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हुआ था।

श्री सभापति: एक मिनट, पीलीबंगा से आने वाली माननीय सदस्या। मंत्री महोदय, आप व्यस्त हैं, आपके बारे में सदन में कुछ कहा जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दोबारा बोलो। ...(व्यवधान)...

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इस देश में महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान मिला है और आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुसीबत बन कर खड़ी है महिला शक्ति के रूप में, जैसे स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, उमा भारती, हमारी किरण माहेश्वरी आदि। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, सरकार के शासन में ही राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राज्य सरकार को बाल लिंगानुपात सुधारने में वर्ष 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था इसलिए कांग्रेस के माननीय सदस्यों को भी मैं बधाई देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय वर्ष 2016-17 में बढ़ाया था और मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2018-19 में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4730 से बढ़ाकर 6 हजार रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3365 से बढ़ा कर 4500 रुपये सहायिका, साथिन और आशा सहयोगिनियों के वेतन को भी बढ़ाया है।

सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन करना, प्रदेश में 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करना, 28 नवीन पी.एच.सी. खोलना, 16 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करना बहुत ही सराहनीय काम है।

सभापति महोदय, पी.एच.ई.डी. में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100

(श्रीमती द्रोपती)

हैण्डपम्प देना, प्रदेश में 500 नये आर.ओ. प्लांट लगाये जाने की भी घोषणा की है।

सभापति महोदय, जिसके सोचने की शक्ति में देश सर्वोपरि रहा हो, जिस महापुरुष ने संविधान की रचना की है, ऐसे महापुरुष के नाम पर प्रदेश की प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा भी बहुत ही सराहनीय काम किया है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभार। 'पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना' की सफलता को देखते हुए 781 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव केन्द्र में भिजवाये गये हैं।

सभापति महोदय, यह कांग्रेस के माननीय सदस्य तो चिल्लाते हैं कभी किसानों के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर। 'गुरु ज्ञान का द्वार है, मां ईश्वर का रूप, मां के रूप अनेक हैं, गऊ भी एक स्वरूप।' सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रत्येक जिले में एक नंदी शाला को गौ-रक्षण हेतु 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा पर सभी गौ-भक्त खुश नजर आ रहे हैं। मेरे पास भी गौ-भक्तों की बधाई आ रही है कि यह अपनी मुख्य मंत्री ने नंदी शाला खोलकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। सभापति महोदय, गौशालाओं में चारा एवं पशु आहार के लिए तीन माह की सहायता को बढ़ा कर छह माह किये जाने पर माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री गौ-पालन एवं गौ-संरक्षण के लिए गम्भीर हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति पर प्रदेश को विकसित किया है। यह बात भी कांग्रेस के लोगों को रास नहीं आ रही है।

सभापति महोदय, हमारे हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, इसकी भी तकलीफ इन लोगों को हो रही है। सभापति महोदय, गुजरात चुनाव के बाद तो +++ भी मन्दिर जाने लगा है।

सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगी, 'राम किसी को नहीं मारता, ना ही पापी राम, अपने आप मर जायेंगे, कर कर खोटे काम।' सभापति महोदय, +++ जहां भी जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। कांग्रेस के माननीय सदस्य यह बात जानते हैं लेकिन इन्होंने यह याद कर लिया है, चाहे चुनाव गुजरात का हो, चाहे

(श्रीमती द्रोपती)

उत्तर प्रदेश का, चाहे हिमाचल का हो। जिस नेता को यह पता नहीं कि आलू कहां पैदा होता है, सपना देख रहा है प्रधान मंत्री का। सभापति महोदय, एक फैक्टरी लगायेंगे जिसमें आलू पैदा होगा, 24 इंच का आलू पैदा होगा, ऐसी इनकी विचार धारा है। आप सुनो कांग्रेसियों की ऐसी विचार धारा। इनको यह भी पता नहीं कि 24 इंच का आलू होता है या 24 इंच की लोकी होती है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, बार-बार किसी पार्टी के नेता का नाम लेकर के इस तरह से ...

श्री सभापति: नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। नाम लिया ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नाम ले रहे हैं न।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे हुआ? नाम नहीं लिया, भंवरसिंहजी, नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, एक तो यह सामान्य वाद-विवाद है ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बोलने के लिए है नहीं तो कम से कम ये ही बोलने दो सदस्य को।

श्री सभापति: आप कन्टीन्यू करो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आपके लोग बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूं, सभापति महोदय।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं जबकि यह सामान्य वाद-विवाद है। माननीय सदस्या लिखा हुआ पढ़ रही हैं, यह कोई नियमों के अनुसार नहीं है, सभापति महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: लिखा हुआ नहीं पढ़ें। ...(व्यवधान)...

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इससे तो अच्छे आपके गोविन्द सिंह डोटासरा हैं कि उनको आलू और लौकी का पता है। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय विधायक को किसी ने लिखकर दे दिया और वो पढ़ते जा रहे हैं और क्या लिखा है, इनको खुद को पता नहीं है कि क्या लिखा है और किसने लिख कर दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वो लिखा हुआ नहीं पढ़ रही हैं, वो बोल रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, लिखा हुआ लगातार पढ़ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं।

श्री सभापति: मेरे सामने तो नहीं पढ़ रही है। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप आसन पर विराजे हुए हैं, आपके सामने लगातार आधे घंटे से पढ़ रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आप लोगों की क्या भावना है, आपने 60 साल खून पीया है हमारे भारत का, 60 साल, हम नहीं बोलें क्या, हमारा मौका है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सदस्या, इन्होंने एक बात बढ़िया कही। सुनो, माननीय सदस्या, मै आपके लिए बोल रहा हूं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सभापति महोदय, ये किस मुंह से बात करते हैं यहां बैठ कर, इनको यह भी सोच नहीं है कि आपके जो नेता हैं वो कहां के हैं, उनको कुछ पता ही नहीं हैं किस तरह की ये यहां पर आकर बातें कर रहे हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): द्रोपतीजी, इन्होंने एक बात बढ़िया कही कि कांग्रेस के लोग समझदार हैं। ...(व्यवधान)... इन्होंने बढ़िया बात कही कि राजस्थान के कांग्रेस के लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि जहां-जहां +++ जाता है वहां ये जीतते नहीं हैं, तो इन राजस्थान कांग्रेस वालों ने +++ को यहां नहीं बुलाया तो इस बार इनकी किस्मत थोड़ी चल गयी। ...(व्यवधान)... अभी 2018 में हम लोग आने वाले हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, +++, उनको बुला लो और उनसे सीखो कि 50 हजार रुपयों से जो काम चालू होता है, जो कम्पनी बनती है वो एक साल में 50 करोड़, 100 करोड़ रुपयों तक कैसे पहुंच जाती है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ये बोफोर्स का घोटाला करने वाले, देश को बेचने वाले अगर हमें ज्ञान बतायेंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, आप बैठें, आप भी विराजें। ...(व्यवधान)... आप बजट पर बोलें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है बजट पर व्याख्या चल रही है और फाइनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और फाइनेंस के बारे में जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो फार्मूला है...(व्यवधान)...

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 2018 में ये +++ को भी नहीं बुलाने वाले हैं प्रचार करने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें, आप भी बैठें। आप विराजें, आप विराज जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, +++ उनका फार्मूला लागू किया जाए ताकि हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, यह कौनसे देश की बात कर रहे हैं? हमारा भारत युगों-युगों का भारत है, इनके लोग आते ही कोई पिता बन गया, कोई चाचा बन गया। कैसे बात करते हो, कौनसे देश की बात करते हो? हमारा भारत हमेशा-हमेशा का है, भारत युगों-युगों से चलता आ रहा है। सभापति महोदय, यह कांग्रेसी भाई किस मुंह से बात कर रहे हैं?

सभापति महोदय, प्रदेश के सभी 200 विधान सभा क्षेत्रों में प्रत्येक में 15 किलोमीटर की सड़क देना बहुत ही गौरव की बात है। प्रदेश स्तर पर पांच हजार किलोमीटर नई सड़कें बनायी जायेंगी। सभापति महोदय, यह भी अपने आप में गौरवशाली बात है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, चाहे राजमार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे अन्य हाईवे हो, पूरे प्रदेश के अन्दर सड़कों का जाल बिछ रहा है।

सभापति महोदय, मैं अगर बात करूं गौरव पथ की तो वास्तव में यह गांव का गौरव है। और इसी दौरान राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण गौरव पथ वास्तव में ही प्रशंसा के काबिल हैं क्योंकि कांग्रेस के सदस्य भी इसमें तारीफ करते हैं कि आपने यह गौरव पथ, जो सड़क दी है गांव के अन्दर, यह वास्तव में ही सराहनीय काम है। हमें बधाई भी उन

(श्रीमती द्रोपती)

लोगों के द्वारा मिल रही है। सभापति महोदय, यह सड़कें जो बनी थीं वह आज तक मजबूत हैं। गत कांग्रेस के काल में एक सड़क बनी थी, पीलीबंगा-सूरतगढ़- हनुमानगढ़ रोड, जो एकदम जर्जर हालत में पड़ी है। जैसे ही मैं विधायक बनी तो कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे पास आकर बोले, विधायक जी, आपको हमने विधायक बनाया तो आप ही यह मुद्दा उठाना। हमारी सरकार में तो यह बजट उठाकर खा गए। अगर कांग्रेस के माननीय सदस्य उस रोड पर जाते हैं तो इन्होंने जरूर उसकी हालत देखी होगी। इसकी जांच करवाओ। मैंने उसकी जांच करवाई। आज वह पीलीबंगा में सीसी रोड बन रही है। वह पूरी रोड माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बनवा दी गई है।

सभापति महोदय, वर्ष 2018-19 का बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और युवाओं के लिए समर्पित है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर 13 दिसम्बर, 2013 के ऐतिहासिक दिन का स्मरण करते हुए राजस्थान प्रदेश को एक सशक्त एवं संपन्न राजस्थान बनाने का संकल्प लिया था। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' बजट से संपूर्ण वर्ग संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि "अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती हैं, हम सबकी मंजिल एक है, वह है भारत मां की जय, भारत मां की जय।" धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। जय-जय राजस्थान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला जी।

(16.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से बजट पर काफी बड़े-बड़े भाषण दिए जा रहे थे। जबकि एक ही शब्द को बार-बार बदलकर, "सब जन विकास, सब जन उत्थान", फिर कर दिया, "सब जन उत्थान सब जन विकास", फिर कर दिया "समग्र विकास", "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"। शब्दों का प्रयोग देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बजट के अंदर कितना कुछ होगा। लेकिन जब पढ़ा तो कहावत चरितार्थ हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से कह रहे थे कि इतने सालों में क्या किया और क्या नहीं किया। भारत देश के पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय अटल बिहारीजी ने जब प्रधान मंत्री की शपथ ली और उसके बाद जब सदन में उद्‌बोधन दिया तो उनके शब्द थे कि 'अगर मैं यह कहूं कि आज तक देश में कुछ नहीं हुआ तो यह बेमानी होगा'।। आज तक जो विकास हुआ वह पिछली सरकारों ने ही किया। उसे कोई झुठला नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के जो प्रधान मंत्रीजी हैं, वह जब भी भाषण देते हैं कि इतने सालों में कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वह अभी किया, एक तंत्र ने किया, एक व्यक्ति ने किया, जो कि असंभव सा लगता है। नया भारत बनाएंगे। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी। जिन्हें खुद नहीं पता कि महिला का सम्मान क्या होता है, वह महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, यह +++

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): बजट पर बोलें। यह लोक सभा नहीं है, विधान सभा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी थोड़ी देर पहले तो यह लोक सभा थी। अभी विधान सभा बन रही है। कुछ पढ़े-लिखे नहीं हो क्या? ज्ञान नहीं है क्या आपको? अभी तो यह लोक सभा थी। उपाध्यक्ष महोदय, सोनियाजी की चर्चा कर रहे थे। जिस महिला के मन में कुर्सी का लालच नहीं था। देश की शांति के लिए प्रधान मंत्री की कुर्सी को त्याग दिया।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। भारतीय रीति-रिवाज को अपनाया। हिन्दुस्तानी रीति-रिवाज को अपनाया। वह सोनिया गांधी जी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनके खानदान में, जिस खानदान की यह बात करते हैं, राजा के आई और रानी कहाई उप सचेतक महोदय, कभी किसी एक गांव की बहू नहीं होती है, वह एक देश से दूसरे देश में ही ब्याही जाती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है तो क्या है। यह हिन्दुस्तानी संस्कृति और कल्चर भी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने नहीं कहा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): महारानी साहिबा भी किसी दूसरे ही राज परिवार में ब्याही गई हैं। मैं तो आपको बता रही हूं। आप कह रहे हैं ना इटली से।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने नहीं कहा है इटली से।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राजा के आई रानी कहाई।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने नहीं कहा ऐसा। आप मेरे पर क्यों पिल पड़ी हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हिन्दुस्तान में इंदिरा गांधी के बेटे के आई तो हिन्दुस्तानी बहू कहलाई। आपके ज्ञान के लिए बता रही हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप मेरे पर क्यों पिल पड़ी हैं। मैंने नहीं कहा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने बोला था। मेरे कान भी खुले हैं और मेरी आंखें भी खुली हैं। जिन राहुल जी का यह जिक्र करते हैं, जिस परिवार ने अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा करते हुए, प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए, पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी। देश के लिए शहीद हुई थी। देश की शांति के लिए शहीद हुई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बजट में कहां लिखा है। आप माननीय सदस्य बहस कर रही हो। आप बजट पर बोल रही हैं ना? यह बजट की पुस्तिका में कहां लिखा हुआ है, जिस पर बहस कर रही हो ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मुझे यह बता दें कि राहुल गांधी जी का नाम कहां लिखा हुआ है जो आपने पर्ची में लिखकर द्रोपती जी को दिया था। यह माननीय संसदीय सचिव महोदय ने लिखकर दिया था। हम देश की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह संसदीय सचिव, संसदीय कार्य मंत्री से थोड़े ही राय करते हैं। करते हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह खुद ही कुछ भी लिख देते हैं। यह देश के लिए काम करना क्या जानें। असत्य भाषण देना जानते हैं। उसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। जनता को ढुलमुल नीति और ऊंची-नीची घोषणाएं देते हैं। उन पर प्रभावशाली कार्यवाही यह नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े टैंट लगाकर के जश्न मनाना, अगर बड़े-बड़े टैंट लगाने थे तो बड़ी-बड़ी कोई योजनाएं बेरोजगारों के लिए लाते। युवाओं को रोजगार देते। राजस्थान का युवा आज भी आपके रोजगार का इंतजार कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वह सरकार है जिसका कर्म फल के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने कर्म पर बल नहीं देकर के फल की लालसा की है। लेकिन यह सरकार समझ ले गरीबी, बेकारी, भुखमरी, कुपोषण से अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में एक साथ बच्चों की मौत होना, क्या उसका जश्न मनाते हैं यह? उसके लिए कहते हैं कि ईश्वरीय विधान है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ईश्वरीय विधान नहीं है बल्कि यह सारी मौंतों का होना मानवीय अव्यवस्था एवं सरकार के कार्यों की विफलता का परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है। आत्महत्याएं कर रहे हैं। संघर्ष कर रहा है। जन भावनाओं से सरकार छल कर रही है। यह राजस्थान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल ने अपनी तथाकथित योजनाओं को, कोरे नारे, झूठे आश्वासन, जो आशाएं जगाई थीं, वे पूरी नहीं हुईं और हताश जनमानस केवल आत्मनाश की राह पकड़ने को मजबूर हो जाता है। जनता निराश और कष्टों के गडढ़ों में पड़ी है। पीड़ित, शोषित समाज कब अपना ईमान छोड़ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। भूखे और दु:खी इंसानों के सब्र का बांध कब छलक जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की स्थिति को देखकर अदूरदर्शिता का पता चलता है। पिछली कांग्रेस सरकार की जो सुविचारित नीतियां थीं, जनकल्याणकारी जो योजनाएं थीं, उनको समय पर लागू नहीं किया और चार साल के इंतजार के बाद इनकी मजबूरी थी जो अब रिफाइनरी को इन्होंने लागू किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया तो तुरंत क्या किया, राजीव गांधी भवन का नाम बदल दिया, स्कूल, कालेजों के नाम बदल दिए, यह काम तो तुरंत बड़ी तेज गति से किया लेकिन राजस्थान के विकास का काम नहीं किया। नीतियों के लिए सरकार में स्थान नहीं है। सरकार की अनिश्चितता की स्थिति समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं रखा। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता खुद सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है और सरकार में यह भय पैदा कर रही है कि यदि उसने अपनी गलत नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो स्वयं वह अपने आप नया रास्ता चुन लेगी, उसका अभी छोटा-सा पैमाना भी दिखा दिया है।

भामाशाह योजना का गीत बड़े जोर-शोर से गाया जाता है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह कार्ड को लेकर कोई हॉस्पिटल जाएगा, अर्जेंट तो उसको कोई जेब में रखकर घूमेगा नहीं, तो उसको अस्पताल से भेज दिया जाता है कि अभी नेट पर नहीं डला, अभी खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा और इस बजट में जिक्र किया है कि 1715 बीमारियों को कवर किया जाएगा और 1304 हॉस्पिटल जोड़ दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना इसको बढ़ा-चढ़ा कर गाया गया है, मैं खुद उदाहरण देती हूं। मंत्री महोदय कहां गए, यहां हैं नहीं, कृपलानीजी? ...(व्यवधान)... कृपलानीजी। उनको कहा और आपको भी फोन किया मैंने, जलफ कौर थी एक, एक धर्म सिंह था, एक कंवर पाल सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर आदमी चक्कर लगाते रहे भामाशाह को नेट से जुड़वाने के लिए लेकिन वह नेट से नहीं जुड़ा, यह तो मेन सिटी की बात है और चक्कर काट-काट के, काट-काट के, वह आखिर मर ही गया लेकिन आज तक उसको भामाशाह से नहीं जोड़ा गया। कौनसा जिक्र करते हैं ये?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

भामाशाह कार्ड, पता नहीं कौनसा, हल्ला ज्यादा करते हैं, करते कुछ नहीं हैं।

उचित मूल्य की दुकान ले लो, गांव का आदमी, अंगूठे का निशान लगाता है, आएगा नहीं उसमें निशान, फिर जाएगा वह वापस, फिर आएगा वापस, दस-दस दिन तक चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन उसको राशन नहीं मिलता, यह धरातल की बात है, कागजों की बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार के नाम पर रिसर्जेंट राजस्थान, देखिये अभी युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं, वह रास्ते कहां बंद हो गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अभी जो घोषणाएं की हैं उनमें से आधी तो कोर्ट में चली जाएंगी, किसी पर रोक लग जाएगी, कोई पेपर आउट हो जाएगा, पता नहीं कहां खो जाएंगे। चार साल से कौनसा बेरोजगार युवाओं के लिए एमओयू साइन किया? कहां खो गए वह एमओयू, कौनसे कागजों में दब गए, पता नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह हल्ला कर रहे हैं लेकिन युवा भटक रहा है आज भी, रिसर्जेंट राजस्थान, स्किल इंडिया, डवलपमेंट इंडिया, सबके लिए घूम रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का बुरा हाल है। अभी कह रहे थे, यह पथ बना दिए, वह बना दिए। गांवों में अभी भी वही है, इसमें भी दुर्व्यवहार हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तो दी ही नहीं, अभी कह रहे थे कि हमारे माननीय सदस्य महोदय कि आपको इतनी सड़कें मिलेंगी। अभी देखना, आज दिन तक एक भी रेवेन्यु गांव सड़क से नहीं जोड़ा गया है चार साल में पीएमजीएसवाई में मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में। ...(व्यवधान)... एक भी हो तो रिकार्ड में निकाल कर दिखा दो, सफेद झूठ और काला झूठ का अपनी छाती पर हाथ रख कर देख लो। अभी तो सारे के सारे चिल्लाते हैं, पहले तो सारे के सारी बड़ाई करेंगे माननीय सदस्य, यह कर दिया, वह कर दिया, कांग्रेस ने यह नहीं किया और लास्ट में जब उसी मुंह से कहेंगे, हमारा खून जल रहा है, क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे, ऐसे व्यथित होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुबह हो रहा था जैसे। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे अलवर से माननीय सदस्य बैठे हैं, अलवर की हर सड़क वह सीवर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पाइप लाइन के लिए खोद दी, अब दो मीटर भी वह सड़क अच्छी नहीं है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी ठीक करा दूं। ...(व्यवधान)... एक गिलास पानी आपके घर से डालोगे तो दो किलोमीटर जाकर रुकेगा। ऐसी सड़कें हैं। आप यह कह रही हैं इसका मतलब आपको अलवर का ज्ञान नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्य, आए दिन एक्सीडेंट का आंकड़ा उठा कर देख लो सिटी का। सिटी में क्या हाल हो रहा है, जाकर देखो चलकर, सिटी में ऐसी-ऐसी सड़कें हो रही हैं, नाली ऊपर निकल रहा है सीवरेज में।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पता नहीं आपको कौनसी सिटी का ध्यान है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गाड़ियां फंस रही हैं, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर फंस रहे हैं और यह बात कर रहे हैं अलवर की।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): शहर की सड़कें ऐसी हैं कि एक गिलास पानी दो किलोमीटर तक जाता है, आप डालकर देख लेना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके भले की बात कह रही हूं। आप थोड़े दिन पहले ही जनता के पास जाकर आए हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हेम सिंहजी के यहां तो बहुत बढ़िया-बढ़िया सड़कें हैं, आपके यहां खराब क्यों हैं?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गाड़ियां चलेंगी तो सड़कें टूटेंगी भी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर जिला मेरा भी है, उस सड़क पर हम भी चलते हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सारी सड़कें नई बन गईं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं अंदर सिटी की, वहां बहुत बुरा हाल हो रहा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी का गठन कर दीजिए आप। माननीय सदस्य, वास्तव में मिथ्या भाषण कर रही हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। मेरी शहर की सारी सड़कें बन गई हैं या बन रही है। माननीय सदस्य, मिथ्या भाषण करके रोशनी में आने का काम कर रही हैं। कमेटी बनाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। सीवर लाइन में ट्रैक्टर फंस रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, मेरे पास अख़बार की कटिंग है, यह देखो। माननीय सदस्य, देखो, ट्रैक्टर गाड़ियां फंसे हुए हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जानबूझकर फंसाते ही हो तो कोई क्या करेगा? फंसाओगे वहां तो फंसेगी ही तो मैं क्या करूं इसमें?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): टूट रही है सड़कें वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी लग रही है इनको।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्या, आप हेमसिंहजी के क्षेत्र में जाकर सड़कें देखो, आप अलवर जाकर क्यों सड़कें देख रहे हो? हेम सिंहजी के यहां सड़कें बहुत बढ़िया हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सचेतक महोदय, हेम सिंहजी के क्षेत्र की भी देखी हुई है, अलवर जिले का कोई कोना ऐसा नहीं है जो मेरा देखा हुआ न हो। मैं तो सिटी की बात बता रही हूं। सिटी का कितना बुरा हाल हो रहा है, स्मार्ट सिटी आप जिसको बोलते हो, मैं उसका बता रही हूं। जिसकी घोषणा कर दी, तभी तो एक सांड ने एक औरत की आत्मा ऐसे खींच कर सड़क पर पटक दी, ऐसी स्मार्ट सिटी है वह। गिर गई मोटर साइकिल से वह, वह स्मार्ट सिटी है जिसमें रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वास्तव में मिथ्या भाषण..., मैं आपको बताता हूं, अभी शनिवार को नगर परिषद, अलवर की एक बैठक थी, रिकार्ड पर है यह, सुन लें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा क्या है, आप बोले तब, क्यों नहीं बोलें?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप अपनी बात कहिए न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप अपनी बात कहिए न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हम तो आपकी बात ही नहीं कर रहे कि आपके बानसूर में यह हो रहा है। आपके सड़क नहीं है, नाली नहीं है। आप चार साल में फेल विधायक हो वहां, हम तो बात ही नहीं कर रहे। आप अपनी करो न माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सरकार तो फेल है, है ही नहीं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी मात्र चार दिन पहले अलवर की नगर परिषद की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस के सांसद ने यह कहा ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कानून में छिद्र है, शासन में भ्रष्टाचार है, छह महीने रह गए, राजस्थान का बंटाधार है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इनको बता देंगे अभी।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, अब बीच में टोकाटाकी नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): घोषणा कर दी आलनपुर से बानसूर, मंत्री महोदय, यह नहीं है। बानसूर से नारायणपुर तक की, आज तक वह नहीं बनी सड़क। मिसिंग लिंक में घोषणाएं कर रहे हैं, आडीगैली से घड़ी सड़क तक, वह भी नहीं बनी। तो यह कब बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिरी साल में ये घोषणाएं कर रहे हैं, वह भी बनेगी या नहीं बनेगी, वह भी हम लोगों को ही बनानी पड़ेगी। लग रहा है ऐसा। सारी पुलियाएं टूटी पड़ी हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है कभी भी। मेरे यहां खारी का बास, बिसालू, चांदपुरी की पुलिया टूटी हुई है, जो गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें थीं, रघुनाथपुरा से गुवाड़ा तक, भभेड़ी, भगूका बास, सामोता से नारायणपुर तक, सारी सड़कों की बुरी हालत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षा, कानून की बात करते हैं। महिला सुरक्षा, आए दिन, दिन-दहाड़े अपहरण हो रहे हैं और फिर माननीय सदस्य कहेंगे वही अलवर, दिन-दहाड़े दुकानों में घुस कर मार रहे हैं। गोली मार रहे हैं, लूटपाट हो रही है, आए दिन महिलाएं की चेन स्नेचिंग हो रही है, अगर गिने तो गिनते ही रह जाओ दूसरे दिन तक।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चाहे पेंशन योजना हो, इसकी पेंशन उसके खाते में जा रही है और उसकी पेंशन इसके खाते में जा रही है। चक्कर लगा रहे हैं, ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन नहीं और किसानों के ऋण की बात हो रही थी। कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया?

(17.00 बजे)

आपने तो थोड़ा-सा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर..., उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 50 हजार रुपये तक का कर्जा और उसको भी लघु एवं सीमांत तक सीमित कर दिया है। दूसरी बैंकों का नहीं। अगर दम ही था, कांग्रेस पार्टी की बात करते हो तो हमारी मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो उसने पूरा कर्जा माफ किया था। वो दम रखती थी। अगर दम है तो ऐसा कर्जा माफ करके दिखाएं तो जानें हम सरकार को। इतना कलेजा ही नहीं है। थोड़ा-सा करके, देखो साहब, हमने माफ कर दिया। बारी-बारी लूटने के लिए उपाध्यक्ष महोदय। इनमें इतना दम नहीं है।

वन क्षेत्र में किसानों की क्या हालत है। जो वन क्षेत्र से जुड़े हुए गांव है, वे क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं उठा सकते। वे शौचालय नहीं बना सकते, वहां पर मकान नहीं बना सकते, वहां पर रास्ता नहीं बना सकते। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी झूठी आडिट कर दी और पैसा-वैसा पता नहीं कहां है, मिला ही नहीं है उन गांव वालों को। जो वन क्षेत्र से लगते हुए गांव हैं, उनकी पूरी फसल जंगली पशु चौपट कर जाते हैं। अगर वो रात को नींद की एक पलक भी झपक लें तो उनकी पूरी फसल चौपट हो जाती है। उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। किसान इतना त्रस्त है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो रसूखदार लोग हैं, वो कोर एरिया में बड़े-बड़े होटल और रास्ते बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वो कौन-से कानून के तहत बना रहे हैं? उनको बिजली कनेक्शन भी मिल रहा है और हमारे जो गांव वन क्षेत्र से लगते हुए हैं, उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं, उनको रास्ते नहीं दिए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडंबना है, यह ऐसी सरकार है। कोई सुनने वाला नहीं है।

पशुपालन के लिए टीकाकरण की...और इतनी सारी इसके अंदर दे दी, लेकिन अभी भी पशुओं में इतनी बीमारी फैल रही है। फ्री में कैंप लगाएंगे।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

विधान सभा क्षेत्र वाइज कैंप लगाएंगे। कोई टीकाकरण, कोई कैंप कहीं नहीं लग रहे हैं। जो पशुओं में बीमारियां हैं भूरियावास, बामणवास, किशोरपुरा, मोठूका, फतेहपुर, चतरपुरा, गूंथासापुर, माछी, मीरापुर, इतने पशु। एक-एक घर से दो-दो, तीन-तीन पशुओं की मौत हो गई, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात की जाती है। इतने किले और मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक जगह हैं, उन्हें तो लीज पर देने की बात हो रही है। चाहे खासाकोठी हो, जो महाराजा सवाई रामसिंह जी ने बनाई। इस तरीके से जो हमारी प्राचीनकाल की सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन्हें पीपीपी मॉडल पर किराए पर दे रहे हैं। पता नहीं सरकार बेच रही है या क्या करने जा रही है। एक तरफ कह रही है कि हम उनके जीर्णोद्धार का संरक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा और किनको दे रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं राजस्थान की संस्कृति को? भारतीय संस्कृति को बेचने का बीड़ा सरकार क्यों उठा रही है? यह समझ में नहीं आ रहा। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए।

पानी के लिए जल स्वावलंबन और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं दिन-पर-दिन। हमारे पैसे काट लिए 25-25 लाख रुपए, लेकिन एक भी बांध चार वर्षों के अंदर जल स्वावलंबन, जल संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया। मैंने विधान सभा में यह प्रश्न उठाया। भीरपुर में, रामपुर में, भाकरवाला, गुडा, हरसोरा, बाबरिया, बामणवास, कांकड़, छींड, खरखड़ी, घडी, मुंडावरा, लोज, जो इतने बड़े-बड़े बांध हैं, अगर उन्हीं को बना दिया जाये तो पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। न कोई पाइपलाइन की योजनाएं हैं। जो बड़ी-बड़ी मेरी पंचायतें हैं, मुंडावरा है, घडी है, रामपुर है, बालावास है, भूताशाहपुर है, बबेरा है, विजयपुरा, बबेड़ी, देवसन, लोयती ऐसे जो 4 हजार-5 हजार की जनसंख्या वाले बड़े-बड़े गांव हैं, नियम तो बना दिए, लेकिन आज तक कहीं पर भी नलकूप और पाइपलाइन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जबकि अगर ये करना ही चाहते हैं तो मनरेगा में 5-5 घरों का सोखता हुआ गड्ढा बनाएं तो गांव की कीचड़ से भी निजात पा सकते हैं और पानी की व्यवस्था भी दूर हो जाएगी।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना और कनेक्शन, अभी तक चार साल में तो कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। एक ट्रांसफार्मर फुंक गया तो चक्कर लगाते रहो। आते रहो। महीने तक उसकी फसल सूख जाएगी, उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। रोता रहेगा। पहले ट्रांसफार्मर मिलेगा, फिर तार लेने के लिए, खंभे लेने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। 6-6 महीने लग जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी कमी, अगर किसी व्यक्ति को डिमाण्ड जमा कराने का नोटिस नहीं मिला तो वह व्यक्ति इतनी बड़ी सज़ा भुगतता है कि उसको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। उसको सारे कनेक्शनों के बाद में कनेक्शन दिया जाता है। यह सज़ा उसे किस बात की दी जाती है। इस तरीके की व्यवस्था बिलकुल बेकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आए दिन ट्रांसफार्मर फटने की घटनाएं हो रही हैं, डायरेक्ट 11 हजार और 33 केवी की लाइन से ट्रांसफार्मर्स को जोड़ा जा रहा है, उसमें से जो फ्यूज हटा रहे हैं, उससे आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। इतनी निरंकुश, निष्ठुर, निर्दयी सरकार है यह। अभी खातोलाई में 15-20 लोग मर गए। उनको सिर्फ मुआवजा देकर बरी कर दिया गया। परिवार के परिवार खतम हो गए। इतनी दर्दनाक मृत्यु है। यह सरकार क्या इस तरह से राजस्थान की जनता को मारना चाहती है? उपाध्यक्ष महोदय, इसे बदला जाए। दुबारा से फ्यूज उसमें लगाया जाना चाहिए और जीएसएस से जो ट्रांसफार्मर गांव वालों को कहते हैं कि यह चोरी का है, वह कहां से आया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी-सी देर और। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा और बोल लें, नंदी गाय और ये जो इनका.....।

एक और गांव वालों को समस्या आ रही है, एनसीआर वाली जो बात कर रहे थे, एनसीआर ने जो गांव का आदमी गांव में रह रहा है, वह अपना पट्टा लेने जाता है तो उसे यह कहा जाता है कि 2040 में, 2050 और 2060 में आपके गांव में यहां एक ग्रीन बैल्ट बनाई जाएगी। यहां एक बड़ा विद्यालय खोला जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा प्लांट है? उस बेचारे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

व्यक्ति को खुद की खातेदारी के खेत का खुद को मकान बनाने का पट्टा नहीं मिल रहा है, यह कौनसी योजना है? गांव वाले परेशान हो रहे हैं।

जो जन सहयोग से गौशाला की अभी बात कर रहे थे कि इतना हम फंड दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जन सहयोग से जो गौशालाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलाई जा रही हैं, अगर सरकार की मंशा गायों के प्रति सही है, ढिंढोरा पीटते हो कि कांग्रेस नहीं करती है, अगर आप करना चाहते हो तो उन सभी गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन तहसील स्तर पर होना चाहिए। वो चक्कर कटा रहे हैं और सारी गायें चारे के अभाव में मर रही हैं। इनको दो ना देना ही है अगर आपको मुआवजा। इनको दो आप पैसा। क्यों नहीं दे रहे हो इन गौशालाओं को? रजिस्ट्रेशन के लिए जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक गौचर, सिवायचक, नदी-नाले, तालाब, गैर-मुमकिन पहाड़ आदि जमीनों में जो बीच में से जाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों का पट्टा तहसीलदार और एसडीएम दें। सरकार यह निर्देशित करे, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। गांव के गांव के आज रास्ते बंद पड़े हैं। आने-जाने में परेशानी होती है और ऐसी जगहों पर, जैसे- सिवायचक, नदी-नाले, तालाब, गैर-मुमकिन नालों में जो श्मशान घाट बने हुए हैं, उनके पट्टे दिए जाने चाहिए। मनरेगा से बने उनके रास्तों के पट्टे दिए जाने चाहिए, जिससे गांव वालों को राहत मिल सके।

स्वास्थ्य और शिक्षा में हमने कॉलेज मांगे, इन्होंने दिए नहीं। देवनारायण योजना में कुछ किया नहीं। कहते हैं तो पिछली योजनाओं को गिना देते हैं। विषय अध्यापक लगाए नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, जैसे इंद्राणा में आज तक लगा नहीं है। बिल्डिंग बनाकर एक खोखा-सा खड़ा कर दिया आपने और वहां पर कोई नर्स भी नहीं लगी। पीएचसी, सीएचसी में आज तक एक महिला चिकित्सक नहीं लगाई। मंत्री महोदय ने पिछली बार बोला था, डेढ़ महीने के अंदर लगा दूंगा। सदन के अंदर बोला था। डेढ़ महीने में, आज एक साल हो गया, एक भी महिला चिकित्सक नहीं लगी है। यह बड़ी शर्म की बात है। अलवर का ईएसआई हॉस्पिटल हो, मेडिकल कालेज हो, मिनी सचिवालय हो, कोई जिक्र बजट के अंदर नहीं किया गया

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
है। रोजगार के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। निजी कंपनियों के लिए नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की बात करते हैं। अगर पर्यावरण को बचाना ही चाहते हैं तो पोलीथिन, प्लास्टिक पर रोक लगाई जाए तो यह सबसे बड़ा काम होगा राजस्थान के लिए। स्वच्छ भारत की तो क्या बात करें अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज वाली बात बताओ ना, आज वाली बात।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अखबारों में छप रहे हैं, सरकार के सदस्य, प्रतिनिधियों के बारे में ही छप रहा है तो उसका तो मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी। सिर्फ घोषणा करके काम को नहीं करें, यह कांग्रेस की फितरत में नहीं है। झूठे वादे, घोषणा करके कामों को नहीं करें, यह वर्तमान सरकार की फितरत में है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो छा गए आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का जो बना रहे हैं, नगरपालिका क्षेत्र में बना रहे हैं। अगर हिम्मत है तो हर तहसील में बनाओ ना। हमने राजीव गांधी भवन हर ग्राम पंचायत में बनाया तो हमारे वहां भी बनाएं, तब तो जानें। नगरपालिका क्षेत्र में बनाकर क्या करेंगे आप।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट स्वतंत्रता सेनानियों का रह गया। मैंने पिछली बार भी उठाया था कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जमीन आज तक आबंटित नहीं हुई है और जमीन आबंटित कर दी गई तो ऐसी जगह पर कर दी गई जहां फोरेस्ट विभाग है और वो उनसे 10 से 20 लाख तक रुपये मांगता है। मैंने पहले उनके नाम से बोला था कि सरोज पत्नी जगदीश, उसको नहीं मिली। उदमीराम जी, जो आजाद हिन्द फौज में थे, उनके परिवार को भी आज तक एक बीघा भी जमीन नहीं मिली है। यह बड़ी शर्म की बात है और कह रहे थे कि सैनिकों के लिए हमने यह कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया सैनिकों के लिए। अपने दर्द बयां करते हैं ये खुद ही।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नारायणपुर उप तहसील को तहसील बनाये जाने की मैंने मांग रखी है, बानसूर को नगरपालिका बनाने की मांग रखी। वो मापदण्ड पूरे करते हैं और आप कहते हो कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। कौनसा भेदभाव नहीं करते हो? आप सारा भेदभाव करते हो, सरकार की मन्शा ठीक नहीं है, सरकार काम नहीं करना चाहती है।

स्वच्छ भारत कहते हैं, स्वच्छ भारत का नारा लगा देते हैं लेकिन स्वच्छ भारत का कोई काम ये नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रियों ने घोषणा की थी आजाद हिन्द फौज के लिए, पीएचसी की घोषणा भी मंत्रीजी, असत्य हो गई। बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके की ये घोषणाएं कर देते हैं तो इस तरीके की बात यहां नहीं होनी चाहिए। अपने आपमें ये बड़े बनते हैं कि हम बड़े हैं - 'आजाद भारत में आई जिनकी आजादी लाशों पर पग धरकर, आजाद भारत में आई, इन्सान जहां बेचा जाता है, ईमान जहां खरीदा जाता है, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्राचीन धरोहर हो उसे पी.पी.पी. मॉडल पर धरा जाता है, वो वर्तमान सरकार है, वो वर्तमान सरकार है।' धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से +++ फोटो लेने और +++

श्री उपाध्यक्ष: दिस इज नॉट पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन का स्कॉप क्या होता है, आप विराज जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य का पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन की परिभाषा में इनका अभिव्यक्त किया हुआ विचार नहीं आता इसलिए वो अपलिखित कर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: इसको आप और किसी नियम से ले आइये न, मैं अलाउ कर दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: इसीलिए मुझे बाध्य होना पड़ा इसको अंकित नहीं कराने के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डोटासरा जी, क्या कर दिया इन्होंने? आखिर क्या किया है ऐसा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो काम इन्होंने किया वो आप नहीं करते? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय को यह काम उनकी गाड़ी में कर लेना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह तय कर लीजिये कि किस प्रकार के विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं। बजट पर करना चाहते हैं या अन्य भिन्न-भिन्न प्रकार के विषय पर करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ बजट पर, सिर्फ बजट पर।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी-अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं न, ये कहीं और करना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यस, यह प्रताड़ित किया है आपने, अच्छा किया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप और आपके बाद में एक व्यक्ति और हैं। इसलिए जितना आपने समय बढ़ाया है, अगर उतने समय में ये अपनी-अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाये तो दोनों को सूचियों

(श्री उपाध्यक्ष:)

तक बोलने की अनुमति है। सदन क्या इससे इत्तेफाक रखता है? सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय उस वक्त तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में बोलने का मौका प्रदान किया। मैं सबसे पहले तो यह जिक्र करना चाहूंगा कि 'खोटे सिक्के चले नहीं बाजार में, खोटे सिक्के चले नहीं बाजार में, वो कमियां ढूंढ रहे हमारे किरदार में।' उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये अन्तिम वक्ता नहीं जा सकते जब तक कि नया वक्ता हमारा बोल रहा है। ये जा नहीं सकते, यह प्रक्रिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये आपके रहते निर्देश नहीं दे सकते।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, यह प्रक्रिया है, परम्परा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए उप मुख्य सचेतक निर्देश नहीं दे सकते।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है कि जो वक्ता बोलकर जा रहा है, जब तक नया वक्ता उसका जवाब नहीं दे, उसको सुनना चाहिए यहां सदन में रहकर। यह परम्परा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): परम्परा यह भी है कि घनश्याम जी तिवाड़ी, माननीय सदस्य को भी बुलाना चाहिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे इस बजट के मौजूं पर बोलने की शुरुआत की लेकिन मुझे बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने बजट तकरीर का जब आगाज किया तभी हमारे प्रतिपक्ष के

(श्री तरुण राय कागा)

नेताओं ने, पता नहीं इनको क्या मालूम था कि क्या-क्या इस पिटारे में है, क्या-क्या आम-अवाम के भले, बहबूदी और तरक्की के लिए है लेकिन ये हमारे साथी, हमारे हर दिल अजीज दोस्त, इनको यह पता नहीं कि 60-70 साल के तारीख मंजर में इस तरह का बजट शायद पहली मर्तबा ही आया है। मैं इस बजट का मेरी दिल की अमिट गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा और मैं इसका इस्तकबाल करूंगा कि इससे मौजूं, मुफीद और नुमाया बजट भी है जिसमें हर तबके को जिस तरह से छुआ गया है वह एक लाजवाब है। यह हमारी आम-अवाम कौम के लिए एक मील का पत्थर है। जब से हम गांवों में गये हैं और इस बजट के बारे में लोगों के खयालात मालूम किये तो लोगों ने बहुत ही इस बजट को सराहा। हां, हमारे हरदिल अजीज दोस्त जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको यह नहीं पच रहा है। पचेगा भी नहीं क्योंकि वो कहां गये थे। मैं एक आपसे बात करूं कि हमारे दलित समुदाय को आपने 60 साल से ठगा, छला लेकिन कभी आपने 1980 के बाद राजस्थान वित्त निगम के लोन का ब्याज भी माफ किया? आज हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 1980 के बाद जितने भी रहन, ब्याज सहित माफ करके एक इतिहास रचा है।

मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि यह अच्छा बजट है या खराब बजट है? इसका जवाब दे दो। पैसा माफ कर दिया, खराब है? दलित समाजों को फायदा दे दिया, खराब है तो आप क्या चाहते हो? उनको गला घोंटकर मारना चाहते हो? हां, आज हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने दलित समुदाय की भावनाओं की कद्र करते हुए अगर नगरपालिका मुख्यालय पर 80 करोड़ रुपये का बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन, जो हमारे संविधान का निर्माता था, उसके लिए हमेशा दुहाई दे-देकर बातें करते हो, वह एक 80 करोड़ रुपये की तामीरात होगी, क्या यह खराब बजट है? (व्यवधान) यह खराब बजट है?

हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जोकि पश्चिमी सीमावर्ती इलाके के सरहदी पाकिस्तान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा, जो बोर्डर है और जो हमारा सैनिक सुरक्षा का काम करता है, वहां रेलवे लाइन जो मूंदड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर को पार करती हुई कांडला बंदरगाह तक जाकर हमको एक लाइफ लाइन देती है, यह खराब बजट है? अच्छा नहीं है, हमारे बोर्डर के लोगों के लिए अच्छा

(श्री तरुण राय कागा)

नहीं है? खराब है? यह बहुत खराब किया है मैंने, बराबर खराब किया है। लेकिन बंधुओं, दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह से हमारी खिलाफत करो बिलकुल, करो, लेकिन तथ्यों के आधार पर करो। जिस तरह से हमारे हर विधान सभा को भी नहीं छोड़ा, हर विधान सभा में 15 किलोमीटर तक सड़क देकर आपको जो नवाजा है, इसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं, इम्तियाज नहीं, यह क्या खराब बजट है? इस तरह से सैकिण्ड फेज हमारा पीएमजीवाई सड़कें दीं, उसके लिए यह खराब बजट है? आपके और हमारे सबके लिए 100-100 हैण्ड पम्प दे दिये, यह खराब बजट है? हमारे इलाकों में जो खारा पानी फ्लोराइडयुक्त होता है, लोग कुबड़े हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, काला जिस्म हो जाता है, उनके लिए आर.ओ. प्लांट बनाकर हमको नवाजा गया है, क्या यह खराब बजट है? यह खराब बजट है? ऐसे तो कहते हो कि यह खराब बजट है। "गुलशन को तो हर कोई सजाता है, हमने वीराने भी सजाये हैं...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई जवाब है आपके पास?

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ..गैरों की खातिर हमने अपने घर भी जलाये हैं" आप कहते हो, खराब बजट है। हमारे वाहनों का, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन आनलाइन और लैटरलैस किया है, यह भी खराब बजट है? घरेलू कनेक्शन की बिजली की हाय तौबा, अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि दो घंटा ही बिजली नहीं मिलती है। यह कृषि कनेक्शन नहीं है। उनके लिए भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घरेलू कनेक्शन के और कृषि कनेक्शन के जो जनवरी, 2012 तक फार्म हैं, उसके लिए घोषणा कर दी, यह भी खराब बजट है? कुछ तो सोचो, भले के लिए सोचो, हमारे राजस्थान की आम जनता की बहबूदी की बात करो। आपके घर का काम तो नहीं है, आपने किया होगा तो पता नहीं, हमारी बीजेपी सरकार व्यक्तिगत कामों में रुचि कम रखती है।

हमारे बेरोजगार नौजवान, युवा वर्ग जिनके लिए भी नर्सिंग मेडिकल भी हो या पटवारी हो, दूसरे शिक्षाकर्मी हो, कई भर्तियां करने का जो ऐलान किया है, वह बहुत ही बेमिसाल है। वह भी खराब बजट है? दुहाइयां देते हैं, नौजवान लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर आप भी हैं लेकिन यह बजट

(श्री तरुण राय कागा)

जो दिया है, बिलकुल लाजवाब बजट दिया है। जहां जिस तरह से कालेज खोलकर, सब कौम को सौगात में तोहफा भी दिया है। यह हमारे लिए एक मील का पत्थर है। हमारे लिए एक स्वाभिमान, इज्जत और ज़मीर की बात है। यह हमारे जो दोस्त, हरदिल अजीज कहते हैं कि यह खराब बजट है। अब हम कहें कि आपके लिए अच्छा बजट कौनसा है, वह तो बताओ। आपके पास न तो विजन है, न कोई सलाह है।

जिस तरह से कहते हैं कि हमारी इस कर्ज माफी के लिए आपको कहा, आपको उसकी समस्या बताने के लिए कहा, आकर अपने सुझाव दो लेकिन आप तो किसानों के हमदर्द भाग गये। वह भी हमने किसानों के भले के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए लोन, ऋण जो 50,000 रुपये का माफ किया, आपने पांच रुपये भी नहीं किये। यह भी खराब बजट है? कुछ तो भाई करो। अगर इस तरह से करके सिर्फ नुक्ताचीनी और टीका-टिप्पणी करोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं हालांकि उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों की फरमानगी की बिलकुल कद्र करूंगा, मैं मुख्तसर अपना तकरीर करूंगा लेकिन कई बातें करने की है और हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय का इजाफा किया है। मैं इनके साथ लास्ट में, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, उनको कहूंगा, हमारे जो कुक हैल्पर हैं, वह अशिक्षित हैं, वह हमेशा हर रोज हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके खाने के बारे में काम करते हैं, उनके लिए भी एक मौका थोड़ा देते या कुछ करते, करना भी चाहिए तो यह होता तो यह हमारे लिए सोने में सुहागा हो जाता। यह भी एक अच्छी बात है।

उसके अलावा हमारे गांव में सरकार के संसाधनों की शायद कमी होगी, जनता जल योजना है। जनता जल योजना में कुछ कर्मी हमारे यहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम कर रहे हैं। बीच में हमारे मंत्री महोदय ने उनको मानदेय देने के लिए घोषणा की। उससे लोगों को फायदा भी हुआ। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उनका भी मानदेय बढ़ाकर, उनको भी लाभान्वित किया जाये तो मैं चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा, सोने की अंगूठी में नग की तरह हमको मिलेगा।

(श्री तरुण राय कागा)

हां, मैं कह रहा हूं, पीएचसी बढ़ाने की है, सीएचसी खोलने की है, लेकिन मैं कहूंगा, एक हमारे पंचायत सहायक या विद्यार्थी मित्रों का मुद्दा आता है। मैं विद्यार्थी मित्रों की भी पैरवी करना चाहूंगा कि उनको भी इस तरह से लाभान्वित करके, उनकी जो जायज मांगें हैं, उनको करके, सदन के माध्यम से उनको भी लाभ दिये जायें तो यह बेहतर रहेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहकर, मैं अपने बाड़मेर जिले की एक बात करूंगा। बाड़मेर जिले की यह बात करूंगा कि हमारे बोर्डर इलाके में जो सीमावर्ती इलाका है, बाड़मेर जिला एक बहुत बड़ा जिला है। हमारा बाड़मेर और जैसलमेर तो एशिया में संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है पर बाड़मेर जिले का भू-भाग इतना बड़ा है कि वह यहां से पाकिस्तान से जुड़े हुए या कच्छ के रण से जुड़े हुए हैं या जालौर जिले से जुड़े हुए हैं, सिरोही से जुड़े हुए हैं या शेरगढ़ और जैसलमेर से जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत बड़ा भू-भाग है और इस तरह से हमारे प्रशासनिक इंतजाम के लिहाज से भी बहुत एक जटिल समस्या है। मैं 30-35 साल से सुनता आ रहा हूं। यह एक किस्म से इसका विकेन्द्रीकरण करके, अगर बालोतरा जिला बनाया जाए तो मैं तो कहूंगा कि यह काम बहुत बड़ा होगा। इन शब्दों के साथ मैं सबसे माफी चाहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतमलाल।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो यह बजट पेश किया है, यह शानदार बजट है और इस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, आपका आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्ग के लिए यह शानदार बजट पेश किया है। युवाओं के लिए और किसानों के लिए और सभी वर्गों के लोगों के लिए बजट पेश किया है। वैसे बजट तो पिछले साल भी पेश किये थे, उनमें भी बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और इसमें भी बहुत सारी घोषणा की है। पिछले 60 साल में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और खासकर मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के माध्यम से जो विकास के काम हुए हैं वे हमारे क्षेत्र में नदियां भी हैं और वन भी है, उनमें कोई आज जाकर देखे तो सभी एनीकट, तालाब फॉरवाटर स्कीम के

(श्री गोतमलाल)

तहत भी बहुत सारे एनीकट, तालाब बने हैं उनमें आज भी पानी भरा हुआ है। इस बजट में युवाओं की भर्ती की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने की है। शिक्षा विभाग में 77 हजार 100 भर्तियों की घोषणा की है, गृह विभाग में भी 5718, प्रशासनिक सुधार विभाग में भी 11930, स्वास्थ्य विभाग में भी 6571 की भर्ती करने का काम किया है। साथ ही 2 हजार पटवारियों की भर्ती, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पटवारी के बिना काम अटक जाता है, तो यह पटवारियों की भर्ती के लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभार करता हूं। स्वास्थ्य विभाग में भी 6 हजार से ज्यादा भर्ती करने की माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। कुल मिलाकर 1 लाख 8 हजार पदों के लिए भर्तियों की घोषणा की है। यह बहुत महत्वपूर्ण माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर्जा माफ करने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ सबसे ज्यादा उदयपुर संभागीय टी.एस.पी एरिया में और सभी गरीब काश्तकारों को मिलेगा और उनमें खुशी की लहर भी है। इस प्रकार का यह कर्जा माफ करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह लगान माफ करने की घोषणा की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक साथ ही लगान माफ करने की घोषणा हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति महामहिम माननीय शेखावत साहब ने, जो वर्षा के आधार पर खेती होती है, उसका लगान माफ करने का काम किया था। उसके बाद में आज माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में लिया है।

कांग्रेस के राज में पटवारी अगर लगान वसूल करते हैं, गरीब काश्तकार पैसा नहीं देता तो उसको पटवार मण्डल में ले जाकर खड़ा करता, पूरे दिन उसको बिठाकर रखता, यह कांग्रेस के राज में होता था। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदया ने यह लगान माफ किया। इसके अलावा भी एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. द्वारा सन् 1980-81 में जो सहकारी बैंक, निगम से ऋण लिये, 2 लाख रुपये तक ऋण माफी की घोषणा की है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। भूमि विकास दर में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 10 परसेन्ट की घोषणा की है, भूखण्ड के मूल्यांकन पर भी 5 परसेंट अतिरिक्त रियायत की घोषणा की है।

(श्री गोतमलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। साथ ही जनजातीय क्षेत्र में सोलर लैम्प दिये जाने की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

1 हजार नये मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की जो घोषणा की है, यह महत्वपूर्ण हमारे लिए घोषणा है। इससे 30 हजार बच्चे, जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, जो विद्यालय से दूर रहते हैं, इन 30 हजार बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। उस मां-बाड़ी केन्द्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मां ही वहां पर खाना, रोटेशन के आधार पर, वो मां वहां पर खाना बनाती है। बहुत अच्छा खाना मिलता है और वे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं।

जनजाति क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण की योजना की घोषणा की है। हमारे क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 आई.टी.आई. खोली हैं पंचायत समिति में। पिछले 60 वर्षों में जिस प्रकार से विकास का काम हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में पिछले 60 साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा नहरों के सुदृढ़ीकरण, एनीकट, बांध के काम हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी प्रधान मंत्री सड़क योजना में 100 से भी ज्यादा, हमारे वहां सड़क बनाने का काम किया है और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में ताले लग जाते थे, सड़कों पर बच्चे जाम कर देते थे और पूरे पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल के साथ-साथ वहां पर प्रधानाचार्य लगाने का काम किया है, विषय विशेषज्ञ लगाने का काम किया है। पूरे इस दो साल में लगातार कहीं पर भी कोई ताला लगने की शिकायत अब तक नहीं आई है। गौरव पथ के मामले में, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों के ताला लगाने की कह रहे हो, मीडिया की स्वतंत्रता पर ताला लगा रही है आपकी सरकार, चिकित्सा मंत्रीजी ने अभी आदेश निकाला है।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आपका झूठ बोलने का काम है, आप करते रहो, उसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

(श्री गोतमलाल)

राशन डीलरों की एक हजार नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने की घोषणा की है। यह घोषणा जो हमारे वहां के उपभोक्ता हैं, उनको दूर-दूर नहीं जाना पड़ेगा। जहां भी पास में गांव के वहां, यह राशन डीलरों की दुकान खोलने का भी काम किया है और साथ ही राशन डीलरों के लिए, उनका कमीशन बढ़ाने की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत, उसके बाद में नई पंचायत और पंचायत समिति का पुनर्गठन का काम 1994-95 के बाद में, पहली बार हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने और उस समय पंचायती राज मंत्री आदरणीय भाई साहब गुलाब जी कटारिया साहब थे गृह मंत्री महोदय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक पंचायत समिति और पंचायतों को किया, तो ग्रामीण विकास का यह एक नया काम माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी ने किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तक के इतिहास में सबसे कम पन्नों का बजट था। अब कुछ है ही नहीं तो पढ़ोगे क्या, अब समय समाप्त हो गया।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आपने क्या किया? साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी मानदेय बढ़ाया, सभी के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा, साथ में उनके साथ जो सहयोगी जायेगा उनके लिए 50 प्रतिशत की रियायत की घोषणा।

प्रत्येक जिले में नन्दी गौशाला खोलने की घोषणा, साथ ही 50 लाख रुपये की भी घोषणा की है। गायों के साथ-साथ में भी नन्दी की भी यह घोषणा की है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा की है, यह आप तो कभी करते नहीं हो, अम्बेडकर के नाम से खाली बात ही करते रहते हो। शेष रही ग्राम पंचायतों में गौरव पथ निर्माण की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और साथ ही मिसिंग सड़कों का भी किया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर जो सड़क की घोषणा की है, इसमें गांव को जोड़ने का काम भी हो जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दे रहा हूं, मैं ज्यादा वैसे बोलता नहीं हूं।

(श्री गोतमलाल)

हर विधान सभा क्षेत्र में 100 हैण्डपम्प लगाने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने साथ ही 7 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से 100 से भी ज्यादा गांव व ढाणी विद्युतीकृत करके, 10 हजार के लगभग घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं और ये जो अभी 7 लाख नये घरेलू कनेक्शन की घोषणा की है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को, देश आजाद होने के बाद में पहली बार लाइट देखने का काम लोग करेंगे। दो लाख कृषि कनेक्शन देने की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। मेरे विधान सभा में इससे पहले भी 7 वर्षों में कम से कम 1000 से भी ज्यादा कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 28 पी.एच.सी. खोले जाने की घोषणा व 16 पी.एच.सी. को भी क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। साथ ही, उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय में विधिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की है, इससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में भी नवीन डायलिसिस मशीन लगाने की माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है, इसलिए उनका बहुत-बहुत आभार।

हमारे मानगढ़ धाम के लिए सात करोड़ रुपये की घोषणा की है जिससे वहां जनजातीय क्षेत्र के गोविन्द गुरु के भक्त लोग वहां जाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जिन जिलों में शहीद स्मारक नहीं हैं वहां पर भी शहीद स्मारक बनाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। यह बहुत अच्छा काम किया है और साथ ही व्यापारियों का भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। व्यापारियों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की घोषणा की है जिससे व्यापारियों की समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण होगा। उससे संबंधित सभी कानून और नियमों का सरलीकरण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटड़ा, सलूम्बर और गोगुन्दा में नयी वन उपज मंडी खोलने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। वन क्षेत्र में फुवाड़िया वगैरह जो मार्केट में दस-बारह रुपये किलो बिकता है वह साठ रुपये किलो इसमें खरीद होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये जो बजट पेश किया है यह बहुत शानदार बजट है। ...(व्यवधान)... मैं समाप्त कर रहा हूं।

(श्री गोतमलाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों की घोषणा की है और नगरपालिका क्षेत्र में जिस प्रकार से पांच रुपये में नाश्ता और आठ रुपये में खाना देने का काम किया जा रहा है, गरीब लोगों को जिस प्रकार दे रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद में भी, जो प्रतापगढ़ जिले का बहुत बड़ा कस्बा है, जनता की मांग है कि वहां एक नगरपालिका आपके माध्यम से, जनता की मांग है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से शानदार और दमदार बजट पेश किया है इसकी जितनी भी प्रशंसा करें, कम है। विपक्ष का काम है वो ये करेंगे और ये जो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए यहां धरना देते हैं वो सब मामला खतम। अब किसान भी खुश हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ...(व्यवधान)...सारे जाएंगे आने वाले चुनाव में तो। जो गये, वो गये। आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.43 बजे गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजकीय महाविद्यालय मालपुरा (टोंक) में रिक्त पद

107. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय महाविद्यालय में काफी समय से व्याख्याताओं, पी.टी.आई. व अन्य कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने पद विषयवार, पदवार रिक्त हैं? उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं, पी.टी.आई. व अन्य कार्मिकों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में संचालित संनिर्माण श्रमिक पंजीयन योजना

108. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संनिर्माण श्रमिक पंजीयन योजना संचालित है? यदि हां, तो उक्त योजना के लिए क्या पात्रता निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में पंजीयन के बाद लाभार्थी को सहायता दी गई है? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 2017 तक चौमूं विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना से कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में पंजीकृत लाभार्थी को 'शुभ लक्ष्मी' योजना में 55000/- रुपये की राशि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लड़की के खाते में जमा किये जाते हैं? यदि हां तो वर्ष 2014 से 2018 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र की कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। "संनिर्माण श्रमिक पंजीयन योजना" नाम से कोई योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित नहीं की जाती है। निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा-12 के अनुसार अवश्य किया जाता है। मण्डल द्वारा संचालित 8 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु योजनाओं के प्रावधानों में शर्तों एवं पात्रता का उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट"1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मण्डल द्वारा विधान सभावार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। चौमूं शहर व गोविन्दगढ पंचायत समिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओं से उपरोक्तानुसार पंजीकृत 1268 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी हां। मण्डल की 'शुभशक्ति योजना' दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई थी। इस योजना में आवेदन किये जाने पर पात्र अभ्यर्थियों को राशि स्वीकृत की जाती है। अत: वर्ष 2014 से 31.12.2015 तक लाभान्वित श्रमिकों की संख्या शून्य है। दिनांक 01.01.2016 से दिसम्बर, 2017 तक चौमूं शहर एवं गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में अब तक 188 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली में ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

109. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में प्रदेश में व विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने 132 के.वी. व अन्य विद्युत ग्रिड सब स्टेशनों की

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

स्वीकृति जारी कर निर्माण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में 8-10, 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनका निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 4 वर्षों में 765 के.वी., 400 के.वी., 220 के.वी. एवं 132 के.वी. के स्वीकृत एवं निर्मित ग्रिड सब स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है। 33 के.वी. के स्वीकृत एवं निर्मित सबस्टेशनों का निगमवार विवरण परिशिष्ट 'स', 'द' व 'य' पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 765 के.वी., 400 के.वी., 220 के.वी. एवं 132 के.वी. का एक भी ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत व निर्मित नहीं किया गया है। 33 के.वी. के स्वीकृत एवं निर्मित सब स्टेशनों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'र' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि का नगरपालिका फतहनगर सनवाड को आबंटन

110. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की नगरपालिका फतहनगर सनवाड में कौन-कौनसी आराजी भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आराजी की भूमि किन किसानों को खेती करने हेतु भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका में भूदान यज्ञ बोर्ड की किस-किस आराजी भूमि के खातेदारी अधिकार किन-किन व्यक्तियों को कब-कब व किन नियमों के तहत दिए गए? सूची व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(4) क्या सरकार भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि को आबादी विस्तार हेतु उक्त नगरपालिका को आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की नगरपालिका फतहनगर सनवाड में जब से भूदान यज्ञ बोर्ड बना है तबसे कुल आराजी किता 76 कुल रकबा 190 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसका खातेदार भूदान यज्ञ बोर्ड है, की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आराजी की भूमि किसानों को खेती करने हेतु भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आबंटित की गई। जिसका कुल आराजी किता 68 कुल रकबा 164 बीघा 11 बिस्वा भूमि है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त नगरपालिका में भूदान यज्ञ बोर्ड की कुल आराजी किता 17 कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 व राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम 2008 व राजस्थान सरकार (राजस्थान ग्रुप-6) के आदेश क्रमांक 2(12)राज-6/92/पार्ट दिनांक 18.11.10 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विधिवत रूप से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील व रायल राजस्थान ट्रेनों का संचालन

111. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यही सही है कि "पैलेस ऑन व्हील" और "रायल राजस्थान" जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें पर्यटकों को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर घुमाने के लिए प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में उक्त दोनों ट्रेनों के संचालन पर सरकार व कॉरपोरेशन का कितना व्यय हुआ व कितनी आमदनी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रेनों में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के प्रावधान भी हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में उक्त दोनों ट्रेनों में किन-किन सरकारी अफसरों ने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के रूप में कितना सफर किया तथा इसकी कितनी राशि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के रूप में सरकार द्वारा वहन की गई है?

(3) उक्त ट्रेनों के संचालन हेतु गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा रेलवे को कितना भुगतान किया तथा दोनों ट्रेनों में कितने प्रतिशत सीटें खाली रहीं? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पैलेस ऑन व्हील्स एवं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का गत 5 वर्षों का आय व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारतीय रेलवे एवं राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के मध्य अनुबन्ध के अनुसार प्रत्येक ट्यूर पर दो व्यक्ति रेलवे एवं दो व्यक्ति राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के स्तर से कॉम्प्लीमेंट्री यात्रा करवाने का प्रावधान है जो कि सीटें खाली रहने पर ही लागू होता है। इन दोनों शाही रेलगाडियों में गत 5 वर्षो में कॉम्प्लीमेंट्री गेस्टों द्वारा की गई यात्रा का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के रूप में सरकार द्वारा कोई राशि वहन नहीं की गई।

(3) गत 5 वर्षो में पैलेस ऑन व्हील्स तथा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के संचालन के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के द्वारा भारतीय रेलवे को राशि रुपये 116.68 करोड का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

इन दोनों शाही रेलगाडियों में गत 5 वर्षों में खाली रही सीटों की प्रतिशतता का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

खाली रही सीटों के प्रतिशतता बाबत चूंकि बुकिंग प्रक्रिया विभिन्न

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

मानकों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष प्रभावित होती है। जिसके कारण पर्यटकों के आवागमन पर कमी अथवा बढोतरी होती रहती है। निगम अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रखता है परन्तु कई देशों द्वारा एडवाइजरी जारी करने से पर्यटकों की संख्या पर असर पडता है। जिसके फलस्वरूप सीटें खाली भी रहती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

112. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोवणिया बीरावास, जसपाली, बीनावास, हर्ष, आदर्शनगरी-बिलाड़ा वार्ड नं. 10 पीपाड़ शहर की कक्षा 8 में 40 या 40 से अधिक विधार्थी अध्ययनरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि, हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की उच्च प्राथमिक विद्यालय हर्ष, बीनावास, बीरावास, आदर्श नगरी बिलाडा, सोवणिया, जसपाली तथा वार्ड नं. 10 उजियारडा बेरा पीपाड सिटी में से किसी भी विद्यालय की कक्षा 08 में 40 अथवा 40 से अधिक नामांकन नहीं है।

प्रदेश में महिलाओं से लूट के दर्ज प्रकरण

113. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में महिलाओं से मंगलसूत्र, चेन, गहने, नकदी एवं मोबाइल लूटने के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से पुलिस द्वारा कितने प्रकरणों में लूटी गयी राशि, गहने व मोबाइल बरामद किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में पुलिस द्वारा उक्त दर्ज प्रकरणों में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2018 तक राज्य में 1931 प्रकरण महिलाओं से मंगलसूत्र चेन गहने नकदी एवं मोबाइल लूटने के दर्ज हुए हैं। जिलेवार विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से विभाग द्वारा 832 प्रकरणों में लूटी गई राशि, गहने, मोबाइल इत्यादि बरामद किये गये हैं। विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट 'अ'

(3) उक्त अवधि में पुलिस द्वारा इन दर्ज प्रकरणों की पालना में 1835 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक (31 जनवरी 2018 तक) राज्य में जिलेवार महिलाओं से मंगलसूत्र, चेन, गहने, नकदी एवं मोबाइल लूटने के दर्ज प्रकरणों की संख्या एवं बरामदगी व गिरफ्तार मुल्जिमों की संख्या।

क्र. सं.	जिला	दर्ज प्रकरण	प्रकरण जिनमें बरामदगी हुई	गिरफ्तार आरोपी
1	अजमेर	112	61	166
2	भीलवाड़ा	78	25	50
3	नागौर	15	9	21
4	टोंक	22	10	22
5	जयपुर उत्तर	43	19	40
6	जयपुर दक्षिण	197	75	143
7	जयपुर पूर्व	233	54	111
8	जयपुर पश्चिम	200	105	204
9	जयपुर ग्रामीण	49	16	37
10	झुंझुनूं	24	12	27

(गृह मंत्री)

11	सीकर	66	21	45
12	दौसा	12	3	13
13	अलवर	75	38	104
14	बीकानेर	39	19	30
15	चूरू	4	4	11
16	गंगानगर	33	26	60
17	हनुमानगढ़	15	6	15
18	भरतपुर	26	12	16
19	सवाई माधोपुर	21	6	19
20	धौलपुर	7	3	6
21	करौली	9	3	9
22	जोधपुर पूर्व	31	4	12
23	जोधपुर पश्चिम	74	37	80
24	जोधपुर ग्रामीण	4	1	2
25	जालौर	4	4	12
26	जैसलमेर	2	-	-
27	बाड़मेर	7	2	4
28	पाली	72	41	98
29	सिरोही	1	1	6
30	कोटा शहर	14	60	130
31	कोटा ग्रामीण	1	1	1
32	बून्दी	15	8	18
33	झालावाड़	15	4	9
34	बारां	22	6	11
35	उदयपुर	100	40	85
36	बांसवाड़ा	30	15	30
37	चित्तौड़गढ़	53	23	65
38	डूंगरपुर	44	18	34
39	राजसमन्द	39	27	61
40	प्रतापगढ़	7	5	7
41	जीआरपी अजमेर	8	7	20
42	जीआरपी जोधपुर	1	1	1
	योग	1931	832	1835

मनरेगा योजनान्तर्गत जिलों को आबंटित राशि

114. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 31 दिसम्बर, 2017 तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत जिलेवार आवंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत जिलेवार कितने जल कुण्ड बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में अपना खेत अपना काम योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 31 दिसम्बर, 2017 तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिलेवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु योजनान्तर्गत श्रम मद की राशि का भुगतान सीधे जोबकार्डधारी श्रमिकों के खाते में तथा सामग्री मद का भुगतान सीधे ही आपूर्तिकर्ता के खाते में ऑनलाइन किया जाता है।

प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) की अवधि में योजनान्तर्गत 9124.03 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) की अवधि में जल कुण्ड (फार्म पौण्ड/टांका आदि) के 67181 कार्य पूर्ण हुए हैं तथा 78146 कार्य प्रगतिरत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में अपना खेत अपना काम योजना के तहत भूमि विकास, सिंचाई संरचनाएं, उद्यान कृषि/कृषि वानिकी, बंजर भूमि विकास, आवास निर्माण, कैटल शेड आदि के कार्य कराए गए है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) की अवधि में इसके तहत 171682 कार्य पूर्ण हुए है तथा 619397 कार्य प्रगतिरत रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में बाल हृदय रोगियों की शल्य चिकित्सा

115. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में गत दो वर्षों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किन-किन बाल हृदय रोगियों की कब-कब जांच कर उन्हें शल्य चिकित्सा हेतु पात्र पाया तथा उनमें से किस-किस बाल हृदय रोगी का प्रकरण किस-किस तारीख को स्वीकृति एवं चिकित्सालय आबंटित करने हेतु जयपुर मुख्यालय भिजवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन सा प्रकरण किस-किस तारीख को स्वीकृत कर पुन: पाली मुख्यालय भिजवाया गया तथा वर्तमान में कौन-कौनसा प्रकरण किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से किस-किस स्तर पर लंबित है एवं किन-किन का निस्तारण कितनी- कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यही सही है कि हृदय रोगी की प्रथम सूचना दिये जाने के बाद काफी लम्बी अवधि में शल्य चिकित्सा हेतु स्वीकृति दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार हृदय रोगी की प्रथम सूचना मिलने के बाद निश्चित अवधि में उसकी स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन्मे व सरकारी विद्यालय/आंगनबाडी केन्द्रों/मदरसों में अध्ययनरत/नामांकित 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का आरबीएसके मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिसमें आरबीएसके की चिह्नित बीमारियों से ग्रसित पाये गये बच्चों को बीमारी से कन्फर्म करने के लिए आरबीएसके कैम्पों/सीएचसी/ जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/पेनलित निजी चिकित्सालयों में रैफर किया जाता है व कन्फर्म पाये जाने पर संबंधित चिकित्सक विशेषज्ञ की परामर्श व चिकित्सालयों से समन्वय के पश्चात् उनका उपचार कराया जाता है। उपचारित बाल हृदय रोगियों की संख्या 24 (चौबीस) है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पाली जिले के हृदय रोग के उपचार हेतु चिकित्सालयों से तारीख प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में 5 बच्चे वंचित हैं तथा अभिवाहक द्वारा हृदय बाल रोगी को नही लाने के कारण 7 बच्चे वंचित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है। वंचित रोगियों के उपचार हेतु माह फरवरी व मार्च 2018 में तारीख नियत की जा चुकी है।

(3) जी नहीं। हृदय रोगियों की सूचना प्राप्त होने पर लगभग 3 माह में उसके उपचार हेतु तारीख नियत की जाती है तथा अस्पतालों के पास उपलब्ध संसाधनों/मरीजों की संख्या के आधार पर यथाशीघ्र तारीख नियत कर इलाज कराने का प्रयास किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांभर साल्ट लिमिटेड की भूमि का आवंटन

116. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर साल्ट लिमिटेड के माध्यम से निजी व्यक्तियों/फर्मों को सांभर साल्ट लिमिटेड की जमीन दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा निजी व्यक्तियों को निजी सहभागिता अथवा अन्य प्रकार से जमीन आवंटित की गई है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को कितनी-कितनी जमीन किन-किन शर्तों और कितनी-कितनी राशि पर कितने वर्ष तक के लिये दी गई है? शर्तों की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जमीन निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को देने से कम्पनी को कितनी राशि की आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सांभर साल्ट लिमिटेड का गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) पिछले तीन वर्षों के आय-व्यय के लेखे परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

117. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? वर्ष 2013 में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालयों में से कई महाविद्यालय अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों को वर्ष 2018 के शैक्षणिक सत्र में चालू करने का विचार रखती है? यदि नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपखंड मुख्यालय कोलायत में जून, 2018 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं वर्ष 2013 में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2013 में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालयों में से शेष 06 महाविद्यालय यथा- कोलायत, श्रीडूंगरगढ, कामां, पहाडी, जहाजपुर एवं सांचोर में निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व

(उच्च शिक्षा मंत्री)

गुणावगुण के आधार पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) उपखंड मुख्यालय कोलायत में निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में श्रमिक कल्याण की योजनाएं

118. श्री गोरधन (धोद): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को किन-किन लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लाभकारी योजनाओं से सीकर जिले में गत एक वर्ष में सरकार द्वारा क्या-क्या लाभ कब-कब दिये गये? विधान सभा वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण भी किया जाता है? यदि हां, तो कितने समय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सभी श्रमिक कार्डों का नवीनीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक इनका नवीनीकरण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा ऐसे निर्माण श्रमिक, जिनकी आयु 18-60 वर्ष के मध्य है तथा जिसने पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

कार्य किया हो, का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कर श्रमिक कार्ड बनाया जाता है।

(2) वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 8 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2016-17 में सीकर जिले में कुल 12602 हिताधिकारियों को मण्डल की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। लाभान्वित श्रमिकों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। लाभान्वित श्रमिकों की विधान सभावार सूचना संधारित नहीं की जाती है। सीकर जिले की नगरपालिका, नगर परिषद तथा पंचायत समितियोंवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। श्रमिक का पंजीयन केवल एक बार होता है एवं अंशदान राशि प्रारम्भ में 5 वर्षों के लिए एक मुश्त 60 रु. ली जाती है। अंशदान अवधि समाप्त होने पर पुनः पंजीकृत श्रमिक द्वारा अंशदान राशि जमा करवाकर नवीनीकरण कराया जा सकता है।

(5) अंशदान राशि जमा कराने का दायित्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक का है। यदि पंजीकृत श्रमिक पंजीयन के उपरान्त निर्माण श्रमिक अथवा निर्माण कार्य में नियोजित नहीं है तो उसके लिए अंशदान राशि जमा कराना आवश्यक नहीं है। नियमानुसार 12 माह तक अंशदान राशि जमा न कराने की स्थिति में श्रमिक हिताधिकारी नहीं रहता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कर्ज से परिसंपत्तियों का निर्माण

119. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत 3 वर्षों में राज्य पर कितना कर्ज भार बढ़ा? वर्षवार लिए गये कर्जे की राशि व राज्य पर वर्तमान में कुल कर्ज-भार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत तीन वर्षों में राज्य पर कुल ऋण एवं दायित्वों में राशि रुपये 125091.42 करोड़ की वृद्धि हुई है। वर्षवार लिए गये कर्जे की राशि एवं राज्य पर कुल कर्जभार का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(वित्त मंत्री)

दिनांक 31.03.14 को शेष	वर्ष 2014-15 में प्राप्त शुद्ध ऋण	दिनांक 31.03.05 को शेष ऋण	वर्ष 2015-16 में प्राप्त शुद्ध ऋण	दिनांक 31.03.16 को शेष ऋण	वर्ष 2016-17 में प्राप्त शुद्ध ऋण	दिनांक 31.03.17 शेष ऋण
129910.13	17698.38	147608.52	61777.19*	209385.71	45615.85#	255001.55

नोट:-

* वर्ष 2015-16 में उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण दायित्वों के अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 40049.77 करोड़ का लिया गया ऋण सम्मिलित है।

वर्ष 2016-17 में उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण दायित्वों के अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 22372.20 करोड़ का लिया गया ऋण सम्मिलित है।

बाड़ी के ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की योजना

120. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत अलीगढ़ के ग्राम कुंजी का नगला व दुल्ली का पुरा तथा ग्राम पंचायत धनौरा के ग्राम धौंधे का पुरा, ग्राम पंचायत सेवरपाली के ग्राम खरैरपुरा तथा पंचायत समिति सैपऊ की ग्राम पंचायत सैपऊ के ग्राम चन्दू का नगला को राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अधिसूचना दिनांक 19.04.2017 द्वारा तहसील बाड़ी (जिला धौलपुर) के ग्राम पंचायत अलीगढ़ के ग्राम कुन्जी का नगला एवं ग्राम पंचायत सेवरपाली के ग्राम खरैरपुरा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत अलीगढ का ग्राम दुल्ली का पुरा, ग्राम पंचायत धनोरा का ग्राम धौंधे का पुरा एवं पंचायत समिति सैपऊ

(राज्य मंत्री, राजस्व)

के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैपऊ का ग्राम चन्दू का नगला नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं।

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प. 9(52)राज -1/2014 जयपुर, दिनांकः 19.04.2017

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि जिला धौलपुर की तहसील बाड़ी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जनसंख्या	क्षेत्रफल		जनसंख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	धौलपुर /बाड़ी	अलीगढ़	2709	473	अठपैरिया	490	113.06	1.0	359.94
2		गढ़ीखिराना	2028	160.08	कुन्जी का नगला	1062	77.05	1.0	83.03
3		पाली	1080	225.64	खरैरपुरा	348	90.16	3.0	135.48

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, धौलपुर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

नवलगढ़ में पर्यटन विकास के कार्य

121. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से दिनांक 15 जनवरी, 2018 तक प्रदेश में कितने देशी एवं विदेशी पर्यटक आये तथा उनसे सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में देश के मुकाबले राजस्थान का देशी व विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से कौनसा स्थान रहा? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कितने देशी व विदेशी पर्यटक आये तथा उनसे कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिये पर्यटन विकास की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2014 से 2017 तक भ्रमण पर आये देशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर)**	**देशी पर्यटक**	**विदेशी पर्यटक**
1.	2014	33076491	1525574
2.	2015	35187573	1475311
3.	2016	41495115	1513729
4.	2017	45916573	1609963

माह जनवरी, 2018 के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों से अर्जित आय का संकलन नहीं किया जाता है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(2) उक्त अवधि में देश के मुकाबले राजस्थान में देशी व विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से प्रदेश का वर्ष 2014 से 2017 तक स्थान निम्नानुसार रहा:-

क्र.सं.	वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर)	देश में देशी पर्यटकों की दृष्टि कसे राज्य का स्थान	देश में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राज्य का स्थान
1.	2014	10 वां	5 वां
2.	2015	10 वां	6 वां
3.	2016	10 वां	6 वां
4.	2017	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 की रैंक अभी तक जारी नहीं की गई हैं।	

(3) राजस्थान में पर्यटकों की संख्या बढाने के लिए माह जनवरी, 2016 में विभाग द्वारा नवीन आक्रामक प्रचार-प्रसार अभियान का आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत 7 आकर्षक नवीन लघु फिल्में, प्रिन्ट एवं आउटडोर हेतु विज्ञापन क्रिएटिव, नवीन लोगो एवं रेडियो जिंगल्स का निर्माण किया गया। इसके अन्तर्गत अभी तक 3 कैम्पेन चलाए जा चुके हैं एवं चतुर्थ कैम्पेन वर्तमान में चल रहा है। चतुर्थ कैम्पेन के अन्तर्गत अक्टूबर, 2017 से प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल, आउटडोर मीडिया मे प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रमुख ट्रेवल मार्ट/सेमीनार आदि में भाग लिया जाकर राजस्थान पर्यटन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा लगभग 53 मार्ट्स/सेमीनार अथवा अन्य आयोजनों में भाग लिया जा रहा है। साथ ही जन सम्पर्क एजेंसी एवं सोशल मीडिया प्रबन्धन तथा वेबसाइट के माध्यम से भी राजस्थान के पर्यटन स्थलों एवं अन्य आकर्षकों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

राज्य में पर्यटकों की संख्या बढाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न मेले-त्यौहारों का आयोजन भी किया जाता है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यटकों हेतु आधारभूत संरचना के विकास कार्य यथा एप्रोच रोड निर्माण, हैरिटेज व जीर्णोद्वार, पार्किंग, यात्रिका शेड व साइनेजेज इत्यादि पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(4) पर्यटन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में आये देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं उनसे प्राप्त आय का संकलन नहीं किया जाता है।

(5) वर्तमान में पर्यटन विभाग में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के पर्यटन विकास के लिए कोई प्रस्ताव\कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के समायोजित विद्यालयों में विषय अध्यापकों के पदों का सृजन

122. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें समायोजन के कारण कतिपय विषयों को समाप्त कर दिया गया है?

(2) क्या उक्त विद्यालयों में उक्त विषयों के अध्यापकों की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विषयों के अध्यापकों के पदों को पुन: सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत विद्यालय समन्वयन प्रक्रिया के तहत विद्यालयों का समायोजन किया गया, लेकिन किसी भी विद्यालय में विषयों को समाप्त नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि जब विषयों को समाप्त ही नहीं किया, तो पुन: विषय अध्यापकों के पद सृजित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर की ढाणियों का विद्युतीकरण

87. श्रीमती कामिनी जिन्दल (श्रीगंगानगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रदेश के गांव व ढाणियों को विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विभिन्न राजस्व ग्रामों की अनेक ढाणियां वर्तमान में विद्युतीकरण से वंचित है? यदि हां, तो किस-किस राजस्व ग्राम/चक की कौन-कौनसी ढाणियां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करवाकर वंचित ढाणियों को उक्त योजना के तहत शीघ्र विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में गांवों व ढाणियों के ग्रामीण घरेलू आवासों (सामान्य एव बी.पी.एल.) के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारम्भ दिनांक 03.12.2014 को किया गया था जिसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों की स्वीकृति दिनांक 06.08.2015 को प्रदान की गई थी। साथ ही वर्ष 2013 में 27 जिलों की 28 योजनाएं (पूर्व में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) को उक्त योजना में समाहित कर लिया गया है। इस योजना का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के निविदाकर्ता द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार विद्युतीकरण से वंचित 4885 ढाणियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में विद्युतीकरण का कार्यादेश दिनांक 25.05.2017 को

(ऊर्जा मंत्री)

जारी किया जा चुका है तथा कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की समयावधि 24 माह है, यद्यपि कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिकों के रिक्त पद

88. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान अधीनस्थ न्यायालयों में 31 जनवरी, 2018 तक आशुलिपिक ग्रेड-।।। एवं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-।। के कितने- कितने पद रिक्त हैं? जिला न्यायालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त उक्त आशुलिपिक ग्रेड-।।। एवं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-।। के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक के पदों को भरने हेतु आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2017 में आनलाइन सोफ्टवेयर पर आयोजित की गई थी? यदि हां, तो किस सोफ्टवेयर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त राजस्थान अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक भर्ती परीक्षा में आशुलिपि उत्तर पुस्तिका जांचने का फार्मूला/मानदण्ड बनाए गए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 31 जनवरी 2018 को आशुलिपिक ग्रेड-।।। एवं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-।। के रिक्त पदों के विवरण हेतु प्रदर्श-1 संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2017 हेतु आशुलिपिकों एवं लिपिक ग्रेड-।। (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाकर

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

नियुक्तियां दी गई हैं। समुचित संख्या में रिक्त पद उपलब्ध होते ही परीक्षा (प्रकोष्ठ) की रिक्तियां भेजी जाकर अविलम्ब पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक पदों को भरने हेतु आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2017 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर आयोजित की गई थी। आशुलिपिक हिन्दी परीक्षा की transcribed sheets का मूल्यांकन स्वीकृत एवं अधिकृत निजी एजेन्सी द्वारा किया गया और उक्त हेतु ऑनलाइन परीक्षा का सॉफ्टवेयर निजी कम्पनी का क्षेत्राधिकार है। अत: सॉफ्टवेयर माननीय उच्च न्यायालय में उपलब्ध नहीं है।

(4) It is Submitted that method of evaluation of transcribed sheets which was approved by Hon'ble Examination Committee is as follows:-

The following will be considered as full mistakes:

1. Every omission of a word of figure including omission of a definite or indefinite article.
2. Every substitution of a wrong word or figure.
3. Mis-spelling including transposition of letters in a word and also omission of a letter or letter from a word.
4. Every addition of a word or figure or a group of words/figures including addition of a definite article not occurring in the passage.
5. Two partial mistakes will be equal to one full mistake.

The following will be considered as half mistakes:

1. Error of Omission in punctuation.
2. Using singular for plural noun and vice versa.
3. Transposition of words/group of words in a sentence.
4. Repating a word/figure or a group of words or a group

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

of figures in the transcript.

5. Wrong use of capital letters at the beginning of the sentence.

6. Omission or placement of the apostrophe in a word in the possessive case, or in contracted words.

7. Insertion of a space in the middle of a word.

8. Lack of space between words.

9. Wrong syllabification of a word at the end of line.

10. Omission or wrong placement of the caret sign.

11. Arbitrary and unfamiliar abbreviations.

More than one error in a single word : All the errors are counted but the total mistakes counted in a single word should not exceed one full mistake.

The margin of 5% mistakes be allowed.

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बौंली (बामनवास) में 132 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना

89. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के पंचायत समिति मुख्यालय, बौंली में 132 के.वी. जी.एस.एस. नहीं होने के कारण किसान व आमजन को समय पर विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत समिति में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति मुख्यालय बौंली में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव राजस्थान विद्युत

(ऊर्जा मंत्री)

विनियामक आयोग के मानदण्डों के अनुसार तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं पाया गया है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बामनवास ग्राम में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिनांक 18.10.2017 को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है व इसे माह मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

अल्प बचत निदेशालय के लिपिकों को देय परिलाभ

90. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में अल्प बचत निदेशालय में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो किन-किनकी व किन नियमों के तहत तथा वर्तमान में उक्त कर्मचारियों का पदस्थापन कहां-कहां पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लिपिकों को 9 एवं 18 वर्षों के सेवा लाभों व अन्य लाभों से वंचित किया गया हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लिपिकों को उनके मिलने वाले समस्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर से प्राप्त सूची क्रमांक बी-45/93/6720 दिनांक 11.05.1993 के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव की अनुपालना में श्री बनवारी लाल पुत्र रामकिशोर रैगर तथा सूची क्रमांक सी-46/93/6721 दिनांक 11.05.1993 के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव की अनुपालना में श्री शंकर लाल मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा तथा विशेष रोजगार कार्यालय (विकलांग) जयपुर से प्राप्त सूची पत्र क्रमांक 5/93/559 दिनांक 29.03.1993 की अनुपालना में श्री अमन शाहरूख खान पुत्र श्री शौकत परवेज खान की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर की गई।

(वित्त मंत्री)

दिनांक 28.01.2010 द्वारा अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज विभाग को निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान में समाहित किया गया। अत: निदेशालय अल्प बचत का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा में समाहित किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को आगामी पदस्थापन हेतु प्रेषित किया गया। सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग द्वारा पदस्थापन के पश्चात् उक्त कार्मिकों के पदस्थापन एवं संस्थापन संबंधी समस्त कार्य सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय/पदस्थापन विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे है। वर्तमान में श्री बनवारी लाल, जिला रसद अधिकारी, जयपुर के कार्यालय में तथा अमन शाहरूख खान, सहायक निदेशक, अभियोजन-II, मिनी सचिवालय, जयपुर महानगर के कार्यालय में कार्यरत हैं एवं श्री शंकर लाल मीणा वर्तमान में विभाग में सेवारत नहीं है।

(2) दिनांक 28.01.2010 में निदेशालय अल्प बचत का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा में समाहित किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग में आगामी पदस्थापन हेतु सौंप दिया गया था। सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग द्वारा पदस्थापन के पश्चात् उक्त कार्मिकों के पदस्थापन एवं संस्थापन संबंधी समस्त कार्य सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय/पदस्थापन वाले विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं।

जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा भिजवायी गई श्री बनवारी लाल की सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 3/बी-126/2011/46 दिनांक 18.01.2011 द्वारा दिनांक 26.05.2002 से प्रथम चयनित वेतनमान एवं आदेश दिनांक 15.07.2011 द्वारा 26.05.2011 को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर दितीय चयनित वेतनमान दिया गया है।

सहायक निदेशक, अभिजयोजन-II, मिनी सचिवालय जयपुर द्वारा भिजवायी गई श्री अमन शाहरूख खान की सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक 3/(9)स्था./मंत्रा./अभि/2010/1979-81 दिनांक 19.02.2013 द्वारा दिनांक 01.05.2002 से प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया जिसे आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा निरस्त किया गया है।

(वित्त मंत्री)

(3) इस संबंध में नियमानुसार एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसरण में उक्त लिपिकों को समस्त लाभ दिए जाने की कार्रवाई उनके वर्तमान पदस्थापन, सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय/विभाग द्वारा ही सम्पादित की जानी है।

बाड़मेर जिले में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

91. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बाड़मेर जिले में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किस-किस स्थान का चयन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि सरकार पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं करती। ये संयंत्र निजी विकासकर्ताओं/उत्पादकों द्वारा स्वयं के स्तर पर की जाती है। जिसमें पूंजी का निवेश सोलर/विण्ड विकासकर्ताओं/उत्पादकों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा सयंत्रों के लिए भूमि का चयन भी ऐसे निजी निवेशकों द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

बाड़मेर जिले में अब तक 49.60 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र तथा 6 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ-1" से "अ-2" पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा वेतन कटौती का विरोध

92. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा गत वर्ष वेतन

(घनश्याम तिवाड़ी)

कटौती का विरोध किया गया था? यदि हां, तो कहां कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिसकर्मियों द्वारा विरोध करने पर सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस किसके विरुद्ध क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुछ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अधीन पुलिसकर्मियों द्वारा वेतन कटौती का विरोध किया गया। विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) जी हां। अनुशासनहीनता के कुछ प्रकरणों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाहियां की गईं। विवरण परिशिष्ट "अ" एवं संलग्न सूचियां 1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में वृद्धि

93. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सामूहिक बलात्कार व दुष्कर्म के प्रकरण बढ़ रहे हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने प्रतिशत है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में दुष्कर्म व सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में ज्यादातर आरोपी रिश्तेदार निकलते हैं? यदि हां, तो गत 05 वर्षों के आंकडो के अनुसार कुल अपराधियों में से कितने प्रतिशत अपराधी पीड़ित के रिश्तेदार पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक सामूहिक बलात्कार दुष्कर्म के दर्ज प्रकरणों में लगातार कमी दर्ज हुई है। वर्ष 2013 से वर्ष 2014 के बीच में ऐसी घटनाओं में वृद्धि अंकित हुई थी। प्रकरणों का वर्षवार तुलनात्मक विवरण प्रतिशत कमी/ वृद्धि सहित संलग्न परिशिष्ट ‘अ’ पर अंकित है।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। प्रदेश में विगत 05 वर्षों (वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक) के आंकडों के अनुसार उक्त मामलों में कुल 13652 अपराधियों में से केवल 706 अपराधी ही पीड़ित के रिश्तेदार निकले हैं, जो कुल अपराधियों का 5.17 प्रतिशत है।

सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म के वर्ष 2013 से 2017 तक के दर्ज प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति

वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	कमी/वृद्धि				प्रतिशत			
					वर्ष 2013 से 2014	वर्ष 2014 से 2015	वर्ष 2015 से 2016	वर्ष 2016 से 2017	वर्ष 2013 से 2014	वर्ष 2014 से 2015	वर्ष 2015 से 2016	वर्ष 2016 से 2017
3285	3759	3644	3656	3305	474	-115	12	-351	14.42	-3.05	0.32	-10.62

वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म के कुल दर्ज प्रकरणों में 14.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वर्ष 2014 से वर्ष 2015 में 3.05 प्रतिशत की कमी हुई है, वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में लगभग बराबर रहे हैं तथा वर्ष 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में 10.62 प्रतिशत की कमी हुई है।

कोटा शहर के थानों में सी.एल.जी. मैम्बर की नियुक्ति

94. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के पुलिस थानों में सी.एल.जी. मैम्बर की नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो उनकी योग्यता व नियुक्ति की अवधि व संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कोटा शहर के थानों में कितने सी.एल.जी. मैम्बर को हटाकर नये सी.एल.जी. मैम्बर नियुक्त किये गये हैं व किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(3) क्या सरकार कोटा शहर के थानों में भविष्य में सी.एल.जी. मैम्बर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पुलिस थानों में सीएलजी मेम्बर की नियुक्ति की जाती है। सीएलजी के सदस्यों की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या 02/2007 एवं राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार तीन स्तरों पर गठित सीएलजी में बीट/पंचायत स्तर पर 10-15 सदस्य, थाना स्तर पर 20-35 सदस्य एवं जिला स्तर पर 20-40 सदस्यों को सीएलजी का सदस्य बनाया जाता है। राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 55 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सीएलजी सदस्यों का गठन किया जाता है। उक्त नियम के तहत ही सीएलजी के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के अन्त में हटाये जाते हैं। सीएलजी मेम्बर की योग्यता, नियुक्ति की अवधि एवं संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(2) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 तक कोटा शहर स्थित महिला पुलिस थाने को छोड़कर सभी पुलिस थानों में सीएलजी मैम्बर्स नियुक्त किये गये हैं। सीएलजी मेम्बर को हटाकर नये मेम्बर नियुक्त करने के सम्बन्ध में थानेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर अंकित है।

(3) जी हां। वर्ष 2018 में एक तिहाई सीएलजी सदस्यों का पुनर्गठन किया जाकर उनके स्थान पर नये सदस्यों को चयन करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। शीघ्र ही सदस्यों का पुनर्गठन किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाढ़ व सूखे के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

95. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को बाढ़ व सूखे के लिए कितनी राशि के ज्ञापन कब-कब दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(2) उक्त अवधि में उक्त ज्ञापनों में मांगी गई राशि की तुलना में केंद्र सरकार से कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में भेजे गये ज्ञापनों का विवरण।

क्र.सं.	**प्राकृतिक आपदा**	**सम्वत**	**भारत सरकार को भिजवाये गये ज्ञापन का दिनांक**	**ज्ञापन की राशि (करोड़ रुपये में)**
1.	सूखा	2072	15.12.2015	10537.02
2.	बाढ़	2073	07.09.2016	1375.48
			01.12.2016	
3.	सूखा	2073	06.02.2017	3660.97
4.	बाढ़	2074	11.10.2017	1957.98
5.	सूखा	2074	11.12.2017	3078.26

(2) भारत सरकार को प्रेषित ज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्त राशि का विवरण:-

क्र.सं.	**ज्ञापन की राशि (करोड़ रुपये में)**	**भारत सरकार से प्राप्त राशि की दिनांक**	**भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**	**भारत सरकार से प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)**
1.	10537.02	8.4.2016	911.64	911.64
2.	1375.48	30.5.2017	362.92	301.65
3.	3660.97		588.34	
4.	1957.98	-	अप्राप्त	अप्राप्त
5.	3078.26	-	अप्राप्त	अप्राप्त

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें

96. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग के अधीन कौन-कौनसे बोर्ड व परिषद संचालित हैं एवं इनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किस विभाग से कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं व कौन-कौन संविदा पर कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों एवं उन पर 31 दिसम्बर, 2017 तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संविदा पर नहीं रखने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी वर्तमान में विभाग एवं उसके अधीन परिषद/बोर्ड में सेवानिवृत्त कार्मिक नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्यों व सरकार उन्हें कब तक हटाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अधीन कोई बोर्ड/परिषद् संचालित नहीं है तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् एवं राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् संचालित हैं।

इनमें प्रतिनियुक्ति पर लगे अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना परिशिष्ट ‘अ’ पर तथा संविदा पर लगे कार्मिकों की सूची परिशिष्ट ‘ब’ पर संलग्न है।

(2) गत वर्षों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् में प्राप्त विभिन्न शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का संक्षित विवरण परिशष्ट ‘स’ पर संलग्न है।

प्राप्त शिकायतों की प्रति तथा उन पर की गई कार्यवाही की प्रतियाँ परिशिष्ट ‘द’ पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् में संविदा कार्मिकों के यात्रा भत्ता पुनर्भरण बिलों की कार्यालय की भुगतान शाखा में बिल पारित करते समय लेखा कार्मिकों द्वारा बिलों की नियमित जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता के कतिपय प्रकरण सामने आये थे। यह प्रकरण पांच संविदा कार्मिकों द्वारा गलत यात्रा दस्तावेजात के माध्यम से यात्रा बिल पुनर्भरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में था। इनमें से एक कार्मिक पूर्व में ही परिषद् से त्यागपत्र देकर प्रस्थान कर गए थे। इस कार्मिक को अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु नोटिस दिए जाने पर उनके द्वारा राशि दिनांक 07.02.2018 को राजकोष में जमा करा दी गई है।

शेष चार कार्मिकों से अनियमित भुगतान की राशि दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से पूर्व ही वसूल कर ली गई है। साथ ही इन कार्मिकों को भविष्य में सावधानी बरतने तथा सही व प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न ना करने पर संविदा सेवाएं समाप्त करने के साथ साथ नियमानुसार फौजदारी कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई। दिए गए चेतावनी पत्रोंकी प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

यहां यह उल्लेखनीय है इन चार कार्मिकों में से दो कार्मिक अब परिषद् में कार्यरत नहीं हैं।

(3) जी हां। विभाग में नियमित कार्मिक तथा बोर्ड/परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियमित कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु कतिपय सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी रूप से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशानुसार ली जाती हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला परिषद् जयपुर द्वारा करवाये गये कार्य

97. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला परिषद जयपुर द्वारा गत 4 वर्षों में किस-किस मद में कब-कब, क्या-क्या एवं कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों को जिला परिषद जयपुर द्वारा किस-किस प्रक्रिया/ नियम के तहत स्वीकृत किये गये? प्रक्रिया/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद जयपुर द्वारा गत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्रवार करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) कार्यों की स्वीकृति संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी की गई है।

योजना के निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में कराये गये कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र

98. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नरेगा (MNAREGA) कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो भीलवाडा जिले मे दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 15 जनवरी, 2018 तक किस-किस निर्माण/विकास कार्यों हेतु कब-कब कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृतियां किस-किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी धनराशि की जारी की गई? विधान सभा व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या उक्त वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार करवाये गये कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र (Utility Certificate/Completion

(डा. मंजू बाघमार)

Certificate) प्राप्त हो चुके हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति व विधान सभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वित्तीय स्वीकृतियों के तहत कराये गये कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विधान सभा व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना होने के कारण इसमें स्वीकृति के उपरान्त कार्य का प्रारम्भ होना तथा कार्य का पूर्ण होना रोजगार की मांग पर निर्भर करता है।

पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई के चिकित्सालयों में कराये गये कार्य

99. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के चिकित्सालयों में गत 4 वर्षों में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये व उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई, जिला दौसा के चिकित्सालयों में विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति दिनांक, राशि एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अस्पतालों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

100. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. किरोड़ी लाल)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के कुछ अस्पतालों को पी.पी.पी. मोड पर चलाने के लिए दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल को कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीपीपी मोड पर संचालित 98 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उनका संचालन करने वाली संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर संचालित 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पीपीपी मोड पर मेट्रोमास अस्पताल, जयपुर का संचालन किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर के खराब वेन्टीलेटर्स

101. डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में कुल कितने वेन्टीलेटर्स हैं एवं उनमें से कितने चालू स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल के खराब वेन्टीलेटरों को ठीक कराने व नए खरीदने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेन्टीलेटरों के खराब रहने व अनउपलब्धता के कारण अनेक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है? यदि हां, तो कितने मरीजों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर से सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग में कुल 91 वेन्टीलेटर्स हैं, जिनमें से 71 वेन्टीलेटर्स चालू स्थिति में हैं।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर से सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग द्वारा अकार्यशील वेन्टीलेटर्स को ठीक करवाने हेतु संबंधित फर्म को समय-समय पर कार्यालय के पत्रांक 558 दिनांक 27.10.2017, 604-08 दिनांक 08.01.2018 एवं 849 दिनांक 09.01.2018 द्वारा वेन्टीलेटर्स को ठीक कर उपयोग योग्य करने हेतु लिखा गया। वारंटी समय के वेन्टीलेटर्स को फर्म द्वारा समय-समय पर ठीक कर दिया जाता है। वर्तमान में अकार्यशील वेन्टीलेटर्स में 6 वारंटी समय में है। जिसके लिए संबंधित फर्म को ठीक करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

आरएमआरएस से Bio-Medical Engineer की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले में 108 एम्बुलेंस का संचालन

102. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में 108 एम्बुलेंस का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? ब्लॉकवार एम्बुलेंस की संख्या व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में 108 एम्बुलेंस किस-किस ब्लॉक में कब-कब आवंटित की गयी थी एवं आवंटन समय से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने लाख किलोमीटर तक चल चुकी है? सरकार इनके स्थान पर नई एम्बुलेंस कब उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(3) उक्त जिले में 108 एम्बुलेंस के संचालन के दौरान अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक 108 एम्बुलेंस द्वारा दुर्घटना, प्रसव व अन्य गंभीर बीमारियों के कितने मरीजों को किन-किन चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया? ब्लॉकवार भर्ती कराये गये मरीजों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 108 एम्बुलेंस का भुगतान मरीजों की संख्या के आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो उक्त जिले में किये गये भुगतान का ब्लॉकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में 108 एम्बुलेंस का 17 लोकेशनों से संचालन किया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस ब्लॉक चेचट (खेरावद) में 03, इटावा में 02, कोटा सिटी में 04, लाडपुरा में 03, सांगोद में 04 व सुल्तानपुर में 01 संचालित है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में ब्लॉकवार 108 एम्बुलेंस का आवंटन एवं आवंटन समय से लेकर अब तक चल चुके किलोमीटर का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। वर्तमान में सभी 108 एम्बुलेंस सुचारु रूप से संचालित है। अत: नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। 108 एम्बुलेंसों का भुगतान सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर सत्यापन पश्चात प्रति एम्बुलेंस प्रतिमाह अधिकतम राशि 1,53,470/- रुपये किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर देने की योजना

103. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जालौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाना व भवरानी को पी.पी.पी. मोड़ पर देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व बाड़मेर जिले में पी.पी.पी. मोड पर दिये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उचित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार को उन्हें अपने अधीन लेना पड़ा था?

(3) क्या सरकार उक्त जालोर जिले के उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपने अधीन ही संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाना व भवरानी के गत 2 वर्षों के स्वास्थ्य सूचकांक कम होने के कारण इन्हें पी.पी.पी. मोड पर देने का

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्णय लिया गया है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गत 2 वर्ष की ओपीडी, आईपीडी एवं प्रसव संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) 2 वर्ष पूर्व बाडमेर जिले में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर नहीं दिया गया था।

(3) जी नहीं। प्रथम चरण में पी.पी.पी. मोड पर हस्तांतरित किए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सूचकांको में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त संस्थानों को माह जनवरी, 2018 में ही पी.पी.पी. मोड पर दिया गया है। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इनका मूल्यांकन किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

104. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) औद्योगिक क्षेत्र गुडली, सुखेर, फतहनगर व उमरड़ा में वर्ष 2014 से 2017 तक रीको द्वारा कब-कब व कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र मावली में पीने का पानी, सड़क, सीवरेज एवं बिजली आदि सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) औद्योगिक क्षेत्र गुडली, सुखेर एवं फतहनगर में वर्ष 2014 से

(उद्योग मंत्री)

2017 तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। रीको द्वारा उमरड़ा में कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र मावली के नाम से कोई औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार

105. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का प्रावधान है?

(2) ब्यावर के आस-पास संचालित सीमेन्ट उद्योगों में गत चार वर्षो में कितने लोगों को रोजगार दिया गया? उद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अजमेर जिले के ब्यावर के समीप स्थित श्री सीमेन्ट लि. अंधेरी देवरी बांगड़ नगर, ब्यावर में पिछले 4 वर्षो के दौरान संयंत्र में कुल 624 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 153 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 471 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया गया।

प्रदेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्राध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्ड

106. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्राध्यापकों की नियुक्ति संबंधी कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार उक्त संस्थाओं में शिक्षकों/प्राध्यापकों के चयन से पूर्व कोई प्रवेश परीक्षा तथा चयन बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) क्या सरकार सभी निजी एवं सरकारी शिक्षकों/प्राध्यापकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या सरकार प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों/शिक्षकों व अन्य स्टॉफ को देय वेतन एवं सेवा परिलाभों का भुगतान उनके बैंक खाते के जरिये कराने संबंधी बाध्यता लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां नियुक्ति संबंधी मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्राध्यापकों की नियुक्ति राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 के नियम 20 से 25 तक के प्रावधानानुसार प्रवेश परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।

अभियान्त्रिकी महाविद्यालय एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय स्वायत्तशाषी संस्थान होने के कारण संस्थान स्तर पर चयन बोर्ड निर्धारित किया जाता है।

(3) राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों/ प्राध्यापकों को समय-समय पर प्रशिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर एवं लर्निंग रिसोर्स डवलपमेंट सेन्टर, जोधपुर एवं राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ द्वारा प्रदान किया जाता है।

व्याख्याताओं को समय-समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ओरियंटेशन, रिफ्रेशर, शोर्ट-टर्म व शैक्षणिक उन्नयन संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) विभाग के अधीन संचालित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत/ प्राध्यापकों/ शिक्षकों व अन्य स्टाफ को देय वेतन एवं सेवा लाभों का भुगतान IFMS के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जा रहा है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

निजी शिक्षण संथाओं में कार्यरत प्राध्यापकों /शिक्षकों व अन्य स्टाफ को देय वेतन एवं सेवा लाभों का भुगतान उनके बैंक खाते के जरिये कराने के संबंध में राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 में निर्देश दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के निजी कॉलेजों के पाठ्यक्रम की फीस का निर्धारण

107. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में निजी कॉलेजों के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाये गए हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के निजी कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में मनमर्जी से फीस निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मनमर्जी से वसूली जा रही फीस पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में गत दो वर्षों में ज्यादा फीस वसूलने वाले कॉलेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में निजी कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं बने हुए है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा-43 की उपधारा (ड.) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस की दरों का विनियमन किये जाने के लिये नियम बनाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस संबंध में नियम नहीं बने है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) निजी महाविद्यालयों में फीस के संबंध में कोई नियम होने के कारण प्रदेश में निजी कॉलेजों में विभिन्न कोर्सेज के लिए फीस का निर्धारण संबंधित संस्था द्वारा ही किया जाता है।

(3) फीस विनियमन के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) निजी महाविद्यालयों हेतु फीस के संबंध में नियम निर्धारित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

भणियाणा (पोकरण) में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

108. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु मापदण्ड निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पोकरण में राजकीय क्षेत्र में 01 सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, पोकरण एवं 01 महिला शिक्षा का राजकीय कन्या महाविद्यालय, पोकरण संचालित है तथा विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड भणियाणा में निजी क्षेत्र में श्री करनी कालेज, काजोय संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मापदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं:-

(1) महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

(2) प्रस्तावित स्थान की 20 कि.मी. की परिधि में कम से 4 सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

(3) प्रस्तावित स्थान की 30 कि.मी. की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

(4) प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे: निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंषित वेतनमानों को लागू करना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अन्तर्गत ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना, सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्र उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, यथा - खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि-आदि।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

जयपुर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलौदी में नये ट्रेड खोलने की योजना

109. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं तथा उनमें कितने प्रशिक्षणार्थी किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलौदी में नये ट्रेड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमश फलौदी एवं बाप संचालित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षणाथियों का विवरण व्यवसायवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की मदद से अपग्रेडेशन ऑफ 1396 गारमेन्ट आईटीआई पी.पी.पी. मोड योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलौदी में योजना गाइड लाइन अनुसार संस्थान के विकास योजना (आई.डी.पी.) में प्रस्तावित नये 06 व्यवसायों क्रमश: मैकेनिक मोटर व्हीकल, इनर्फोमेशन टैक्नोलॉजी, मैकेनिक ए.सी., क्राफटमैन फूड प्रोडक्शन, हाउस कीपिंग एवं स्टीवर्ड खोला जाना प्रस्तावित है। आई.एम.सी. द्वारा आगामी 03 वर्षों में उक्त व्यवसायों को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

S.No.	Name of ITI	Name of Trade	On Roll Trainee
1	Govt. ITI Phalodi	Dress Making	8
		Wireman	42
2	Govt. ITI Bap	Fitter	0
		Welder	0

कोटा जिले में पंजीकृत श्रमिक

110. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं एवं गत दो वर्षों में उक्त योजनाओं से कोटा जिले के कितने लाभार्थियों को सहायता दी गई है? योजनावार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त जिले में किस-किस योजना के तहत कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अंतर्गत कोटा जिले में माह दिसम्बर 2017 तक 27461 पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु श्रम विभाग कोटा एवं ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर पंजीयन किए जाने के कारण विधान सभा क्षेत्रवार पंजीयन की सूचना संधारित नहीं की जाती है। शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर किए गए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नगरीय/पंचायत समिति क्षेत्र	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या
1	नगर निगम, कोटा, नगरपालिका	11388
	कैथून, सांगोद, इटावा, रामगंजमण्डी	
2	पंचायत समिति, लाडपुरा	2029
3	पंचायत समिति, सांगोद	3184
4	पंचायत समिति, इटावा	3351
5	पंचायत समिति, सुल्तानपुर	3456
6	पंचायत समिति, खैराबाद	4053
	कुल योग:-	27461

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) प्रदेश में श्रमिक कल्याण हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अंतर्गत कुल 8 योजनाएं संचालित हैं (1) निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, 2)निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, 3) निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, 4) शुभ शक्ति योजना 5) सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना, 6) प्रसूती सहायता योजना, 7) सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, 8) निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु श्रम विभाग कोटा एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। अतः सूचनाओं का संधारण विधान सभा क्षेत्रवार ना किया जाकर पंचायत समितिवार किया जाता है। नीचे दी गई सूचनाओं में उस विधान सभा क्षेत्र में आ रही पंचायत समिति के क्षेत्रवार संख्या दी जा रही है।

अतः गत दो वर्षों में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर किये गये पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदान किये गये लाभों की सूचना निम्नानुसार है:-

नगरीय/पंचायत समिति क्षेत्र		**क्षेत्र**					
		नगर निगम, कोटा, नगरपालिका कैथून, सांगोद, इटावा, रामगंजमण्डी	**पंचायत समिति, लाडपुरा**	**पंचायत समिति, सांगोद**	**पंचायत समिति, इटावा**	**पंचायत समिति, सुल्तानपुर**	**पंचायत समिति, खैराबाद**
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**लाभान्वितों की संख्या**					
1.	**निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना**	**1882**	**18**	**05**	**04**	**34**	**73**
2.	**निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	**शुभ शक्ति योजना**	**469**	**04**	**02**	**04**	**05**	**08**

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

5.	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना	41	03	-	-	-	07
6.	प्रसूति सहायता योजना	56	01	-	-	-	-
7.	निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना	1071	-	-	-	-	02
	कुल योग	3546	26	07	08	39	90

(3) वर्तमान में कोटा जिले में माह दिसम्बर 2017 तक बकाया आवेदनों का विवरण योजनावार निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	आवेदनों की संख्या
निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना	12
निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना	1
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना	601
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना	2
प्रसूति सहायता योजना	9
शुभशक्ति योजना	105
हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014	3
कुल	733

(4) आवेदन पत्रों का निस्तारण ऑनलाइन FIFO (First in First out) आधार पर किया जाता है। आवेदनों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर देन पर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को प्रदान किये जा चुके हैं।

खण्डेरिया-चन्दखेडी (जहाजपुर) के रास्ते से अतिक्रमण हटाने की योजना

111. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री फूलसिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत जहाजपुर के राजस्व ग्राम खण्डेरिया से चन्दखेडी के मध्य राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है?

(2) क्या उक्त रास्ते में किसी मद से कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि से व किस एजेन्सी द्वारा तथा कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रास्ते पर वर्तमान में किसी का अतिक्रमण है? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के लिये कब-कब कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत बरोदा के राजस्व ग्राम खण्डेरिया एवं चन्दखेडी के मध्य रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज हैं। ग्राम चंदखेडी के खसरा नम्बर 12 रकबा 01-07 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। नकल जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट - अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में उक्त रास्ते में अतिक्रमण नहीं है। पूर्व में अतिक्रमण था, जिसे दिनांक 05.02.2017, 25.07.2017 एवं 05.02.2018 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रास्ता खुलवा दिया गया है। पर्चा मौका की प्रति परिशिष्ट- ब पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में रास्ते तरमीम के लम्बित प्रकरण

112. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर टोंक के अधीन रास्ता तरमीम के कई प्रकरण निर्णयार्थ विचाराधीन हैं? यदि हां, तो प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों का

(श्री संजीव कुमार)

शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टोंक में रास्ता तरमीम के 74 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनकी उपखण्डवार संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**तहसील**	**तरमीन के विचाराधीन प्रकरणों की संख्या**
1	टोंक	05
2	देवली	26
3	निवाई	14
4	टोडारायसिंह	25
5	मालपुरा	04
	योग	74

प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रास्ता तरमीम से संबंधित उक्त प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना

113. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उक्त जिले में किन-किन स्थानों पर पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के जिला मुख्यालय पर पर्यटन विभाग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यहि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत हैरिटेज सर्किट अन्तर्गत नागौर में मीरा बाई स्मारक, मेड़ता के विकास हेतु राशि रुपये 208.94 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

नागौर जिले में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य योजनान्तर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

पर्यटन विभाग में वर्तमान में नागौर जिले में पर्यटन सर्किट विकसित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) नागौर मुख्यालय पर सहायक पर्यटक अधिकारी का पद स्वीकृत है, परन्तु विभाग में कार्मिकों की कमी के कारण पद रिक्त चल रहा है। अतिरिक्त कार्यभार अजमेर कार्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

114. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

धौलपुर जिले में वर्तमान में कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित है व उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में जिला धौलपुर में 535 राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं तथा उक्त संचालित विद्यालय में जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल-2 के 7500 पदों पर दिनांक 11.09.2017 को विज्ञप्ति जारी की गई जिनके अन्तर्गत नोन टी.एस.पी. एरिया के 6045 पदों पर विभाग द्वारा कट ऑफ मार्क्स एवं प्रोविजनल सूची जारी की जाकर

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के जिला आबंटन की सूची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है। संबंधित जिला परिषद कार्यालय स्तर पर पदस्थापन/नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है/प्रक्रियाधीन है।

पत्रांक पं.5 (18)प्राशि/2017 दिनांक 27.10.2017 द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-11 के कुल 35000 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2017 हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। रीट परीक्षा 2017 के परीक्षा परिणाम पश्चात् अध्यापकों के रिक्त 35000 पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। जिसके अंतर्गत आगामी सत्र में इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। उक्त भर्ती के पश्चात् रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों का भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना

115. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में एक भी राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में दो राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, 23 जी.बी. व ठाकरी में तथा एक राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, 5 केएसडीए मोहकमवाला में संचालित हैं।